सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

मानक संचालन प्रक्रियाएं

डी.ए.वाई. एन.आर.एल.एम. (DAY NRLM) के अंतर्गत खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियों का कार्यान्वयन

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन (डी ऐ वाई –एनआरएलएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

मानक संचालन प्रक्रियाएं

डी.ए.वाई. एन.आर.एल.एम. (DAY NRLM) के अंतर्गत खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियों का कार्यान्वयन

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन (डी ऐ वाई -एनआरएलएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

7वीं मंज़िल, एनडीसीसी बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001

विषय सूची

मानक संचालन प्रक्रियाओं का परिचय 7

1. एफएनएचडब्लू (FNHW) गतिविधियों के लिए कार्ययोजना कैसे विकसित करें 9
2. एफएनएचडब्लू (FNHW) गतिविधियों की समीक्षा कैसे करें? 15
3. अभिसरण तंत्र स्थापित करने के लिए चरण 23
4. ग्राम संगठनों की वीएचएसएनडी में भागीदारी 31
5. गृह भ्रमण कैसे करें? 37
6. एसएचजी परिवारों में पियर काउंसलिंग कैसे करें? 45
7. एफएनएचडब्लू (FNHW) सामुदायिक कार्यक्रम/अभियान आयोजित करने के चरण 51
8. परिवार चौपाल आयोजित करने के चरण 61
9. एफएनएचडब्लू (FNHW) में अच्छे प्रदर्शन को पुरुस्कृत/सम्मानित करने के लिए एक तंत्र कैसे स्थापित करें? 69

अतिरिक्त संदर्भ सामग्री

I. वीओ स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना विकसित करने के लिए सामुदायिक संस्थानों (टीपीसीआई) के साथ उत्प्रेरण प्रक्रिया- झारखंड का अनुभव 79

II. स्वाभिमान के एकीकृत सूक्ष्म योजना प्रयोग का उपयोग कर एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) कार्य योजना तंत्र- बिहार का अनुभव 89

III. पारिवारिक आहार विविधता (एफडीडी) पर सामुदायिक अभियान का आयोजन - बिहार का अनुभव 107

IV. मलेरिया के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन - छत्तीसगढ़ का अनुभव 119

V. स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन - छत्तीसगढ़ का अनुभव 121

VI. वृक्षारोपण अभियान का आयोजन - छत्तीसगढ़ का अनुभव 123

मानक संचालन प्रक्रियाओं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स-एस.ओ.पी) का परिचय

एसएचजी (SHG) सदस्यों और उनके परिवारों के बीच खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता (एफएनएचडब्ल्यू) सहित सामाजिक विकास के पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएवाई.एनआरएलएम (DAY-NRLM) "दशसूत्र" रणनीति अपनाकर गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित और गहन तरीके से मुख्यधारा में लेकर आया है। एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) के समन्वय को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए विभिन्न आधिकारिक संचार और एडवाइजरी निर्देशित की गयी है, जैसे FNHW गतिविधियों और सुझाए गए तरीकों के कार्यान्वयन को रेखांकित करने वाला मास्टर सर्कुलर, महिला और बाल विकास मंत्रालय, (MOWCD) ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) द्वारा निर्देशित जॉइंट एडवाइजरी जिसमें तीनों विभागों के अधिकारियों के एक साथ काम करने और भूमिकाओं के तौर-तरीकों को दर्शाया गया है तथा राज्य की एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) परिचालन रणनीति बनाना और प्रशासनिक स्तर पर एस आर एल एम (SRLM) कर्मचारियों और संवर्गों के एफएनएचडब्लू (FNHW) सम्बंधित कार्यों को निर्देशित करने हेतु एडवाइजरी, पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों के उत्सव के लिए आधिकारिक सूचनाएं भी समय-समय पर तय कार्यक्रम के अनुसार जारी की जाती हैं।

इस पुस्तिका में एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) गतिविधियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का संग्रह किया गया है। इस पुस्तिका को इसलिए विकसित किया गया है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के अंतर्गत संबंधित हितधारकों और कर्मचारियों/ संवर्ग को विकसित किया जा सके। यह पुस्तिका एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न परिचालन और कार्यक्रम संबंधी पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करती है जैसे कि कार्य योजना बनाना, समीक्षा करना, पियर काउंसलिंग करना, गृह भ्रमण और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि। प्रत्येक एसओपी विभिन्न राज्य मिशनों में एक समान दक्षता, गुणवत्ता और एकरूपता प्राप्त करने के उद्देश्य से मानकीकृत तरीके से कार्यों/ संचालन को पूरा करने के लिए चरण-वार प्रक्रिया/तंत्र को परिभाषित करता है।

इस पुस्तिका में अतिरिक्त संदर्भ सामग्री पर एक खंड है जिसमें अन्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों/ हितधारकों द्वारा विकसित और उपयोग किए जाने वाले मानक संचालन प्रक्रिया/ मार्गदर्शन नोट शामिल हैं, जैसे- जीविका - बिहार (JEEVIKA-BIHAR), झारखंड-एसआरएलएम, छत्तीसगढ़ एसआरएलएम, जीविका टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम-प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल (जेटीएसपी-पीसीआई (JTSP –PCI)/ रौशनी –महिला सामूहिक नेतृत्व वाली सामाजिक कार्रवाई का केंद्र आदि शामिल हैं, जिसे एसआरएलएम की आवश्यकता के अनुसार एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) गतिविधि कार्यान्वयन के संदर्भ में उपयोग/ अनुकूलित किया जा सकता है।

एफ.एन.एच.डब्लू. (FNHW) गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना कैसे विकसित करें?

योजनाबद्ध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए एक वार्षिक कार्यान्वयन योजना विकसित करने की जरूरत है। एक स्पष्ट रूप से तैयार की गई योजना उल्लिखित गतिविधियों को बेहतर ढंग से लागू करने और पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) स्तर पर विकसित ऐसी योजनाएं, जमीनी स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) कार्यान्वयन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगी। एक बार विकसित होने के बाद, इन योजनाओं को अनुमोदन के लिए साझा किया जाना चाहिए। एक कार्ययोजना को विकसित करने के उद्देश्य नीचे सूचिबद्ध किए गए हैं।

उद्देश्य

- वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना को व्यवस्थित रूप से विकसित करना
- इन योजनाओं को किन क्षेत्रों में लागू करना है उनकी पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना
- कार्यों/गतिविधियों को सूचीबद्ध करना
- पहचान की गई गतिविधियों की समय-सीमा तय करना

ध्यान देने योग्य बात

ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) इंचार्ज को सीएलएफ/वीओ को प्रेरित करना चाहिए तथा उनका संबंधित विषय में ज्ञानवर्धन करना चाहिए और लीडर/सामाजिक कार्य समिति (SAC) और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) (जैसा लागू हो) को योजना प्रक्रिया की ओर उन्मुख करना चाहिए और राज्य के समग्र एफएनएचडब्ल्यू लक्ष्यों के साथ उनका संरेखण सुनिश्चित करना चाहिए।

वीओ स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) कार्य योजना तंत्र

सीआरपी/वीओ SAC, वीओ के प्रत्येक एसएचजी के कम से कम एक प्रतिनिधि के सहयोग से इस प्रक्रिया को पूर्ण करेगा।

- यह अपेक्षा की जाती है कि इस काम के लिए कम से कम तीन घंटे दिए जाएं। इसलिए एक उपयुक्त समय या तारीख सभी भागीदारों के द्वारा मिलकर तय की जानी चाहिए।
- एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) कार्य योजना प्रक्रिया गतिविधियों के मासिक और त्रैमासिक अंतराल के साथ तैयार की जानी चाहिए।
- वीओ, राज्य एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) संचालन रणनीति के अनुसार गतिविधियों की सूची और समूह के सदस्यों के परामर्श से पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सेवा संबंधी मुद्दा है जिसे संबंधित विभाग के साथ उठाने की आवश्यकता है या व्यवहार संबंधी पहलू जिसे समूह द्वारा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है तो ऐसे मुद्दों को इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इनके साथ ही राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति के तहत उल्लिखित सभी गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए।
- प्रस्तावित गतिविधियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा होनी चाहिए।
- वीओ और सीएलएफ में उनकी नियमित एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत, कार्य योजना की तिमाही आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। यदि कोई देरी होती है या ऐसा नहीं हो पाता है या कोई चुनौती है तो समीक्षा बैठक के दौरान इसके बारे में विधिवत सूचित किया जाना चाहिए।

कार्य योजना को विकसित करने के लिए एक सुझावात्मक प्रारूप अनुलग्नक-1 में दिया गया है। वीओ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें गतिविधियों को जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए- कौन सा एफएनएचडब्ल्यू सत्र एसएचजी में समय-सीमा के साथ शुरू किया जाना है, लाभार्थियों को एफएनएचडब्ल्यू योजनाओं और पात्रताओं के साथ जोड़ना, (सूची अनुलग्नक-ए में दी गई है) आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मासिक बैठक कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुसूची और वीएचएसएनडी आदि गतिविधियों में भागीदारी की योजना बनाई जानी चाहिए।

वीओ वार्षिक रूप से अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से भी एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों की पहचान कर सकता है, उदाहरण के लिए झारखंड के सामुदायिक संस्थानों के साथ उत्प्रेरण प्रक्रिया और बिहार से स्वाभिमान की एकीकृत माइक्रोप्लानिंग तंत्र, जो कि इस पुस्तिका के अतिरिक्त संदर्भ सामग्री खंड में दिए गए हैं। इनके साथ, विलेज पावरटी रिडक्शन प्लान (ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण योजना –वीपीआरपी) और वल्नेरेबिलिटी रिडक्शन प्लान (संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना-वीआरपी) को प्राथमिकता दी जा सकती है और वार्षिक कार्य योजना प्रक्रिया में अन्तर्निहित किया जा सकता है।

सीएलएफ स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना तंत्र

सीएलएफ SAC, सीएलएफ के प्रत्येक वीओ के कम से कम एक प्रतिनिधि (लीडर/वीओ /एस ए सी/एफएनएचडब्ल्यू सीआरपी) के सहयोग से इस प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा।

- यह अपेक्षा की जाती है कि इस अभ्यास के लिए कम से कम तीन घंटे दिए जाएंगे। इसलिए एक उपयुक्त समय और तारीख का निर्णय सभी पक्षों के द्वारा मिलकर किया जाना चाहिए।
- एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना प्रक्रिया को गतिविधियों के मासिक और त्रैमासिक अंतराल के साथ तैयार किया जाना चाहिए।
- सीएलएफ राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुसार समूह के सदस्यों के परामर्श से गतिविधियों की सूची को प्राथमिकता दे सकता है। उदाहरण के लिए- यदि कोई सेवा संबंधी मुद्दा है जिसे संबंधित विभाग के साथ उठाने की आवश्यकता है या व्यवहार संबंधी पहलू जिसे समूह द्वारा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है, आदि को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति के तहत उल्लिखित सभी गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए।
- प्रस्तावित गतिविधियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा होनी चाहिए।
- नियमित एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत, सीएलएफ और ब्लॉक में तिमाही आधार पर कार्य योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि कोई देरी होती है या ऐसा नहीं हो पाता है या फिर कोई चुनौती है तो समीक्षा बैठक के दौरान विधिवत इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

कार्य योजना को विकसित करने के लिए एक सुझावात्मक प्रारूप अनुलग्नक 2 में दिया गया है। सीएलएफ अपनी जरूरतों के अनुसार इसमें गतिविधियों को जोड सकते हैं। उदाहरण के लिए- सी एल एफ स्तर पर समीक्षा और प्रसार के लिए बैठकों का आयोजन करना, सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सहयोग की आवश्यकता आदि, की योजना बनाई जानी चाहिए।

सीएलएफ वार्षिक रूप से अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से भी एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों की पहचान कर सकता है, उदाहरण के लिए झारखंड से सामुदायिक संस्थानों के साथ उत्प्रेरण प्रक्रिया और बिहार से स्वाभिमान की एकीकृत माइक्रोप्लानिंग तंत्र, जो कि इस पुस्तिका के अतिरिक्त संदर्भ सामग्री खंड में दिया गया है। इनके साथ, वीपीआरपी और वीआरपी के माध्यम से पहचाने गए मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सकती है और वार्षिक कार्य योजना प्रक्रिया में अन्तर्निहित किया जा सकता है ।

अनुलग्नक -1

वीओ स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ सी एल एफ का नाम _____

विकासखंड का नाम _____ अवधि _____

गतिविधि	पहली तिमाही			दूसरी तिमाही			तीसरी तिमाही			चौथी तिमाही		
	पहला महीना	दूसरा महीना	तीसरा महीना	चौथा महीना	पांचवा महीना	छटा महीना	सातवां महीना	आठवां महीना	नवां महीना	दसवां महीना	ग्यारवाँ महीना	बारहवां महीना
एफएनएचडब्ल्यू पर वीओ सदस्यों (लीडर्स/एस ए सी) का उन्मुखीकरण												
वीओ लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहा है												
मासिक बैठकों के दौरान एफएनएचडब्ल्यू सत्र का रोल आउट (सत्रवार योजना बनाई जा सकती है जैसे 1000 दिन, मातृ पोषण, IYCF, आहार विविधता आदि)												
वीओ /एसएसी द्वारा घरों का दौरा किया जा रहा है												
वीओ द्वारा सामुदायिक कार्यक्रमों/अभियानों का आयोजन किया जा रहा है												
वीओ द्वारा अन्य विभागों द्वारा आयोजित गतिविधियों /समारोहों, (पोषण अभियान, स्वच्छता अभियान आदि) में भाग लिया जा रहा है ।												
वीओ लाभार्थियों को वीएचएसएनडी (V H S N D) की सेवाओं तक पहुँचने और गोदभराई और अन्नप्राशन दिवस में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं												
वीओ/एसएसी मासिक वीएचएसएनडी में भाग ले रहे हैं।												
वीओ एसएसी मासिक वीएचएसएनडी योजना बैठक में भाग ले रहा है												
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ बैठक/समन्वय- वृद्धि निगरानी, कुपोषित बच्चों की पहचान तथा एसएचजी परिवारों के लाभार्थिओं को टीएचआर से जोड़ने आदि के लिए												
पीआरआई/वार्ड सदस्य के साथ बैठक/समन्वय- पीडीएस तक एसएचजी परिवारों की बेहतर पहुंच के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए												
आजीविका सीआरपी के साथ बैठक/समन्वय- एसएचजी परिवारों में पोषण बगीचा लगाने, घर में मुर्गी पालन, बकरी पालन की स्थापना के लिए												
वीओ संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना (वलनेरबिलिटी रिडक्शन प्लान-वीआरपी V R P) तैयार कर रहा है- एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों और लक्षित लाभार्थियों के साथ एसएचजी परिवारों की प्राथमिकता को सुगम बनाने के लिए												
एफएनएचडब्ल्यू एमआईएस प्रणाली के लिए रिपोर्टिंग करना												
एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों की समीक्षा करना												
वीओ पुरस्कार/सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं												
अगले वर्ष की योजना प्रक्रिया में एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों की पहचान और समावेश, (उदाहरण के लिए उत्प्रेरण प्रक्रिया, स्वाभिमान की आईएमपी प्रक्रिया, वीपीआरपी और वीआरपी आदि से उभरे मुद्दे)												
कोई अन्य गतिविधि (वीओ द्वारा नियोजित)												

नोट- वीओ को प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उपरोक्त गतिविधियाँ और समय-सीमा केवल सांकेतिक हैं और इन्हें राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

द्वारा तैयार (नाम और हस्ताक्षर) **द्वारा अनुमोदित (नाम और हस्ताक्षर)**

_____ _____

अनुलग्नक - 2

सीएलएफ स्तर एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना के लिए प्रारूप

सीएलएफ का नाम _____ **विकासखंड का नाम:** _____

अवधि: _____

अवधि	पहली तिमाही			दूसरी तिमाही			तीसरी तिमाही			चौथी तिमाही		
	पहला महीना	दूसरा महीना	तीसरा महीना	चौथा महीना	पांचवा महीना	छटा महीना	सातवां महीना	आठवां महीना	नवां महीना	दसवां महीना	ग्यारवाँ महीना	बारहवां महीना
एफएनएचडब्ल्यू घटकों पर सीएलएफ/वीओ सदस्यों/सीआरपी के लिए क्षमता निर्माण प्रयासों की योजना बनाएं और उसे लागू करें (उदाहरण के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना और प्रशिक्षण के लिए समन्वय करना)												
सामुदायिक कार्यक्रमों/अभियानों के आयोजन के लिए वीओ को समर्थन करें												
अन्य विभागों (पोषण अभियान, स्वच्छता अभियान आदि) द्वारा आयोजित गतिविधियों/ समारोहों में सीएलएफ भाग ले रहे हैं												
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ बैठक/समन्वय- - वृद्धि निगरानी, कुपोषित बच्चों की पहचान तथा एसएचजी परिवारों के लाभार्थिओं को टीएचआर से जोड़ने आदि के लिए												
पीआरआई/वार्ड सदस्य के साथ बैठक/समन्वय- पीडीएस तक एसएचजी परिवारों की बेहतर पहुंच के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए												
आजीविका सीआरपी के साथ बैठक/समन्वय- एसएचजी परिवारों में पोषण बगीचा लगाने, घर में मुर्गी पालन, बकरी पालन की स्थापना के लिए												
एफएनएचडब्ल्यू उद्यमों के संवर्धन और स्थापना के लिए सीआरपी/बीपीएम के साथ बैठक/समन्वय (यदि योजना बनाई गई हो)												
आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों और एएनएम के साथ त्रैमासिक संमिलन बैठकों का आयोजन करना/भाग लेना												
सी एल एफ द्वारा संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना (वलनेरबिलिटी रिडक्शन प्लान-वीआरपी) का अनुमोदन किया जा रहा है												
एफएनएचडब्ल्यू एमआईएस पर रिपोर्टिंग करना												
एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों की समीक्षा करना												
सीएलएफ द्वारा पुरस्कार/सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है												
अगले वर्ष की योजना प्रक्रिया में एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों की पहचान और समावेश, (उदाहरण के लिए उत्प्रेरण प्रक्रिया, स्वाभिमान की आईएमपी प्रक्रिया, वीपीआरपी और वीआरपी आदि से उभरे मुद्दे)												
कोई अन्य गतिविधि (सीएलएफ द्वारा नियोजित)												

नोट- सीएलएफ को प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उपरोक्त गतिविधियां और समय-सीमा केवल सांकेतिक हैं और राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति के अनुसार संशोधित की जा सकती हैं।

द्वारा तैयार (नाम और हस्ताक्षर) _____

द्वारा अनुमोदित (नाम और हस्ताक्षर) _____

अनुलग्नक - ए

एफएनएचडबलू योजनाओं और पात्रताओं की सूची

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
2. मध्यान्ह भोजन
3. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)
   - टेक होम राशन
   - वृद्धि निगरानी
   - बचपन की देखभाल और प्री.स्कूल शिक्षा
4. पोषण अभियान
5. स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं/कार्यक्रम
   - एनीमिया मुक्त भारत
   - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस
   - सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)
   - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)
   - जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)
   - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)
   - यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम
   - गृह आधारित नवजात देखभाल (एचबीएनसी)
   - होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर (एचबीवायसी)
6. आयुष्मान भारत
   - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
   - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)
7. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
8. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
9. स्वच्छ भारत मिशन
10. जल जीवन मिशन
11. कोविड टीकाकरण
12. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
13. राज्य के संदर्भ में कोई अन्य योजना/कार्यक्रम

एफएनएचडब्ल्यू (FNHW) गतिविधियों की समीक्षा कैसे करें?

एक समीक्षा तंत्र ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और जिसे विशिष्ट गतिविधियों और क्रियाकलापों की प्रगति का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। चाहे गए परिणाम प्राप्त करने और जरूरत के मुताबिक सुधारात्मक उपाय करने के लिए गतिविधियों की प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाएगी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

उद्देश्य

- समय सीमा के अनुसार गतिविधियों की प्रगति का आकलन करना
- उपलब्धियों को स्वीकार करना
- प्रदर्शन संबंधी मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान करना, यदि कोई हो
- चुनौतियों की पहचान करना और कार्यप्रणाली में सुधार का सुझाव देना

ध्यान देने योग्य बात

राज्य एफएनएचडब्ल्यू की परिचालन रणनीति ऐसी योजना है जहां पूर्वपरिभाषित क्रियाकलाप एवं गतिविधियों की सूची, क्षमता निर्माण योजना, अभिसरण तंत्र, एफएनएचडब्ल्यू रोलआउट योजना और निगरानी और मूल्यांकन योजना विवरण में दी गई है।

समीक्षा प्रक्रिया

प्रत्येक स्तर पर नियमित आधार पर समीक्षा अवश्य की जानी चाहिए। एफएनएचडब्ल्यू की समीक्षा के बारे में सुझाव नीचे दिए गए हैं।

समीक्षा एक गलती खोजने वाला अभ्यास नहीं है।

- एफएनएचडब्ल्यू एजेंडा को राज्य/जिला/ब्लाक/सीएलएफ/वीओ स्तर पर नियमित रूप से निर्धारित समीक्षा बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए।
- राज्य/जिला/ब्लाक/सीएलएफ/वीओ स्तर पर एक अलग से एफएनएचडब्ल्यू की बैठक आयोजित की जा सकती है।

तालिका: समीक्षा के लिए कार्यक्रम

स्तर	संयोजक	प्रतिभागी	बारंबारता
राज्य	सीईओ/एसएमडी/एफएनएचडब्ल्यू कोर समिति	दूसरे एसआरएलएम वर्टिकल्स के एसपीएम	मासिक
	सीईओ/एसएमडी/एसपीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम)/जिला प्रबंधक (डीएम) (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी)	मासिक
जिला	डीपीएम/डीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी)	ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी)	मासिक
विकासखंड	ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी)	सीएलएफ लीडर/एसएसी सदस्य/ओबी/ईसी	मासिक
सीएलएफ	सीएलएफ लीडर/ एसएसी सदस्य/ओबी/ईसी	वीओ लीडर/एसएसी सदस्य/सीआरपी	मासिक
वीओ	वीओ लीडर/एसएसी सदस्य/सीआरपी	एसएचजी स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू नोडल पर्सन	मासिक

नोट- उपरोक्त तालिका सांकेतिक है और समीक्षा प्रक्रिया को राज्य के संदर्भ और पहचान की गई कार्यान्वयन संरचना के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

- एमआईएस के माध्यम से एनआरएलएम को सूचित किए जाने वाले संकेतकों को शामिल करना चाहिए।
- राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति के साथ-साथ मूल्यांकन योजना में उल्लिखित संकेतकों की अलग समीक्षा करें।
- एफएनएचडब्ल्यू कार्यान्वयन के लिए संबंधित स्तरों पर सामुदायिक संस्थानों के प्रदर्शन और ग्रेडिंग पर चर्चा को शामिल कर सकते हैं।

राज्य स्तर पर

- सीईओ/एसएमडी/एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी हर महीने अन्य एसआरएलएम वर्टिकल्स के एसपीएम के साथ एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों और क्रियाकलापों की प्रगति की समीक्षा करेगी। जैसे-जैसे राज्य में काम आगे बढ़ता है समीक्षा बैठक की आवृत्ति पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- एसपीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) के सहयोग से, सीईओ/एसएमडी हर महीने जिलों में एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों और क्रियाकलापों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम)/जिला प्रबंधक (डीएम) (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) प्रगति साझा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- प्रगति की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा, प्रस्तावित राज्य एफएनएचडब्ल्यू रणनीति तथा स्वीकृत एनुअल एक्शन प्लान में तय की गई समय सीमा के अनुसार की जानी चाहिए।
- गतिविधियों की समीक्षा, उनकी प्रगति, समय-सीमा का पालन, पूर्वनिर्धारित प्रोटोकॉल/प्रक्रियाओं का पालन, किसी भी चुनौती का सामना, संभावित समाधान और विषय सुधार के लिए की जानी चाहिए।
- पिछली बैठक में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- राज्य, विकास /तकनीकी भागीदारों से समीक्षा प्रक्रिया पर सहयोग करने के लिए कह सकता है।

राज्य स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू की समीक्षा के लिए उपयोग किए जाने के लिए एक सुझावात्मक प्रारूप **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों को इसमें जोड़ सकता है। इसके सभी विवरण भरे जाने चाहिए। बैठक का कार्यवृत्त राज्य में तैयार किया जाना चाहिए और सभी जिलों में प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि वे अगली समीक्षा बैठक से पहले की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।

जिला स्तर पर

- डीपीएम /डीएम एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी (FNHW – प्रभारी) को ब्लॉकों में एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक (बीपीएम) (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) कार्य की प्रगति पर प्रतिवेदन तैयार करेंगे और समीक्षा के लिए डीपीएम/डीएम को प्रस्तुत करेंगे।
- समीक्षा बैठक मासिक आधार पर की जानी चाहिए और प्रगति की समीक्षा और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- प्रखंड/जिले द्वारा तैयार एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए।
- गतिविधियों की समीक्षा, उनकी प्रगति समय-सीमा का पालन, पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल/ प्रक्रियाओं का पालन, किसी भी चुनौती का सामना, संभावित समाधान और विषय सुधार के लिए की जानी चाहिए।
- पिछली बैठक में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- जिला, विकास/तकनीकी भागीदारों से समीक्षा प्रक्रिया पर सहयोग करने के लिए कह सकता है ।

जिला स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा के लिए उपयोग किए जाने के लिए एक सुझावात्मक प्रारूप **अनुलग्नक-2** में दिया गया है। जिले अपनी आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों को जोड़ सकते हैं। इसके सभी विवरण भरे जाने चाहिए। बैठक का कार्यवृत्त जिले में तैयार कर सभी प्रखंडों में प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि वे अगली समीक्षा बैठक से पहले की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।

ब्लॉक स्तर पर

- बीपीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) को सीएलएफ स्तर पर आयोजित एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। सीएलएफ लीडर/एसएसी सदस्य/ओबी/ईसी बीपीएम के साथ प्रगति साझा करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- समीक्षा बैठक मासिक आधार पर की जानी चाहिए और प्रगति की समीक्षा और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

- सीएलएफ/ब्लाक द्वारा तैयार एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए।
- गतिविधियों की समीक्षा उनकी प्रगति/ समय-सीमा का पालन पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल/प्रक्रियाओं का पालन किसी भी चुनौती का सामना, संभावित समाधान, विषय में सुधार के लिए की जानी चाहिए।
- बैठक में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- ब्लॉक, विकास/तकनीकी भागीदारों से समीक्षा प्रक्रिया पर सहयोग करने के लिए कह सकता है।

ब्लॉक स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा के लिए उपयोग किए जाने के लिए सुझावात्मक प्रारूप **अनुलग्नक-3** में दिया गया है। ब्लॉक अपनी आवश्यकता के आधार पर गतिविधियों को इसमें जोड़ सकते हैं। इसके सभी विवरण भरे जाने चाहिए। बैठक का कार्यवृत्त ब्लॉक में तैयार किया जाना चाहिए और सभी सीएलएफ को प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि वे अगली समीक्षा बैठक से पहले की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।

सीएलएफ स्तर पर

- वीओ स्तर पर एसएसी सदस्यों/सीआरपी द्वारा संचालित एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा सीएलएफ लीडर्स/एसएसी सदस्यों/ओबी/ईसी को करनी चाहिए। वीओ लीडर्स और एसएसी सदस्य/सीआरपी, सीएलएफ के साथ प्रगति को साझा करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- समीक्षा बैठक मासिक आधार पर की जानी चाहिए और प्रगति की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा वीओ/ब्लाक द्वारा तैयार एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना के सापेक्ष की जानी चाहिए।
- गतिविधियों की समीक्षा उनकी प्रगति, समय-सीमा का पालन, पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल/प्रक्रियाओं का पालन, किसी भी चुनौती का सामना, संभावित समाधान और विषय सुधार के आधार पर की जानी चाहिए।
- पिछली बैठक में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- ब्लॉक/सीएलएफ लीडर, विकास/तकनीकी भागीदारों से समीक्षा प्रक्रिया पर सहयोग करने के लिए कह सकता है।
- एसआरएलएम क्षेत्र स्तर के कर्मचारी और विकास/तकनीकी भागीदारों के प्रतिनिधि, सीएलएफ का समर्थन करेंगे।

सीएलएफ स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा के लिए उपयोग किए जाने के लिए **अनुलग्नक-4** में एक सुझावात्मक प्रारूप दिया गया है। सीएलएफ अपनी आवश्यकता के आधार पर गतिविधियों को इसमें जोड़ सकते हैं। इसके सभी विवरण भरे जाने चाहिए। बैठक का कार्यवृत्त सीएलएफ में तैयार किया जाना चाहिए और सभी वीओ लीडर्स और एसएसी को प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि वे अगली समीक्षा बैठक से पहले की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।

वीओ स्तर पर

- वीओ लीडर्स/ एसएसी सदस्यों/सीआरपी के साथ एसएचजी स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। एसएचजी स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू नोडल व्यक्ति वीओ को प्रगति साझा करने के लिए के जिम्मेदार हैं।
- समीक्षा बैठक मासिक आधार पर की जानी चाहिए और प्रगति की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- गतिविधियों की समीक्षा उनकी प्रगति, समय-सीमा का पालन, पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल/ प्रक्रियाओं का पालन, किसी भी चुनौती का सामना, संभावित समाधान और विषय सुधार के लिए की जानी चाहिए।
- पिछली बैठक में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- ब्लॉक/सीएलएफ लीडर, विकास/तकनीकी भागीदारों से समीक्षा प्रक्रिया पर सहयोग करने के लिए कह सकता है।
- एसआरएलएम क्षेत्र स्तर के कर्मचारी और विकास/तकनीकी भागीदारों के प्रतिनिधि, वीओ का समर्थन करेंगे।

वीओ स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा के लिए उपयोग किए जाने के लिए **अनुलग्नक-5** में एक सुझावात्मक प्रारूप दिया गया है। ग्राम संगठन अपनी आवश्यकता के आधार पर गतिविधियों को इसमें जोड़ सकते हैं। इसके सभी विवरण भरे जाने चाहिए। बैठक के कार्यवृत्त और कार्य योजना को अनुमोदन के लिए सीएलएफ के साथ साझा किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक – 1

राज्य स्तरीय एफएनएचडब्ल्यू गतिविधि समीक्षा के लिए प्रारूप

राज्य का नाम: _____

तिथि: _____ **प्रतिभागी:** _____

नीचे दिया गया प्रारूप केवल सांकेतिक है। राज्य अपनी ज़रूरतों के लिए संशोधित करने के बाद इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग प्रासंगिक गतिविधियों की समीक्षा के लिए अन्य कार्यक्षेत्रों के एसपीएम के साथ बैठक के लिए किया जा सकता है। इसे एफएनएचडब्लू कोर कमेटी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एफएनएचडब्लू प्रभारी) द्वारा पूरा किया जाना है।

गतिविधि	एफएनएचडब्लू कार्य योजना के अनुसार वर्तमान प्रगति		की जाने वाली कार्रवाई
	लक्ष्य	उपलब्धि	
जिले के अधिकारी जिनका एफएनएचडब्ल्यू पर उन्मुखीकरण किया गया			
जिला स्तरीय एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा बैठक आयोजित करने वाले जिले			
पिछले 3 महीनों में एफएनएचडब्ल्यू एमआईएस पर नियमित रूप से रिपोर्ट करने वाले जिले			
एफएनएचडब्ल्यू सत्र शुरू करने के लिए प्रशिक्षित सभी एमटीओटी			
एफएनएचडब्ल्यू के सत्रों की शुरुआत *			
सत्र 1			
सत्र 2			
प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया एमटीओटी प्रशिक्षण का गुणवत्ता मूल्यांकन			
एफएनएचडब्ल्यू पर कम से कम 50% वीओ के साथ वीओ स्तरीय सामुदायिक आयोजन करने वाले जिले			
जिले जिन्होंने एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं जैसे - टीएचआर, पीडीएस, एमडीएम, वीएचएसएनडी, पोषण अभियान, जेएसवाई,जेएसएसके,पीएमजेएवाय,पीएमएमवीवाय,पीएमएबीवाय,और एसबीएम के साथ समन्वय को मजबूत करने के लिए संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी, पीआरआई, शिक्षा, और खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के साथ कन्वर्जेन्स मीटिंग्स का आयोजन किया/भाग लिया।			
एसएचजी परिवारों में पोषण उद्यान, घरेलू मुर्गी पालन, बकरी पालन की स्थापना के लिए जिन जिलों ने राज्य आजीविका मिशन के साथ राज्य स्तर पर कम से कम एक बैठक की			
एफएनएचडब्ल्यू उद्यमों की स्थापना पर चर्चा करने के लिए जिलों ने बीपीएम के साथ कम से कम एक बैठक की			
जिले ने संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना(वलनेरेब्लिटी रिडक्शन प्लान -वीआरपी) को लेकर मूल्यांकन किया			
एफएनएचडब्ल्यू कार्यान्वयन के लिए जिलों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग/रैंकिंग की			

*ज़रुरत होने पर और पंक्तियाँ जोड़ें

द्वारा तैयार (नाम और हस्ताक्षर)

_____

द्वारा अनुमोदित (नाम और हस्ताक्षर)

_____

अनुलग्नक - 2

जिला स्तरीय एफएनएचडब्ल्यू गतिविधि समीक्षा के लिए प्रारूप

राज्य का नाम: _____ **जिले का नाम:** _____

तिथि: _____ **प्रतिभागी:** _____

नीचे दिया गया प्रारूप केवल सांकेतिक है। जिले अपनी आवश्यकताओं के लिए संशोधित करने के बाद इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। इसे डीपीएम/जिला प्रबंधक(एफएनएचडब्लू प्रभारी) द्वारा पूरा किया जाना है।

गतिविधि	एफएनएचडब्लू कार्य योजना के अनुसार वर्तमान प्रगति		की जाने वाली कार्रवाई
	लक्ष्य	उपलब्धि	
ब्लॉक के अधिकारी जिनका एफएनएचडब्ल्यू पर उन्मुखीकरण किया गया			
ब्लॉक स्तरीय एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा बैठक आयोजित करने वाले ब्लॉक			
पिछले 3 महीनों में एफएनएचडब्ल्यू एमआईएस पर नियमित रूप से रिपोर्ट करने वाले ब्लॉक			
एफएनएचडब्ल्यू सत्र शुरू करने के लिए प्रशिक्षित सभी सीआरपी (टीओटी)			
एफएनएचडब्ल्यू के प्रारंभिक सत्रों की शुरुआत*			
सत्र 1			
सत्र 2			
प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया टीओटी का प्रशिक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन			
एफएनएचडब्ल्यू पर कम से कम 50% वीओ के साथ वीओ स्तरीय सामुदायिक आयोजन करने वाले ब्लॉक			
प्रखंड जिन्होनें एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं जैसे - टीएचआर, पीडीएस, एमडीएम, वीएचएसएनडी, पोषण अभियान, जेएसवाई, जेएसएसके, पीएमजेएवाय, पीएमएमवीवाय, पीएमएबीवाय,और एसबीएम के साथ समन्वय को मजबूत करने के लिए संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी, पीआरआई, शिक्षा, और खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के साथ कन्वर्जेन्स मीटिंग्स का आयोजन किया/भाग लिया।			
एसएचजी परिवारों में पोषण उद्यान, घरेलू मुर्गी पालन, बकरी पालन की स्थापना के लिए जिन प्रखंडों ने राज्य आजीविका मिशनों के जिला स्तर के साथ कम से कम एक बैठक की।			
एफएनएचडब्ल्यू उद्यमों की स्थापना पर चर्चा करने के लिए प्रखंडों ने बीपीएम के साथ कम से कम एक बैठक की			
ब्लॉक ने संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना (वलनेरेब्लिटी रिडक्शन प्लान-वीआरपी) को लेकर मूल्यांकन किया			
एफएनएचडब्ल्यू कार्यान्वयन के लिए प्रखंडों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग/रैंकिंग की			

*ज़रुरत होने पर और पंक्तियाँ जोड़ें

द्वारा तैयार (नाम और हस्ताक्षर)

_____

द्वारा अनुमोदित (नाम और हस्ताक्षर)

_____

अनुलग्नक 3

ब्लॉक स्तरीय एफएनएचडब्ल्यू गतिविधि समीक्षा के लिए प्रारूप

ब्लॉक का नाम: _____ **जिले का नाम:** _____

तिथि: _____ **प्रतिभागी:** _____

नीचे दिया गया प्रारूप केवल सांकेतिक है। ब्लॉक अपनी आवश्यकताओं के लिए संशोधित करने के बाद इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। इसे ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक (एफएनएचडब्लू प्रभारी) द्वारा पूरा किया जाना है।

गतिविधि	एफएनएचडब्लू कार्य योजना के अनुसार वर्तमान प्रगति		की जाने वाली कार्रवाई
	लक्ष्य	उपलब्धि	
सीएलएफ लीडर्स/ SAC मेंबर्स जिनका एफएनएचडब्ल्यू पर उन्मुखीकरण किया गया			
एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा बैठक आयोजित करने वाले/भाग लेने वाले सीएलएफ			
पिछले 3 महीनों में एफएनएचडब्ल्यू एमआईएस पर नियमित रूप से रिपोर्ट करने वाले सीएलएफ			
एफएनएचडब्ल्यू के शुरूआती सत्र का प्रारम्भ करने वाले सीएलएफ*			
सत्र 1			
सत्र 2			
प्रोटोकॉल के अनुसार एफएनएचडब्ल्यू के प्रारम्भिक सत्र का प्रशिक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन			
एफएनएचडब्ल्यू पर कम से कम 50% वीओ के साथ वीओ स्तरीय सामुदायिक आयोजन करने वाले सीएलएफ			
सीएलएफ जिन्होनें एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पत्रताओं जैसे - टीएचआर, पीडीएस, एमडीएम, वीएचएसएनडी, पोषण अभियान, जेएसवाई,जेएसएसके,पीएमजेएवाय,पीएमएमवीवाय,पीएमएबीवाय,और एसबीएम के साथ समन्वय को मजबूत करने के लिए संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी, पीआरआई, शिक्षा, और खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के साथ कन्वर्जेन्स मीटिंग्स का आयोजन किया/भाग लिया।			
एसएचजी परिवारों में पोषण उद्यान, घरेलू मुर्गी पालन, बकरी पालन की स्थापना के लिए सीएलएफ ने राज्य आजीविका मिशनो के ब्लॉक स्तर के साथ कम से कम एक बैठक की।			
सीएलएफ ने एफएनएचडब्ल्यू उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन किया			
सीएलएफ ने संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना (वालनेरेब्लिटी रिडकशन प्लान- वीआरपी) का अनुमोदन किया			
एफएनएचएम कार्यान्वयन के लिए सीएलएफ के प्रदर्शन की ग्रेडिंग/रैंकिंग की			
सीएलएफ ने सीआरपी के प्रदर्शन की समीक्षा की			
सीएलएफ ने पुरस्कार/सम्मान समारोह का आयोजन किया			

*ज़रुरत होने पर और पंक्तियाँ जोड़ें

द्वारा तैयार (नाम और हस्ताक्षर)

_____

द्वारा अनुमोदित (नाम और हस्ताक्षर)

_____

अनुलग्नक - 4

सीएलएफ स्तरीय एफएनएचडब्ल्यू गतिविधि समीक्षा के लिए प्रारूप

ब्लॉक का नाम: _____ **जिले का नाम:** _____

तिथि: _____ **प्रतिभागी:** _____

नीचे दिया गया प्रारूप केवल सांकेतिक है। सीएलएफ अपनी आवश्यकताओं के लिए संशोधित करने के बाद इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। इसे सीएलएफ लीडर/एसएसी/ओबी/ईसी द्वारा पूरा किया जाना है।

गतिविधि	एफएनएचडब्लू कार्य योजना के अनुसार वर्तमान प्रगति		की जाने वाली कार्रवाई
	लक्ष्य	उपलब्धि	
वी ओ एसएसी/लीडर जिनका एफएनएचडब्ल्यू पर उन्मुखीकरण किया गया			
एफएनएचडब्ल्यू समीक्षा बैठक आयोजित करने वाले वीओ			
पिछले 3 महीनों में एफएनएचडब्ल्यू एमआईएस पर नियमित रूप से रिपोर्ट करने वाले वीओ			
मासिक एसएचजी बैठकों में एफएनएचडब्ल्यू के प्रारंभिक सत्रों की शुरूआत*			
सत्र 1			
सत्र 2			
प्रोटोकॉल के अनुसार एफएनएचडब्ल्यू के प्रारंभिक सत्र का प्रशिक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन			
एफएनएचडब्ल्यू पर वीओ स्तरीय सामुदायिक आयोजन करने वाले वीओ			
गृह भ्रमण करने वाले वीओ			
वीएचएसएनडी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित कर रहे वीओ			
गोदभराई और अन्नप्राशन दिवस में भाग लेने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित कर रहे वीओ			
एसएचजी परिवारों द्वारा टीएचआर को बेहतर बनाने के लिए डब्ल्यूसीडी के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के लिए, वीएचएसएनडी और अन्य समुदाय आधारित आयोजित कार्यक्रमों और अभियानों (पोषण अभियान, पोषण पखवाड़ा आदि) में एसएचजी की पहुंच बढ़ाने के लिए मासिक वीएचएसएनडी योजना बैठकों में भाग लेने वाले वीओ सैक			
एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं जैसे - पीडीएस, एमडीएम, जेएसवाई, जेएसएसके, पीएमजेएवाई, पीएमएमवीवाई, पीएमएसबीवाई और एसबीएम आदि के साथ समन्वय को मजबूत करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करने वाले वीओ।			
मासिक वीएचएसएनडी में भाग लेने वाले वीओ सैक			
स्वयं सहायता समूह के परिवारों में पोषक उद्यान, घरेलु मुर्गी पालन, बकरी पालन की स्थापना के लिए ग्राम संगठनों ने सीएलएफ लीडर और सीआरपी आजीविका के साथ कम से कम एक बैठक की।			
वीओ ने संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना(वालनेरेब्लिटी रिडकशन प्लान- वीआरपी) तैयार की			
वीओ ने वीओ लीडर /एडब्ल्यू/सीएम के प्रदर्शन की समीक्षा की			
वीओ ने पुरस्कार/सम्मान समारोह का आयोजन किया			

*ज़रुरत होने पर और पंक्तियाँ जोड़ें

द्वारा तैयार (नाम और हस्ताक्षर)

_____

द्वारा अनुमोदित (नाम और हस्ताक्षर)

_____

अनुलग्नक - 5

वीओ स्तरीय एफएनएचडब्ल्यू गतिविधि समीक्षा के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ **सीएलएफ का नाम:** _____ **ब्लॉक का नाम:** _____

तिथि: _____ **प्रतिभागी:** _____

नीचे दिया गया प्रारूप केवल सांकेतिक है। सीएलएफ अपनी आवश्यकताओं के लिए संशोधित करने के बाद इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। इसे वीओ लीडर/एसएसी/सीआरपी सदस्यों द्वारा पूरा किया जाना है।

गतिविधि	एफएनएचडब्लू कार्य योजना के अनुसार वर्तमान प्रगति		की जाने वाली कार्रवाई
	लक्ष्य	उपलब्धि	
वीओ ने लाइन लिस्ट तैयार की- एसएचजी सदस्यों और उनके परिवारों से लक्षित लाभार्थियों की पहचान की (गर्भवती /धात्री माता /2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे)			
एफएनएचडब्ल्यू की मासिक प्रगति रिपोर्ट पर सूचित करना और इस रिपोर्ट को एमआईएस में अपलोड करना			
मासिक एसएचजी बैठक में एफएनएचडब्ल्यू के प्रारंभिक सत्रों की शुरूआत			
सत्र 1			
सत्र 2			
प्रोटोकॉल के अनुसार एफएनएचडब्ल्यू प्रारंभिक सत्र का प्रशिक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन			
लक्षित लाभार्थियों के यहाँ गृह भ्रमण			
टीएचआर से जुड़े एसएचजी परिवार			
पीडीएस से जुड़े एसएचजी परिवार			
पीएमजेएवाय से जुड़े एसएचजी परिवार			
पीएमएसबीवाय से जुड़े एसएचजी परिवार			
पीएमएमवीवाय से जुड़े एसएचजी परिवार			
एसएचजी घरों में पोषण बगीचा की स्थापना			
एसएचजी घरों में घरेलु मुर्गीपालन की स्थापना			
एसएचजी घरों में बकरी पालन की स्थापना			
एसएचजी लाभार्थियों ने सेवाओं तक पहुंचने के लिए वीएचएसएनडी में भाग लिया			
गोदभराई व अन्नप्राशन दिवस में लाभार्थियों ने भाग लिया			

*ज़रुरत होने पर और पंक्तियाँ जोड़ें

द्वारा तैयार (नाम और हस्ताक्षर)

_____

द्वारा अनुमोदित (नाम और हस्ताक्षर)

_____

अभिसरण तंत्र (कन्वर्जेन्स मेकेनिज्म) स्थापित करने के चरण

अभिसरण का सार कार्यक्रम संबंधी प्रयासों और उसके परिणामों में सुधार के लिए समान हितधारकों के साथ सहयोग करना है। एक मास्टर परिपत्र के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया है कि सभी एसआरएलएम एफएनएचडब्ल्यू (2017)[1] को बढ़ावा देने के लिए एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों के लिए अभिसरण (कन्वर्जेन्स) की कार्रवाई करें। इस बारे में डीएवाई-एनआरएलएम, महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच संयुक्त परामर्श (2018)[2] पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नवंबर 2020 में सभी एसआरएलएम के साथ साझा किए गए एडवाइजरी और गतिविधि दस्तावेज (एक्टिविटी मेट्रिक्स) में अलग-अलग स्तर पर की जाने वाली अभिसरण क्रियाओं का उल्लेख किया गया है ।

एफएनएचडब्ल्यू आवश्यकताओं पर डीएवाई-एनआरएलएम के भीतर और बाहर सामान्य समझ और तालमेल रखने के लिए, निम्नलिखित किया जाना चाहिए।

i. एसआरएलएम के संबंधित वर्टिकल्स तथा अन्य विभागों के साथ अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के क्षेत्रों की पहचान करें
ii. संबन्धित वर्टिकल्स तथा संबंधित विभागों के साथ नियमित अभिसरण बैठक (कन्वर्जेन्स मीटिंग) आयोजित करने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करें जैसे की आवृत्ति, भागीदारी, अनुसूची और एजेंडा की रूपरेखा बनाएँ

उद्देश्य

- अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के क्षेत्रों की पहचान करना
- मुद्दों को प्राथमिकता देना और उन्हें कम करने के उपाय सुझाना
- प्रासंगिक हितधारकों की पहचान करना और जिम्मेदारी सौंपना
- समाधान के लिए एक समय सीमा तय करना और जरूरत पड़ने पर मुद्दों को आगे बढ़ाना

अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के लिए एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी का महत्व

एसआरएलएम प्रमुख के नेतृत्व में स्थापित एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी में एसआरएलएम के वर्टिकल्स जैसे आईबीसीबी, एसएसआईडी, वित्तीय समावेशन और आजीविका के सदस्य और अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , महिला और बाल विकास विभाग और स्वच्छ भारत अभियान के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। इन विभागों के प्रतिनिधियों को कोर कमेटी में शामिल करने से प्रतिबद्धता और स्वामित्व सुनिश्चित होगा और राज्य में एफएनएचडब्ल्यू के लिए अभिसरण कार्रवाई के लिए एक मजबूत ढांचा बनेगा।

एक सामान्य समझ बनाने, नए विचारों को जन्म देने और अधिक उपयोगी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, अन्य वर्टिकल्स और विभागों के प्रतिनिधियों सहित सभी कोर कमेटी के सदस्यों को एफएनएचडब्ल्यू पर व्यवस्थित रूप से प्रारंभिक और संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जाएगी।

अभिसरण तंत्र

प्रत्येक स्तर पर नियमित आधार पर अभिसरण बैठक आयोजित की जानी चाहिए। नीचे राज्य, जिला, ब्लॉक, सीएलएफ और वीओ स्तरों पर एफएनएचडब्ल्यू अभिसरण तंत्र स्थापित करने के लिए एक सुझावात्मक प्रक्रिया दी गई है।

- एफएनएचडब्ल्यू एजेंडा को एसआरएलएम या किसी अन्य संबंधित विभाग द्वारा आयोजित मौजूदा/नियमित रूप से निर्धारित अभिसरण बैठकों (कन्वर्जेस मीटिंग) में शामिल किया जाना चाहिए।
- यदि आवश्यक हो तो एफएनएचडब्ल्यू के लिए एक अलग अभिसरण बैठक आयोजित की जा सकती है।

तालिका 1: अभिसरण तंत्र के लिए कार्यक्रम और योजना

स्तर	संयोजक	प्रतिभागी	आवृत्ति
राज्य	सीईओ/एसएमडी/एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी	संबंधित विभागों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	छमाही
	सीईओ/एसएमडी/एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी	एसआरएलएम वर्टिकल हेड्स	तिमाही
जिला	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी)	संबंधित विभागों के जिला स्तरीय प्रतिनिधि	तिमाही
ब्लॉक	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी)	संबंधित विभागों के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि	तिमाही
सीएलएफ	सीएलएफ लीडर/एसएसी सदस्य/ओबी/ईसी	पर्यवेक्षक और एएनएम, पीआरआई सदस्य	तिमाही
वीओ	एसएसी सदस्य/सीआरपी	एएनएमएस, आशा और एडब्लूडब्लू, पीआरआई	मासिक

नोट: उपरोक्त तालिका सुझावात्मक है और अभिसरण तंत्र को राज्य के संदर्भ और निर्धारित कार्यान्वयन संरचना के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

[1] https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/Master%20Circular%20for%20Food%2C%20Nutrition%2C%20Health%20and%20Wash%20Interventions.pdf

[2] https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/Joint%20Advisory%20on%20Nutrition.pdf

सीईओ / एसएमडी / एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी के मार्गदर्शन से, एसपीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी), डीपीएम / डीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) और बीपीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) के सहयोग से अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

- सीईओ / एसएमडी / एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी की अध्यक्षता में, राज्य, संबंधित विभागों (स्वास्थ्य / डब्ल्यूसीडी / पीआरआई आदि) के प्रतिनिधियों के साथ एक अर्ध वार्षिक बैठक आयोजित करेगा ताकि अभिसरण गतिविधियों की योजना बनाई जा सके, प्रगति की समीक्षा की जा सके, मुद्दों की पहचान की जा सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- सीईओ/एसएमडी/एफएनएचडब्ल्यू कोर कमेटी की अध्यक्षता में, राज्य, अभिसरण गतिविधियों की योजना बनाने, प्रगति की समीक्षा करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी संबंधित वर्टीकल प्रमुखों (एसआईएसडी, आईबीसीबी, आजीविका- फार्म और नॉन-फार्म, एफआई आदि) के प्रतिनिधियों के साथ एक त्रैमासिक बैठक करेगा।
- जिला/ब्लॉक स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी तिमाही आवृत्ति पर संबंधित विभागों के साथ अभिसरण बैठक आयोजित करेंगे। वे जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत मौजूदा अभिसरण प्लेटफार्मों का भी उपयोग कर सकते हैं।
- सीएलएफ स्तर पर, सीएलएफ लीडर/सैक सदस्य आवश्यकतानुसार आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, एएनएम और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करेंगे और एफएनएचडब्ल्यू के लिए सैक एजेंडा के अनुसार अभिसरण (कन्वर्जेस) कार्रवाई को प्राथमिकता देंगे।
- वीओ एसएसी सदस्य/सीआरपी एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और क्षेत्र के अन्य संबंधित सदस्यों के साथ मासिक वीएचएसएनडी योजना बैठक में भाग लेंगे।
- वीओ स्तर पर, एसएसी सदस्य/सीआरपी को अपने गांव की ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों वीएचएसएनसी) /जन आरोग्य समिति (जेएएस) का हिस्सा होना चाहिए और वीएचएसएनसी/जेएएस बैठकों में भाग लेना चाहिए ताकि वे अन्य विभागों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सकें और एफएनएचडब्ल्यू आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे सकें ।

नीचे के स्तरों से जटिल अभिसरण मुद्दों को राज्य को सूचित किया जाना चाहिए । राज्य अपने स्तर पर संबधित विभागों के राज्य स्तरीय प्रमुखों से अभिसरण करके उनके जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से आवश्यकतानुसार संचार करेंगे।

अभिसरण बैठक के दौरान इन बातों का पालन करना चाहिए

- अभिसरण बैठक सुझाई गई आवृत्ति के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए (तालिका 1 देखें)।
- सभी संबंधित प्रतिभागियों (तालिका 1 देखें) को अग्रिम रूप से सूचित किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि इस काम के लिए कम से कम एक घंटा दिया जाए इसलिए, एक उपयुक्त समय और तारीख मिलकर तय की जानी चाहिए।
- कितनी प्रगति हुई है और अभिसरण कार्यों में प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक स्तर के लिए उपयुक्त अभिसरण बैठक (कन्वर्जेन्स मीटिंग) प्रारूपों (अनुलग्नक 1-5 में दिए गए) का उपयोग करें।
- अभिसरण (कन्वर्जेन्स) मुद्दे की पहचान की जानी चाहिए और इसे कम करने के लिए विशिष्ट कार्यों पर हितधारकों के बीच चर्चा की जानी चाहिए।
- संबंधित विभाग / वर्टिकल की पहचान की जानी चाहिए और उस विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। संयोजक को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग/क्षेत्रीय नोडल व्यक्ति के साथ नियमित रूप से फॉलो अप कार्रवाई करनी चाहिए।
- जो मुद्दे सबसे जटिल तथा प्राथमिकता वाले हैं उन्हें लगातार अगले स्तर पर ले जाना चाहिए।
- बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) को लिखा जाना चाहिए, प्रसारित किया जाना चाहिए और अगले स्तर के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- वीपीआरपी के तहत पहचाने गए मुद्दों और उनमें प्रस्तावित कार्रवाई को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नोट: एसआरएलएम समय की बचत करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकों के साथ ही अभिसरण बैठक (कन्वर्जन मीटिंग) को भी जोड़ सकते हैं।

डीएवाय- एनआरएलएम के फार्म-लाइवलिहुड़ वर्टिकल ने विभिन्न अभिसरण (कन्वर्जेन्स) पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन के साथ एडवाइजरी जारी की है। कृपया इस लिंक को देखें: http://mksp.gov.in/images/Compendium_of_Farm_LH_Advisories_Ver_2.4_Mar_2020.pdf

अनुलग्नक - 1

वीओ स्तर पर अभिसरण (कन्वर्जेन्स) बैठक के लिए प्रारूप

ब्लॉक का नाम: _____ **सीएलएफ का नाम:** _____ **वीओ का नाम:** _____ **तिथि:** _____

क्रम संख्या	लक्षित लाभार्थियों वाले एसएचजी परिवार (उदाहरण - गर्भवती , धात्री माताएँ, अति तथा कुपोषित बच्चे, कम वजन वाले बच्चे और किशोर*)	सेवा प्रावधान और पात्रता (वीएचएसएनडी, आजीविका, पोषण बगीचा, पीडीएस/डीएम/ पीएमजेएवाई/पीएमएसबीवाई/पीएमएमवीवाई आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ना।**)	की जाने वाली कार्रवाई	जिम्मेदार कौन होगा?	समय सीमा
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	एसएचजी/वीओ द्वारा सहयोग प्राप्त अन्य क्षेत्र (जैसे लामबंदी, प्रदर्शन, ट्रैकिंग, अनुवर्ती कार्रवाई आदि)				

* लक्षित लाभार्थियों को शामिल करने पर राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति के अनुसार विचार किया जाएगा। किसी विशेष वीओ के लाभार्थियों के बारे में जानने के लिए लाइन लिस्ट प्रारूप देखें।

**आप एक लाभार्थी के लिए विभिन्न सेवाओं या पात्रताओं पर चर्चा करने के लिए विभिन्न पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं (विभिन्न FNHW सेवाओं तथा पात्रताओं की सूची "एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों के लिए कार्य योजना कैसे विकसित करें" की एसओपी के अनुलग्नक 3 में देखें)।

वीओ सैक का नाम और हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक - 2

सीएलएफ स्तर पर अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के लिए प्रारूप

ब्लॉक का नाम: _____ **सीएलएफ का नाम:** _____ **तिथि:** _____

क्रम संख्या	अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के व्यापक क्षेत्र	प्रमुख मुद्दे	की जाने वाली कार्रवाई	जिम्मेदार कौन होगा?	समय सीमा
1	भोजन (जैसे-पीडीएस/टीएचआर से जुड़ाव, पोषण उद्यानों की स्थापना)				
2	घर पर पोषण बगीचा की स्थापना				
3	वीएचएसएनडी सेवा का प्रावधान				
4	सामुदायिक कार्यक्रम (गोद भराई/अन्नप्राशन या एसआरएलएम द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम)				
5	अन्य विभागीय अभियान (जैसे -पोषण अभियान, फिट इंडिया आदि)				
6	वीओ नेतृत्व वाले सामुदायिक अभियान का आयोजन				
7	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे-जेएसवाई, पीएमएमवीवाई, मनरेगा, पीएमजेएवाई आदि) से जुड़ाव				
8	शौचालय निर्माण				
9	ठोस- तरल अपशिष्ट प्रबंधन				
10	एफएनएचडब्ल्यू उद्यम				
11	आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य मुद्दा				

_____

सीएलएफ लीडर का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 3

ब्लॉक स्तर पर अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के लिए प्रारूप

जिले का नाम: _____ **ब्लॉक का नाम:** _____ **तिथि:** _____

क्रम संख्या	अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के व्यापक क्षेत्र	प्रमुख मुद्दे	की जाने वाली कार्रवाई	जिम्मेदार कौन होगा? (विभाग / कार्यक्षेत्र)	समय सीमा
1	पीडीएस/टीएचआर से जुड़ाव				
2	घर पर पोषण बगीचा की स्थापना				
3	वीएचएसएनडी सेवा का प्रावधान				
4	सामुदायिक कार्यक्रम(गोद भराई/अन्नप्राशन या एसआरएलएम द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम)				
5	अन्य विभागीय अभियान (जैसे- पोषण अभियान, फिट इंडिया आदि)				
6	वीओ के नेतृत्व वाले सामुदायिक अभियान का आयोजन				
7	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे-जेएसवाई, पीएमएमवीवाई, मनरेगा, पीएमजेएवाई आदि) से जुड़ाव				
8	शौचालय निर्माण				
9	ठोस- तरल अपशिष्ट प्रबंधन				
10	एफएनएचडब्ल्यू उद्यम				
11	आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य मुद्दा				

_____

बीपीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 4

जिला स्तर पर अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के लिए प्रारूप

राज्य का नाम: _____ **जिले का नाम:** _____ **तिथि:** _____

क्रम संख्या	अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के व्यापक क्षेत्र	प्रमुख मुद्दे	की जाने वाली कार्रवाई	जिम्मेदार कौन होगा? (विभाग / कार्यक्षेत्र)	समय सीमा
1	पीडीएस/टीएचआर से जुड़ाव				
2	घर पर पोषण बगीचा की स्थापना				
3	वीएचएसएनडी सेवा का प्रावधान				
4	सामुदायिक कार्यक्रम(गोद भराई/अन्नप्राशन या एसआरएलएम द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम)				
5	अन्य विभागीय अभियान (पूर्व पोषण अभियान, फिट इंडिया आदि)				
6	वीओ नेतृत्व वाले सामुदायिक अभियान का आयोजन				
7	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे-जेएसवाई, पीएमएमवीवाई, मनरेगा, पीएमजेएवाई आदि) से जुड़ाव				
8	शौचालय निर्माण				
9	ठोस- तरल अपशिष्ट प्रबंधन				
10	एफएनएचडब्ल्यू उद्यम				
11	आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य मुद्दा				

_____

डीपीएम/डीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 5

राज्य स्तर पर अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के लिए प्रारूप

राज्य का नाम: _____ **अन्तर्विभागीय/अंतर्क्षेत्रीय:** _____ **तिथि:** _____

क्रम संख्या	अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के व्यापक क्षेत्र	प्रमुख मुद्दे	की जाने वाली कार्रवाई	जिम्मेदार कौन होगा? (विभाग / कार्यक्षेत्र)	समय सीमा
1	पीडीएस/टीएचआर से जुड़ाव				
2	घर पर पोषण बगीचा की स्थापना				
3	वीएचएसएनडी सेवा का प्रावधान				
4	सामुदायिक कार्यक्रम(गोद भराई/अन्नप्राशन या एसआरएलएम द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम)				
5	अन्य विभागीय अभियान (पूर्व पोषण अभियान, फिट इंडिया आदि)				
6	वीओ नेतृत्व वाले सामुदायिक अभियान का आयोजन				
7	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे-जेएसवाई, पीएमएमवीवाई, मनरेगा, पीएमजेएवाई आदि) से जुड़ाव				
8	शौचालय निर्माण				
9	ठोस- तरल अपशिष्ट प्रबंधन				
10	एफएनएचडब्ल्यू उद्यम				
11	आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य मुद्दा				

_____

एसपीएम (एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी) का नाम और हस्ताक्षर

वीएचएसएनडी में ग्राम संगठनों की भागीदारी

महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) की अवधारणा की गई थी। एएनएम के नेतृत्व में और आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से, वीएचएसएनडी का आयोजन महीने में एक बार किया जाता है और यह स्वास्थ्य, प्रारंभिक बचपन के विकास, पोषण और स्वच्छता संबंधी सेवाओं और पात्रताओं को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाती है।[1]

वीएचएसएनडी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता मिशन सहित समुदाय स्तर के हितधारक जैसे वीएचएसएनसी सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) और अन्य संगठनों को सेवाओं के वितरण और जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ लाता है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समुदाय की जागरूकता और पहुंच में सुधार करने, आशा का सहयोग करने और स्थानीय जरूरतों के लिए विशिष्ट ग्राम स्वास्थ्य योजना विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।

एसएचजी और वीओ एसएचजी समुदाय को संगठित करने, वीएचएसएनडी सेवा प्रावधानों की उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने और सामुदायिक मुद्दों, सेवाओं की मांग को प्रस्तुत करने और वीएचएसएनडी की योजना में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वीएचएसएनडी के दिन प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची और लक्ष्य समूह नीचे तालिका में दिए गए हैं:

लक्ष्य समूह	वीएचएसएनडी सेवाओं के प्रकार
	स्वास्थ्य सेवाएं
गर्भवती महिला,स्तनपान कराने वाली माताएं,बच्चे (0-5 वर्ष, 10 साल और 16 साल) ,किशोरियाँ, , प्रजनन आयु समूह की महिलाएं	■ प्रसवपूर्व देखभाल- गर्भावस्था पंजीकरण, एएनसी जांच, सूक्ष्म पोषक तत्व पूरकता, परामर्श आदि। ■ प्रसवोत्तर देखभाल- सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूरकता और पोषण परामर्श ■ टीकाकरण -सभी बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए ■ परिवार नियोजन- गर्भ निरोधकों का वितरण और परामर्श ■ प्रजनन पथ संक्रमण- स्क्रीनिंग, परामर्श और रेफर करना ■ किशोर स्वास्थ्य- एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग और बीएमआई पर नज़र रखना, नैदानिक समस्याओं की पहचान और एएफएचसी के लिए रेफरल, सैनिटरी नैपकिन का वितरण, स्कूल न जाने वाले किशोरियों के लिए आईएफए पूरकता- स्क्रीनिंग और रेफरल
सभी आयु वर्ग	■ संचारी रोग- क्षय रोग (टीबी) के संकेतों और लक्षणों की पहचान करें, प्रोटोकॉल के अनुसार रेफ़र करें ■ गैर-संचारी रोग- स्क्रीनिंग करें, परामर्श दें और रेफर करें
प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं उनके पति और सास	■ लिंग आधारित मुद्दे - घरेलू हिंसा और प्रसव पूर्व लिंग चयन

[1] ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), 2019, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश ।

	पोषण सेवाएं
प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं, परिवार के सदस्य, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, स्कूली उम्र के बच्चे, किशोर, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ	■ पोषण संवर्धन पर जागरूकता पैदा करना ■ वृद्धि की निगरानी ■ एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन ■ विटामिन ए की पूरकता ■ पूरक आहार (टी एच आर) ■ पोषण परामर्श
	वाश (WASH) सेवाएं
प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं उनके परिवार के सदस्य	■ सेनेटरी शौचालयों का महत्व ■ सुरक्षित पेय जल ■ हाथों की सफाई ■ स्वच्छता अभियान - घर और आसपास को साफ रखना ■ शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता ■ निर्मल ग्राम पुरस्कार

जैसा कि ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों[2] द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है, वीओ लीडर/सैक सदस्य/सीआरपी वीएचएसएनडी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुझाए गए कार्रवाई बिंदु निम्नलिखित हैं:

ट्रिपल-ए कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करें:

- एसएचजी सदस्यों के लिए टीकाकरण, एएनसी आवश्यकताओं और अन्य सेवाओं के लिए एएनएम के साथ समन्वय करें
- आशा के साथ समन्वय करें और स्वयं सहायता समूह के लक्षित समूहों की सूची तैयार करें और वीएचएसएनडी के दिन संगठित करें
- वृद्धि निगरानी, टीएचआर वितरण और पोषण परामर्श के लिए एसएचजी परिवारों को जुटाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय करें

वीएचएसएनडी से पहले

- अपने गांव के वीएचएसएनसी के औपचारिक सदस्य बनें और वीएचएसएनसी की बैठक में नियमित रूप से भाग लें[3] और यह सुनिश्चित करें कि
  - एसएचजी की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मांगों को ग्राम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है
  - लक्षित समूह की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए संयुक्त निधि का उपयोग किया जाता है
- (आशा द्वारा समर्थित एएनएम के नेतृत्व में) मासिक वीएचएसएनडी योजना और समन्वय बैठक में भाग लें
  - लक्षित लाभार्थियों और उनकी एसएचजी परिवारों से पूरी हो सकने वाली ज़रूरतों की पहचान करें. गृह भ्रमण करने के लिए एसओपी में दिए गए लाइन लिस्ट का प्रारूप देखें।
  - एएनएम/आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तैयार लक्षित लाभार्थियों की पुष्टि/पूरक सूची बनाएँ

[2]Joint Advisory on Nutrition. Accessed from https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/Joint%20Advisory%20on%20Nutrition.pdf.

[3]Handbook for Members of Village Health Sanitation and Nutrition Committee Ministry of Health and Family Welfare. Government of India, New Delhi.

- वीएचएसएनडी के लिए सहायता क्षेत्रों की पहचान करें जैसे:-
  - एएनसी के दौरान गोपनीयता बनाए रखने में सहायता, शीघ्र पंजीकरण के लिए लाभार्थियों को प्राथमिकता देना
  - **अनुलग्नक-1** में दिए गए प्रारूप का उपयोग उन सहयोग क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जहां वीओ लीडर /एसएसी सदस्य वीएचएसएनडी के दौरान सहायता प्रदान कर सकते हैं।

क्या सहायता प्रदान की जा सकती है

पीने के पानी और गिलास की व्यवस्था करने, शौचालयों में साफ-सफाई और पानी की उपलब्धता बनाए रखने, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, किसी भी परेशानी से बचने के लिए कतारों में लक्षित समूहों को अलग करने, VHSND के दौरान माताओं के साथ आने वाले बच्चों की देखभाल करने, जगह उपलब्ध कराने में सहायता, एएनसी के लिए और गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्दे की व्यवस्था, महिलाओं को परामर्श देने में सहायता, जब वे सेवाओं को लेने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही होती हैं जैसे-जन्म की तैयारी, स्तनपान, पूरक आहार, अति कुपोषित बच्चे, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का नामांकन, पारिवारिक आहार विविधता आदि, संतुलित आहार का महत्व, दैनिक व्यायाम और ध्यान आदि जैसे जीवन शैली के पहलू, आवश्यक गतिविधियों का प्रदर्शन जैसे हाथ धोना, स्क्रीनिंग के लिए अलगाव, रेफेरल के लिए साथ जाना, किशोरियों और नवविवाहितों को सेवा प्राप्त करते समय अवरोधों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना, वृद्धि निगरानी सत्र के दौरान सहायता देना और ओआरएस तैयार करना आदि ।

अनुलग्नक-1 में विवरण भरते समय उपरोक्त सूची देखें। हालाँकि, ऊपर दी गई सूची यही तक सीमित नहीं है।

- ज़रुरत के अनुसार जागरूकता सृजन/प्रदर्शन का आयोजन करें
- मासिक बैठकों के दौरान एसएचजी सदस्यों को वीएचएसएनडी की सही तारीख/दिन के बारे में बताएं।
- दिनांक और स्थान के बारे में सूचित करके स्वयं सहायता समूहों की वीओ/क्लस्टर बैठकों में भाग लेने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा के साथ समन्वय स्थापित करें। वीओ के साथ अपनी बातचीत के दौरान, वे सदस्यों के बीच नई पहलों, समुदाय-आधारित कार्यक्रमों और अन्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

वीएचएसएनडी के दिन

- उचित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वीएचएसएनडी के दिन पहचाने गए लक्षित समूह को एकत्रित करें
- **अनुलग्नक-1** का उपयोग करके पहचानी गई वीएचएसएनडी गतिविधियों के संचालन में सहायता प्रदान करें
- पीआरआई के सहयोग से,एएनएम/आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को वीएचएसएनडी के दिन समय पर सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करें और
  - (i) सुनिश्चित करें कि वीएचएसएनडी की बैठक हर माह आयोजित हो रही है
  - (ii) सुनिश्चित करें कि वीएचएसएनडी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं
  - (iii) आवश्यक आपूर्ति और रसद की ज़रुरत को प्रकाश में लाएं

वीएचएसएनडी के बाद

- वीएचएसएनडी सत्र के बाद एसएचजी परिवारों के लक्षित समूहों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो अप) करें
- वीएचएसएनडी में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने से छूटे हुए लक्षित सदस्यों की पहचान करें, उनके लिए एक योजना तैयार करें और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो अप) करें।

हर महीने वीएचएसएनडी सेवाओं और पात्रताओं का लाभ उठाने वाले लक्षित लाभार्थियों (एसएचजी परिवारों में रहने वाले) का ट्रैक और रिकॉर्ड रखें (मासिक आधार पर लाभार्थी-वार डेटा कैप्चर करने के लिए एसओपी "गृह भ्रमण कैसे करें" में दिए गए मासिक होम विजिट चेकलिस्ट प्रारूप का उपयोग करें)

- एनआरसी से डिस्चार्ज किए गए एसएएम बच्चों की पहचान करें और उनके बारे में लगातार जानकारी लेते रहें और परिवार को एसएचजी (यदि पहले से नहीं है) आदि से जोड़ने के साथ-साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो अप) के लिए समन्वय करें।
- उच्च जोखिम वाले लक्ष्य समूह (गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और माताओं) वाले परिवारों को गोद लेने में आगे आकर सहायता प्रदान करें और लक्ष्य संदेश को सभी तक पहुंचाएं ।

विचार करने के लिए अतिरिक्त बिंदु

- संवेदनशीलता न्यूनीकरण योजना (वीआरपी) के दौरान संवेदनशील परिवारों की पहचान करना और संवेदनशीलता न्यूनीकरण कोष (वीआरएफ) के माध्यम से सहायता प्रदान करना। वीएचएसएनडी सेवा प्रावधानों से संबंधित सामूहिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वीआरएफ (वीओ के पास उपलब्ध) को प्राथमिकता देने और उपयोग में सहायता करना
- ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी) में वीएचएसएनडी सेवाओं / पात्रता प्रावधानों के संबंध में मांगों या अधूरी जरूरतों को शामिल करना
- उभरती स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त प्रयास के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करना (उदाहरण के लिए COVID 19 महामारी के दौरान समर्थन)
- वीएचएसएनसी, सामुदायिक मंचों और ग्राम सभाओं में एसएचजी मुद्दों का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करना

अनुलग्नक-1

वीएचएसएनडी के लिए सहयोग क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वीओ एसएसी सदस्य/सीआरपी के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ **सीएलएफ का नाम:** _____

गांव का नाम: _____

वीओ लीडर / एसएसी सदस्य/सीआरपी के नाम और मोबाइल नं.: _____

वीएचएसएनडी का आयोजन हुआ (हां/नहीं)	
लक्षित लाभार्थियों की संख्या	
इस महीने जोड़े गए लक्षित लाभार्थियों की संख्या	
वीओ एसएसी/सीआरपी ने वीएचएसएनडी में भाग लिया (हां/नहीं)	

यह उन गतिविधियों की पहचान करने में मदद करेगा जो वीएचएसएनडी के दिन की जा सकती हैं। मुख्य पृष्ठों में दिए गए वीएचएसएनडी सेवाओं के प्रावधानों और समर्थन कार्यों की सूची देखें।

वीएचएसएनडी गतिविधियां	वीओ लीडर/एसएसी सदस्य/सीआरपी द्वारा सहायता
सामान्य पहलू (पीने के पानी की उपलब्धता और शौचालय की सुविधा आदि)	
स्वास्थ्य (एएनसी/पीएनसी, आईएफए/ कैल्शियम अनुपूरण, परामर्श, टीकाकरण, पेट के कीड़े मारना, लाभार्थी को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ना, संचारी और गैर-संचारी रोग आदि)।	
पोषण (वृद्धि निगरानी, एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, विटामिन ए पूरकता, टीएचआर, पोषण परामर्श, लाभार्थी को टीएचआर आदि जैसे पात्रता के साथ जोड़ना)	
स्वच्छता (लाभार्थी को उपयुक्त योजनाओं से जोड़ना, सुरक्षित पेयजल, हैंडवाश और शौचालय के उपयोग आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना।	
कोई अन्य (स्वयं सहायता समूह के परिवार को जुटाना आदि)	

हस्ताक्षर (वीओ लीडर/सैक सदस्य/सीआरपी)

_____

गृह भ्रमण कैसे करें?

गृह भ्रमण करना सामुदायिक सेवा प्रावधानों के आवश्यक घटकों में से एक है क्योंकि यह प्रमुख संदेशों को दोहराने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें गृह भ्रमण करने के दौरान पूरा किया जा सकता है जैसे लक्षित समूहों और उनके परिवारों को परामर्श देना, उचित एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों के अनुपालन की जांच करना, समर्थन के क्षेत्रों की पहचान करना और अनुवर्ती कार्रवाई और महिला एवं बाल विकास विभाग और वीओ द्वारा आयोजित समुदाय-आधारित कार्यक्रमों की तारीखों को याद दिलाना आदि । जब व्यवहार परिवर्तन की बात आती है तो यह इसे सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों में से एक बनाता है।

उद्देश्य

- लक्षित लाभार्थियों और उनके परिवारों को अच्छे एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार अपनाने के लिए परामर्श देना
- परिवारों को मौजूदा एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं के बारे में जागरूक करना और उन्हें एफएनएचडब्ल्यू योजनाओं और पात्रताओं से जोड़ने में सहायता प्रदान करना
- उपयुक्त एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों का अनुपालन सुनिश्चित करना और लक्षित समूहों/परिवार द्वारा अपेक्षित सहायता प्रदान करना
- एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं तक पहुँचने के लिए लक्षित लाभार्थियों को जोड़ना, इनमें वे सेवाएं भी शामिल हैं जो आंगनवाड़ी और वीएचएसएनडी प्लेटफार्म पर वितरित की जाती हैं

बदलती जरूरतों के आधार पर लक्षित लाभार्थी समावेशन का दायरा बढ़ाया जा सकता है; उदाहरण के लिए- अति कुपोषित बच्चों, नवविवाहितों और बुजुर्गों जैसे लक्षित समूह सदस्यों आदि के यहां गृह भ्रमण करने पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा करना एफएनएचडब्लू स्थिति को सुधारने में सहायक हो।

संचालन कौन करेगा?

कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी)/वीओ सोशल एक्शन कमेटी (एसएसी) के सदस्य

घरों का दौरा करने के दौरान क्या-क्या सामान ले जाना चाहिए?

- काउंसलिंग कार्ड
- होम-विज़िट चेकलिस्ट

गृह भ्रमण की प्रक्रिया

एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं को बढ़ाने के लिए लक्षित लाभार्थियों के घरों में मासिक गृह भ्रमण करने की प्रक्रिया की अनुसंशा की जाती है। एफएनएचडब्ल्यू के लिए गृह भ्रमण कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी)/वीओ-सोशल एक्शन कमेटी (एसएसी) के सदस्यों द्वारा उन घरों में किया जाता है जहां लक्षित लाभार्थी रहते हैं। लक्षित लाभार्थियों का निर्धारण राज्य द्वारा उनकी राज्य एफएनएचडब्ल्यू रणनीति के आधार पर किया जाएगा।

नोट: यह सलाह दी जाती है कि अधिक प्रभाव पैदा करने और दोहराव से बचने के लिए गृह भ्रमण की योजना बनाई जाए और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम किया जाए।

1. गृह भ्रमण की योजना बनाएं

- **लक्षित लाभार्थियों की सूची बनाएं-** सीआरपी/वीओ-सैक मासिक स्वैच्छिक संगठनों की बैठकों के दौरान जानकारी एकत्र करके एसएचजी परिवारों के लक्षित लाभार्थियों का रिकॉर्ड विकसित करेगा। इन बैठकों में भाग लेने के लिए आने वाले सभी एसएचजी लीडर को अग्रिम रूप से अपने संबंधित एसएचजी से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए। मासिक वीएचएसएनडी योजना बैठक के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम के पास उपलब्ध जानकारी के साथ इस लाभार्थी – लाइन लिस्ट की प्रमुखता से पुष्टि की जानी चाहिए। लाभार्थी लाइन लिस्ट के लिए अनुलग्नक-1 (ए और बी) का प्रयोग करें। लाभार्थी लाइन लिस्ट का हर तीन माह पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

एसएचजी सदस्य कोई भी नया लाभार्थी जोड़ने के लिए सीआरपी/वीओ-एसएसी को सूचित कर सकते हैं; उदाहरण के लिए- नई गर्भवती महिला, एसएचजी में नया जुड़ने वाला व्यक्ति, गांव के एसएचजी परिवार में रहने के लिए आने वाला कोई भी सदस्य आदि।

- **गृह भ्रमण करने के लिए एक सूक्ष्म योजना विकसित करें**

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा के साथ ग्राम स्तर पर एक मासिक सूक्ष्म योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए गृह भ्रमण और परामर्श कार्यक्रम को सुव्यवस्थित किया जा सके। गृह भ्रमण कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम को शामिल करने से अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह सुझाव दिया जाता है कि एक महीने में लक्षित लाभार्थियों वाले कम से कम 3-एसएचजी परिवारों में सीआरपी/वीओ-सैक द्वारा गृह भ्रमण किए जाने चाहिए। इनमे उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्हें जोखिम अधिक है, जैसे- तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला, हाल ही में जन्मी मां, 6 महीने की उम्र पूरी करने वाला एक छोटा बच्चा, अति कुपोषित / कुपोषित बच्चे और एनीमिक किशोरियाँ आदि।

> माइक्रो-प्लानिंग शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि किसी एक ग्राम संगठन के सभी लाभार्थी के घर, तीन महीने के दौरान, गृह भ्रमण किया जा सके।

2. **गृह भ्रमण करें**

- एसएचजी बैठक/बैठकों के दौरान घर जाने के लिए सुविधाजनक तारीख और समय तय करें।
- गृह भ्रमण करें और उसके उद्देश्यों को बताएं और जिस घर में गए हैं वहां से जाने से पहले अगली मुलाकात की तारीख तय करें।
- लाभार्थी द्वारा एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं के उपयोग और हकदारियों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए होम विजिट चेकलिस्ट (**अनुलग्नक-2**) का उपयोग करें।
- परामर्श के लिए परामर्श कार्ड (मानक SBCC सामाग्री के रूप में विकसित किया गया) का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है और आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। कार्ड काउंसलर (सीआरपी/वीओ-सैक) को प्रासंगिक परामर्श बिंदुओं को याद करने में मदद करेंगे (और वीएचएसएनडी, समुदाय-आधारित कार्यक्रमों, वीओ स्तर एफएनएचडब्ल्यू कार्यक्रमों, पोषण अभियान और कोविड टीकाकरण आदि में भागीदारी के लिए याद दिलाते हैं), जबकि कार्ड पर बने चित्रों से लाभार्थी/परिवार को मुख्य बिंदु समझने में मदद मिलेगी। एएनएम/आशा द्वारा प्रदान किया गया मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (एमसीपी) कार्ड, यदि उपलब्ध हो, तो वह भी परामर्श के लिए उपयोग किया जा सकता है। पारिवारिक संवाद करने और देखभाल में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए प्रायः परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में परामर्श सत्र आयोजित करें। परामर्श के दौरान दिए जाने वाले प्रमुख संदेशों को समझने के लिए **बॉक्स 1** को देखा जा सकता है।

> प्रायः घर का दौरा तब करें जब परिवार के अधिकांश सदस्य मौजूद हों।

बॉक्स 1: मुख्य संदेश वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले काउंसलिंग कार्ड

लक्षित लाभार्थी	उपयोग किए जाने वाले परामर्श कार्ड
गर्भवती महिला	मातृ पोषण + एएनसी और जन्म की तैयारी + नवजात शिशु की देखभाल + एनीमिया + पीडीएस / टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
स्तनपान कराने वाली माताएं (0-6 महीने)	मातृ पोषण + स्तनपान + पीडीएस / टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
स्तनपान कराने वाली माताएं (6-24 महीने)	मातृ पोषण+पूरक आहार+ पीडीएस / टीएचआर + पोषण बगीचा +स्वच्छता संबंधी व्यवहार
किशोरियां	पारिवारिक आहार विविधता + किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण + एनीमिया + मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
नव विवाहित	परिवार नियोजन + पारिवारिक आहार विविधता + एनीमिया + मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार

- सभी महिलाओं को अपने गांवों की एसएचजी मासिक बैठकों के दौरान आयोजित एफएनएचडब्ल्यू सत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। गोदभराई और अन्नप्राशन दिवस जैसे समुदाय आधारित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रेरित किया जा सकता है।

3. पोषण बगीचा पर डेटा प्राप्त करने के लिए मासिक रिपोर्टिंग प्रारूप (**अनुलग्नक 3**) का उपयोग करें।

पोषण बगीचा करने की योजना बनाते और संचालन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

परिवार के साथ घुलना-मिलना एवं अच्छे संबंध बनाना

- हमेशा लक्षित लाभार्थी और परिवार के सदस्यों को उचित रूप से अभिवादन और संबोधित करें
- सरल भाषा में और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रश्न पूछें
- उनके साथ सहानुभूति रखें
- उन्हें आश्वस्त करें कि वे जो जानकारी साझा करते हैं उसे गोपनीय रखा जाएगा ताकि वे साझा करने में संकोच न करें।

सलाह दें (जबरदस्ती न करें)

- परामर्श देते समय परामर्श देने वाले व्यक्ति के सामने बैठें और उससे नज़रें मिलाकर बात करें
- धैर्य रखें और व्यक्ति को जवाब देने का समय दें।
- प्रश्न पूछें और उस विषय विशेष पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करें।
- ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया दें जो संबंधित हो
- उनकी बात ध्यान से सुनें और उनकी प्रतिक्रिया से जो कुछ भी आपको समझ में आए, उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दें।

विश्वास बनाएं

- उनकी राय को खारिज न करें।
- उनके द्वारा कही गई किसी भी बात को सही करने से पहले उन्हें ध्यान से सुन लें। यह आपके प्रति व्यक्ति के मन में विश्वास जगाता है।
- सकारात्मक व्यवहार और आदतों की सराहना करें।
- व्यावहारिक उदाहरणों का प्रयोग करते हुए उन्हें परामर्श दें।
- एक या दो सबसे जरूरी मुद्दों पर बात करें, व्याख्यान न दें।

परामर्श आयोजित करने के चरण

चरण 1: पूछें, सुनें और देखें

चरण 2: विश्लेषण - समस्या की पहचान करें, यदि यह एक से अधिक है तो समस्याओं को प्राथमिकता दें और फिर विश्लेषण करें।

चरण 3: समाधान दें - किसी विशेष समस्या पर चर्चा करें, महत्वपूर्ण जानकारी दें, और हल की गई समस्याओं पर सहमति दें।

अनुलग्नक – 1 ए

एसएचजी स्तर पर लाभार्थी लाइन लिस्ट बनाने के लिए प्रारूप

एसएचजी का नाम: _____ **वीओ का नाम:** _____ **सीएलएफ का नाम:** _____

ब्लॉक का नाम: _____ **गांव का नाम:** _____ **सीआरपी/वीओ-सैक का नाम व मोबाइल नं.:** _____

क्रम संख्या	लाभार्थियों के प्रकार					एसएचजी की सदस्यता	
	गर्भवती महिला का नाम / गर्भधारण की अवधि	0-6 माह के बच्चे को स्तनपान करानेवाली महिला का नाम / बच्चे के जन्म की तारीख	6 से 24 माह के बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिला का नाम / बच्चे के जन्म की तारीख	किशोर लड़की का नाम / आयु (वर्षों में)	नव विवाहित का नाम	एसएचजी सदस्य हैं या नहीं	यदि नहीं तो परिवार में कोई और एसएचजी सदस्य है (जैसे मां/सास)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
कुल							

एसएचजी लीडर के हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक – 1 बी

वीओ स्तर पर लाभार्थी लाइन लिस्ट संकलन के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ **सीएलएफ का नाम:** _____ **ब्लॉक का नाम:** _____

गांव का नाम: _____ **एसएचजी की कुल संख्या:** _____ **सीआरपी/वीओ-सैक का नाम व मोबाइल नं.:** _____

क्रम संख्या	एसएचजी सदस्य का नाम	लाभार्थियों के प्रकार						
		गर्भवती महिला का नाम / गर्भधारण की अवधि	0-6 माह के बच्चे को स्तनपान करानेवाली महिला का नाम / बच्चे के जन्म की तारीख	6 से 24 माह के बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिला का नाम / बच्चे के जन्म की तारीख	किशोर लड़की का नाम / आयु (वर्षों में)	नव विवाहित का नाम	एसएचजी सदस्य हैं या नहीं	यदि नहीं तो परिवार में कोई और एसएचजी सदस्य है (जैसे मां/ सास)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
कुल								

सीआरपी/वीओ-सैक के हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक - 2

एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं के लिए होम विजिट चेकलिस्ट

वीओ का नाम: _____ सीएलएफ का नाम: _____ ब्लॉक का नाम: _____

गांव का नाम: _____ एसएचजी की कुल संख्या: _____ सीआरपी/वीओ-सैक का नाम व मोबाइल नं.: _____

आप निम्न में से कौन सी सेवा और पात्रता प्राप्त कर रहे हैं																			
क्रम संख्या	लक्ष्य लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का प्रकार (जो भी लागू हो लिखें) (गर्भवती महिला / 0-6 महीने के बच्चे को स्तनपान कराने वाली मां / 6-24 महीने के बच्चे को स्तनपान कराने वाली मां / किशोर लड़की / नवविवाहिता)		आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हैं		हां /ना		क्या आपके पास एमसीपी कार्ड है?				हाँ/ ना				सरकारी योजनाएं			
			क्या आपको टीएचआर. मिल रहा है	क्या सभी एएनसी किए जा रहे हैं	क्या आप आईएफए टैबलेट का सेवन कर रहे हैं	क्या आप आहार विविधता का पालन कर रहे हैं (10 में से 5 खाद्य समूहों का सेवन)	क्या आप मासिक वृद्धि निगरानी कर रहे हैं	क्या आपने बच्चे के जन्म की तैयारी- पूरी कर ली है	क्या आप परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं	क्या आप शौचालय का उपयोग करते हैं	क्या आपके घर में पोषण बगीचा / घरेलु मुर्गी पालन है	क्या आपको नियमित टीकाकरण मिलता है	क्या घर पर ओआरएस उपलब्ध है	क्या आप पीडीएस से जुड़े हुए हैं?	क्या आपको मध्यान्ह भोजन मिल रहा है	क्या आप जननी सुरक्षा योजना से जुड़े हैं?	क्या आप पी म जे ए वाय से जुड़े हुए हैं?	क्या आप पी एम वी वाय का लाभ उठाते हैं	क्या आप पी एम एस बी वाय से जुड़े हैं
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

नोट: प्रतिक्रियाएँ दर्ज करने के लिए जहाँ भी उपयुक्त हो हाँ/नहीं लिखें।

सीआरपी/वीओ-सैक के हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक – 3

मासिक रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

वीओ का नाम : _____ **सीएलएफ का नाम:** _____ **ब्लॉक का नाम:** _____

ग्राम का नाम: _____ **एसएचजी की कुल संख्या:** _____ **सीआरपी/ वीओ -SAC का नाम और मोबाइल नं:** _____

माह	गर्भवती महिलाएं		स्तनपान कराने वाली माताएं				किशोर लड़कियां		नवविवाहित	
			0-6 माह के शिशु को स्तनपान कराने वाली माताएं		6-24 माह के शिशु को स्तनपान कराने वाली माताएं					
	लक्ष्य	घर जिनका भ्रमण किया गया	लक्ष्य	घर जिनका भ्रमण किया गया	लक्ष्य	घर जिनका भ्रमण किया गया	लक्ष्य	घर जिनका भ्रमण किया गया	लक्ष्य	घर जिनका भ्रमण किया गया
जनवरी										
फरवरी										
मार्च										
अप्रैल										
मई										
जून										
जुलाई										
अगस्त										
सितंबर										
अक्टूबर										
नवंबर										
दिसंबर										

सीआरपी/वीओ-SAC के हस्ताक्षर

_____

एसएचजी परिवारों में पीयर काउंसलिंग कैसे आयोजित करें?

पीयर काउंसलिंग व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक ऐसा क्रियाकलाप है जहां समुदाय में उपस्थित व्यक्ति/समूह प्रमुख संदेशों का अनुभव साझा करते/ दोहराते हैं। एसएचजी परिवारों में पीयर काउंसलिंग कैसे किया जाए, इसे अमल में लाने के पहलुओं का विस्तार से वर्णन इस SOP में किया गया है।

उद्देश्य

- लक्षित लाभार्थियों और उनके परिवारों, विशेष रूप से परिवार के प्रभावशाली लोगों/निर्णय करने वालों (उदाहरण के लिए-पुरुष सदस्यों और बुजुर्गों) को अच्छे एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार अपनाने के लिए परामर्श देना
- प्रभावशाली लोगों की उपस्थिति में प्रमुख संदेशों को दोहराना और परिवार को एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं से जोड़ने में सहायता प्रदान करना
- एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं तक पहुँचने में लक्षित समूह की देखभाल करने और सहायता प्रदान करने के लिए परिवार के प्रभावशाली लोगों/ निर्णय करने वालों विशेष रूप से पुरुष सदस्यों को संगठित करना

ध्यान देने योग्य बात

सीआरपी/वीओ-SAC सदस्यों को एसएचजी मुखिया की मदद करने के लिए लक्षित समूह को दी जाने वाली परामर्श प्रक्रिया और जो महत्वपूर्ण संदेश उन्हें दिए जाने हैं, उन पर उन्मुख होना चाहिए ताकि वे इस गतिविधि को आगे बढ़ा सकें।

एसएचजी परिवारों में पीयर काउंसलिंग शुरू करने की प्रक्रिया

यह अनिवार्य किया गया है कि नियमित एसएचजी बैठक के दौरान महीने में एक बार एफएनएचडब्ल्यू सत्र शुरू किया जाए। लक्षित समूह (उदाहरण के लिए- गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माँ, बच्चे और किशोरियां आदि) की उपस्थिति वाले एसएचजी परिवारों में ऐसी बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया जाता है। यह एसएचजी सदस्यों को बातचीत करने और (समूह में) परामर्श देने का अवसर प्रदान करेगा और परिवार के उन निर्णय निर्मातों को प्रभावित करेगा जो लक्षित समूह की देखभाल करते हैं और उनसे एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार को अपनाने के बारे में कह सकते हैं। लक्षित लाभार्थियों का निर्धारण राज्य द्वारा उनकी राज्य एफएनएचडब्ल्यू रणनीति के आधार पर किया जाएगा।

आवश्यकतानुसार लक्षित लाभार्थियों को शामिल करने का दायरा बढ़ाया जा सकता है; उदाहरण के लिए- अति कुपोषित बच्चों, नवविवाहितों और बुजुर्गों आदि के लिए पीयर काउंसलिंग क्रियाकलापों के लिए विचार किया जा सकता है, यदि ये एफएनएचडब्ल्यू स्थिति को सुधारने में सहायक हैं।

पीयर काउंसलिंग के लिए अप्रोच

- स्वयं सहायता समूह मुखिया के नेतृत्व में, स्वयं सहायता समूहो के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए पीयर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया जाना चाहिए।
- एक सहकर्मी जिसने अनुशंसित एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों का अभ्यास किया हो और वांछित परिणाम प्राप्त किए हों (जैसे गर्भावस्था पंजीकरण, 4 एएनसी, संस्थागत प्रसव, आहार विविधता आदि) वह भी लक्षित लाभार्थियों को पीयर काउंसलिंग दे सकता हैं।
- यदि किसी एसएचजी परिवार में पीयर काउंसलिंग किया जा रहा है तो उस परिवार में उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है जो समान लक्षित समूह और समान एसएचजी समुदाय के हैं

एसएचजी समूहों में पीयर काउंसलिंग का संचालन और मार्गदर्शन सीआरपी/वीओ सैक या किसी अन्य प्रशिक्षित कैडर द्वारा किया जाना चाहिए, जो अपने राज्य की मानव संसाधन संरचना के आधार पर पहचाना जाता हो।

पीयर काउंसलिंग के दौरान कौन सी चीजें ले जानी चाहिए?

- परामर्श कार्ड
- पीयर काउंसलिंग चेक लिस्ट

झारखंड एसआरएलएम ने पीयर काउंसलिंग गतिविधि का क्रियान्वयन किया है और इसे कई जिलों तक बढ़ाया है। उस पर विस्तृत मार्गदर्शन इस लिंक पर उपलब्ध है: http://www.jslps.in/national-sop-for-FNHW-intervention.html अन्य एसआरएलएम अधिक समझ के लिए झारखंड में संबंधित टीम से जुड़ सकते हैं।

1. पीयर काउंसलिंग के लिए लक्षित समूहों की पहचान करना और सूक्ष्म योजना विकसित करना

- **लक्षित लाभार्थियों को लाइन-लिस्ट करें** - सीआरपी/वीओ-SAC मासिक एसएचजी बैठकों के दौरान जानकारी एकत्र करके एसएचजी मुखिया की मदद से लक्षित लाभार्थियों का रिकॉर्ड विकसित करेगा। मासिक वीएचएसएनडी योजना बैठक के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम के पास उपलब्ध सूचना से इस सूची की पुष्टि की जानी चाहिए। लाभार्थी लाइन-लिस्ट के लिए एसओपी "गृह भ्रमण कैसे करें" में दिए गए अनुसार अनुलग्नक- 1 (ए और बी) का उपयोग करें। लाभार्थी लाइन लिस्ट का हर तीन माह में अद्यतन किया जाना चाहिए। एसएचजी सदस्य कोई भी नया लाभार्थी जोड़ने के लिए सीआरपी/वीओ-एसएसी को सूचित कर सकते हैं; उदाहरण के लिए- नई गर्भवती महिला, एसएचजी में नया जुड़ने वाला व्यक्ति, गांव के एसएचजी परिवार में रहने के लिए आने वाला कोई भी सदस्य आदि।

- **एसएचजी परिवारों में पीयर काउंसलिंग आयोजित करने के लिए मासिक सूक्ष्म योजना विकसित करना** - एसएचजी मुखिया के साथ मिलकर वीओ स्तर पर एक मासिक सूक्ष्म योजना तैयार की जानी चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि एफएनएचडब्ल्यू एजेंडा के साथ सभी एसएचजी बैठकें लक्षित लाभार्थियों वाले एसएचजी परिवारों में आयोजित की जानी चाहिए। इन बैठकों में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसे- तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला, एक छोटा बच्चा जो लगभग 6 महीने का होने वाला है, अति कुपोषित / कुपोषित बच्चे और एनीमिक किशोरियाँ आदि। पीयर काउंसलिंग के दौरान दिए जाने वाले प्रमुख एफएनएचडब्ल्यू संदेशों को समझने के लिए **बॉक्स 1** देखें।

माइक्रो-प्लानिंग शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि हर महीने लक्षित लाभार्थियों और उनके परिवारों के नए समूह को पीयर काउंसलिंग दिया जाए। पीयर काउंसलिंग सत्रों के लिए सभी लक्षित समूहों तक पहुंचने के बाद चक्र जारी रहेगा।

2. पीयर काउंसलिंग करना

- एफएनएचडब्ल्यू बैठक और पीयर काउंसलिंग करने के लिए चिन्हित एसएचजी परिवार से मिलने की तारीख तय करने के लिए अग्रिम रूप से सूचित करें/अनुमति लें। काउंसलिंग के लिए ऐसा समय चुनें जब परिवार के सभी सदस्य मौजूद हों। परिवार के सदस्यों की उपस्थिति के आधार पर, मासिक एफएनएचडब्ल्यू बैठक समाप्त होने से पहले या बाद में पीयर काउंसलिंग करें।

- लक्षित समूह और परामर्शदाता द्वारा एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं के उपयोग और पात्रताओं की वर्तमान स्थिति को उचित रूप से समझने के लिए पीयर काउंसलिंग चेकलिस्ट (अनुलग्नक-1) का उपयोग करें।

- लक्षित लाभार्थी सहित परिवार के सभी सदस्यों को एक स्थान पर एकत्रित करें और पीयर काउंसलिंग सत्र शुरू करें। लक्षित लाभार्थी की ज़रुरत के अनुसार उसे प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें। यदि उपलब्ध हो तो आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी सत्र के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

- लक्षित लाभार्थी और उसके परिवार को परामर्श देने के लिए परामर्श कार्ड (मानक SBCC सामाग्री के रूप में विकसित किया गया) का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। कार्ड प्रासंगिक प्रमुख संदेशों को याद करने में पीयर काउंसलिंगदाताओं की मदद करेंगे, जबकि कार्ड पर चित्र लाभार्थी की मदद करेंगे (देखें बॉक्स 1)। एएनएम/आशा द्वारा प्रदान किया गया मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (एमसीपी) कार्ड, यदि उपलब्ध हो, तो परामर्श के उद्देश्य से भी उपयोग किया जा सकता है।

बॉक्स 1: मुख्य संदेश प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परामर्श कार्ड	
लक्ष्य समूह	उपयोग किए जाने वाले परामर्श कार्ड (संयुक्त रूप में)
गर्भवती महिलाएं	मातृ पोषण +एएनसी और जन्म की तैयारी+नवजात शिशु की देखभाल+एनीमिया + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
स्तनपान कराने वाली माताएं (0-6 महीने)	मातृ पोषण + स्तनपान + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
स्तनपान कराने वाली माताएं (6-24 महीने)	मातृ पोषण + पूरक आहार+ पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
किशोर लड़कियां	पारिवारिक आहार विविधता + किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण + एनीमिया + मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
नव विवाहित	परिवार नियोजन + परिवार आहार विविधता + एनीमिया + मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार

नोट: एफएनएचडब्ल्यू सत्र नियमित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा।

- सहकर्मी समूह हाथ धोने जैसी प्रासंगिक अच्छी एफएनएचडब्ल्यू आदतों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं

3. एसएचजी मुखिया को मासिक वीओ बैठकों के दौरान सीआरपी/वीओ-SAC को कार्य पूरा होने के बारे में सूचित करना चाहिए, जो मासिक रिपोर्टिंग प्रारूप (**अनुलग्नक- 2**) में डेटा भरेगा।

अनुलग्नक – 1

एफएनएचडब्ल्यू सेवाओं और पात्रताओं के लिए पीयर काउंसलिंग जांच सूची

वीओ का नाम: _____ **सीएलएफ का नाम:** _____ **ब्लॉक का नाम:** _____

गांव का नाम: _____ **एसएचजी की कुल संख्या:** _____ **सीआरपी/ वीओ-SAC का नाम और मोबाइल नं.:** _____

आप निम्न में से किस सेवा और पात्रता का लाभ उठा रहे हैं																				
क्रम संख्या	लक्षित लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का प्रकार (जो भी लागू हो लिखें) (गर्भवती महिला / 0-6 महीने के बच्चे को /स्तनपान कराने वाली माँ / 6.24 महीने के बच्चे को स्तनपान कराने वाली माँ / किशोर लड़की / नवविवाहित)		आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत		हाँ/नहीं		क्या आपके पास एमसीपी कार्ड है?				हाँ/नहीं				सरकारी योजनाएं			
			क्या आपको टीएचआर मिल रहा है	सभी एएनसी किए जा रहे हैं	क्या आप आईएफए टैबलेट का सेवन कर रहे हैं	क्या आप आहार विविधता अपना रहे हैं (10 में से 5 खाद्य समूहों का सेवन)	क्या आप मासिक वृद्धि निगरानी कर रहे हैं	क्या आपने बच्चे के जन्म की तैयारी पूरी कर ली है	क्या आप परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं	क्या आप शौचालय का उपयोग करते हैं	क्या आपके घर में पोषण बगीचा घरेलु मुर्गीपालन हैं?	क्या आपको नियमित टीकाकरण मिलता है	क्या घर पर ओआरएस उपलब्ध है	क्या आप पीडीएस से जुड़े हैं	क्या आपको मध्यान्ह भोजन मिल रहा है	क्या आप जननी सुरक्षा योजना से जुड़े हैं	क्या आप पीएम जेएवाय से जुड़े हैं	क्या आप पीएमएमवीवाय का लाभ ले रहे हैं	क्या आप पीएमएसबीवाय से जुड़े हैं
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

नोट: प्रतिक्रियाओं को दर्ज करने के लिए जहां उपयुक्त हो वहां हाँ/नहीं लिखें।

हस्ताक्षर (एसएचजी मुखिया)

_____

अनुलग्नक – 2

मासिक रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ **सीएलएफ का नाम:** _____ **ब्लॉक का नाम:** _____

गांव का नाम: _____ **एसएचजी की कुल संख्या:** _____ **सीआरपी/ वीओ-SAC का नाम और मोबाइल नं** _____

माह	गर्भवती महिला		स्तनपान कराने वाली महिलाएं				किशोर लड़कियां		नव विवाहित	
			6 माह के बच्चे को स्तनपान कराने वाली माताएं		6-24 माह के बच्चे को स्तनपान कराने वाली माताएं					
	लक्ष्य	मासिक एफएनएचडब्लू बैठकों के दौरान पीयर काउंसलिंग की गयी	लक्ष्य	मासिक एफएनएचडब्लू बैठकों के दौरान पीयर काउंसलिंग की गयी	लक्ष्य	मासिक एफएनएचडब्लू बैठकों के दौरान पीयर काउंसलिंग की गयी	लक्ष्य	मासिक एफएनएचडब्लू बैठकों के दौरान पीयर काउंसलिंग की गयी	लक्ष्य	मासिक एफएनएचडब्लू बैठकों के दौरान पीयर काउंसलिंग की गयी
जनवरी										
फरवरी										
मार्च										
अप्रैल										
मई										
जून										
जुलाई										
अगस्त										
सितंबर										
अक्टूबर										
नवंबर										
दिसंबर										

नाम और हस्ताक्षर(सीआरपी/वीओ-SAC)

_____

एफएनएचडब्लू आयोजन /अभियान आयोजित करने के चरण

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाते हुए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और इसके संगठनों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से समाज में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता (एफएनएचडब्ल्यू) पर लोगों की व्यवहारों में बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं। एसबीसीसी को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शिका में कहा गया है कि एफएनएचडब्ल्यू के सन्दर्भ में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए सामुदायिक स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू विषय पर आयोजनों या अभियानों का आयोजन करना, सकारात्मक सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के प्रमुख उपायों में से एक है। इस सन्दर्भ में, राज्य की एफएनएचडब्ल्यू संचालन रणनीति के अनुसार एसआरएलएम द्वारा अपने लक्षित समूहों (जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, छोटे बच्चों, किशोरियों और नवविवाहितों आदि) के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वीओ स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू पर सामुदायिक आयोजन या अभियान लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। इन आयोजनों/अभियानों का उद्देश्य प्रमुख संदेशों को दोहराना, परिवारों और समुदाय को प्रभावित करने वाले लोगों को शामिल करना और `समूह बैठकों में शुरू किए गए एफएनएचडब्ल्यू सत्र के साथ तालमेल बिठाना है।

उद्देश्य

- लक्षित समूह, उनके परिवारों और समग्र रूप से एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए प्रमुख संदेशों को दोहराना और सक्षम वातावरण बनाना
- सामुदायिक एकत्रीकरण प्रयास के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के बाहर के लोगों तक पहुंचना
- समुदाय स्तर के विजेताओं की पहचान करना और समुदाय में एफएनएचडब्ल्यू एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगो को शामिल करना जो समाज को प्रभावित करते हैं
- संबंधित अन्य विभागों (जैसे -पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, स्वच्छता अभियान आदि) के प्रयासों के साथ तालमेल बैठाना

मुख्य दृष्टिकोण

निम्नलिखित दृष्टिकोणों को अपनाकर इन आयोजनों में भाग लेने के लिए एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों पर समुदाय सदस्यों के बीच रुचि पैदा करने के लिए गतिविधियों का संचालन करें:

- एक बार आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम (सामुदायिक आयोजन)
- एक अभियान के रूप में कुछ दिनों तक लगातार चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला (सामुदायिक अभियान)

नोट : इन दोनों (सामुदायिक आयोजन /सामुदायिक अभियानों) पर चर्चा अलग से की जाएगी।

वयस्क शिक्षण सिद्धांतों के बारे में उल्लेख करें जो आसानी से करने योग्य हों, लक्षित लोगों से संबंधित हों,जिन्हें बहुत अधिक संसाधनों की ज़रुरत न हो, जिनके लिए संसाधन स्थानीय स्तर पर पैदा किये जा सकते हों, विधियाँ और उपकरण साधारण हों, आयोजन स्थल को पहचाना जा सके ।

आयोजन /अभियान की योजना बनाने के मुख्य बिंदु

- डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा पहचाने गए एफएनएचडब्ल्यू (अनुलग्नक-ए) घटक के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। साथ ही, जरूरतों के आधार पर, एसआरएलएम ने अपनी राज्य संचालन रणनीति में सामुदायिक संस्थानों के परामर्श से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है।
- सामुदायिक आयोजनों /अभियानों को एक दिन/कुछ दिनों के लिए राज्य भर के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में हर माह पर या एफएनएचडब्ल्यू राज्य संचालन रणनीति में जैसा उल्लेख किया गया हो उसी रूप में आयोजित किया जाना चाहिए।
- अपने सीआरपी/SAC संवर्ग के माध्यम से ऐसे आयोजनों /अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन करना वीओ का उत्तरदायित्व है। चिन्हित लक्षित समूह के सभी हितग्राही एवं उनके परिवार के सदस्यों को इनमें भाग लेना चाहिए।
- ऐसे आयोजनों /अभियानों के संचालन में सहायता के लिए सुझावात्मक प्रारूप और एसबीसीसी सामग्री (बैनर, पोस्टर, स्टिकर आदि) को मानकीकृत किया गया है (अनुलग्नक 1-5 देखें)।

- तालमेल बनाने और अधिक प्रभाव डालने के लिए इन आयोजनों/अभियानों को अन्य संबंधित विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/अभियानों के साथ तालमेल बिठाने की योजना बनाई जानी चाहिए। **उदाहरण के लिए**- एफएनएचडब्ल्यू थीम के अंतर्गत स्तनपान पर सामुदायिक आयोजन /अभियान का समय स्तनपान सप्ताह के साथ मेल कर संचालित किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि ये कार्यक्रम एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों पर एसएचजी मासिक बैठकों में शुरू किए गए सत्र के विषय के साथ तालमेल बिठा सकते हैं।
- सभी एसआरएलएम को अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में इन आयोजन /अभियानों की योजना बनानी चाहिए और उन्हें उचित रूप से शामिल करना चाहिए।
- राज्य को ऐसे आयोजनों/अभियानों के आयोजन के लिए एक वार्षिक कलैण्डर तैयार करना चाहिए।

ध्यान देने योग्य बातें

किसी कार्यक्रम/अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, निम्नलिखित चरणों को सुनिश्चित करना आवश्यक है:

- चिन्हित विषय के अनुसार, सीआरपी/SAC को संबंधित एफएनएचडब्ल्यू सत्र पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- समवर्ती एफएनएचडब्ल्यू सत्र को सभी एसएचजी में शुरू किया गया है।

वीओ स्तर पर सामुदायिक आयोजन आयोजित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

सामुदायिक आयोजन से पहले

- **लाभार्थियों की लाइन-लिस्टिंग** - सभी लाभार्थियों (गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों आदि) को एसएचजी/वीओ की साप्ताहिक/मासिक बैठकों के दौरान सीआरपी/वीओ-SAC द्वारा सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। कृपया एसओपी "गृह भ्रमण कैसे करें" के अनुलग्नक -1 (ए और बी) में दिए गए लाभार्थी लाइन-लिस्टिंग प्रारूप को देखें। सूची को वीओ बैठक के दौरान साझा किया जाएगा और वीओ मुखिया/सीआरपी/वीओ-SAC द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- **तिथि और स्थान तय करना** - उसी वीओ बैठक के दौरान, सामुदायिक आयोजन की तारीखें निश्चित की जाएंगी और संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाएगा और उनका सहयोग माँगा जाएगा। आयोजन के प्रकार के आधार पर आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पीआरआई/शिक्षक आदि को आमंत्रित किया जा सकता है। बैठक के लिए एक ऐसे स्थान का चयन करें जो सभी के पहुंचने और इकट्ठा होने के लिए सुविधाजनक हो।
- **गतिविधियों के प्रकार की योजना बनाना** - आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार, उनका क्रम, कार्यक्रम, स्थल और प्रतिभागियों पर चर्चा की जानी चाहिए और उचित योजना बनाई जानी चाहिए। अनुलग्नक ए कार्यक्रम के दिन आयोजित की जा सकने वाली विभिन्न गतिविधियों की संक्षिप्त सूची देता है। इनमें से सभी गतिविधियों को करना आवश्यक नहीं है। सामुदायिक आयोजन की पूरी अवधि के दौरान अकेले किसी एक गतिविधि या दूसरी गतिविधि के संयोजन के साथ एक गतिविधि योजना बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए-
  - चिन्हित एफएनएचडब्ल्यू थीम पर बनाए गए स्थानीय गीतों और नारों के साथ गांव में रैली का आयोजन किया जा सकता है। रैली में स्वयं सहायता समूह के सदस्य और उनके परिवार शामिल होंगे। रैली का मार्ग वह मार्ग हो सकता है जहां अधिकांश लक्षित लाभार्थियों के परिवार रास्ते में पड़ते हों।
  - यदि PICO प्रोजेक्टर उपलब्ध है, तो लाभार्थियों/समुदाय के लिए वीडियो शो आयोजित किए जा सकते हैं
  - परामर्श के साथ-साथ भोजन का प्रबंध भी किया जा सकता है
- **गृह भ्रमण** - सीआरपी/वीओ-SAC द्वारा लक्षित लाभार्थियों के घरों में लाइन-लिस्टिंग के अनुसार गृह भ्रमण किया जाएगा। सीआरपी/वीओ- SAC सामुदायिक अभियानों की तारीख, समय और स्थान का विवरण साझा करेगा और उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ औपचारिक रूप से आमंत्रित करेगा।
- सामान्य समुदाय और अन्य संबंधित विभागों (जैसे आशा/आंगनवाड़ी/पीआरआई/शिक्षक, लोगों को प्रभावित करने वाले

एकांत में किया गया आयोजन आशा के अनुसार प्रभाव पैदा नहीं करता। इसे इस तरह से मनाया जाना चाहिए किए यह समुदाय में प्रभाव पैदा करे। छोटे-छोटे टोलों को भी इसमें शामिल किया जाए, उनके समावेश के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

स्थानीय व्यक्तिय, स्थानीय चिकित्सक और अन्य प्रभावशाली लोग आदि) के प्रतिनिधियों को भी सामुदायिक आयोजन में भाग लेने के लिए सूचित किया जाना चाहिए।

- गृह भ्रमण (सामुदायिक आयोजन के एक भाग के रूप में) को वीओ स्तरीय सामुदायिक रिपोर्टिंग प्रारूप **(अनुलग्नक-1)** में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

आयोजन के दिन

- निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तय की गई गतिविधियों का संचालन करें
- लक्षित लाभार्थियों, समुदाय और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को एकत्रित करें
- गतिविधि के दौरान सीआरपी/वीओ-SAC (जिनके साथ बुक-कीपर भी हो) की उपस्थिति अनिवार्य है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए उसे एक दिन पहले गांव का दौरा करना चाहिए।
- निर्दिष्ट स्थान पर कार्यक्रम के लिए समुदाय को जुटाने के लिए वीओ SAC को शामिल करें।
- यदि कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसके विजेताओं के लिए पुरस्कार/सम्मान की व्यवस्था करें।
- स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों की पहचान करें और आयोजन के सन्दर्भ में उनके विचार वक्तव्य प्राप्त करने करने के लिए उनके साथ समन्वय करें।
- वीओ SAC के समन्वय से आयोजन की योजना अनुसूची- आयोजन का कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए और एफएनएचडब्ल्यू थीम साझा किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और पोषण दिवसों को ध्यान में रखा जा सकता है।
- जलपान और पानी (सुरक्षित और स्वच्छ) की व्यवस्था वीओ निधि का उपयोग करके की जा सकती है।
- स्थल की साफ-सफाई, शौचालय सुविधा की व्यवस्था, दरियों की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करें।
- आयोजित गतिविधियों के प्रकार और भाग लेने वाले प्रतिभागियों को वीओ स्तर के सामुदायिक आयोजन रिपोर्टिंग प्रारूप **(अनुलग्नक-1)** में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

आयोजन के बाद फॉलो-अप करें

- कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, मुख्य संदेशों को सुदृढ़ करने, अभियान के प्रभाव को समझने, अनुशंसित व्यवहारों को अपनाने और किसी भी प्रतिक्रिया को समझने के लिए सीआरपी/वीओ-SAC द्वारा संबंधित मासिक बैठक के दौरान लक्षित लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा फॉलो अप किया जाना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए ताकि आगे होने वाले आयोजनों को और बेहतर बनाया जा सके।

रिपोर्टिंग

- कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। यह रिपोर्ट ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयार की जाएगी (**अनुलग्नक-2 और 3**) और आगे राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी।

सामुदायिक अभियान आयोजित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

सामुदायिक स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू पर आयोजित किए जाने वाले अभियान के लिए, वीओ स्तर पर गतिविधियों को शुरू करने से पहले निम्नलिखित कदम (राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर गतिविधियां) जोड़े जाएंगे (वीओ स्तर पर सामुदायिक आयोजन आयोजित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वाला अनुभाग देखें)।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- सभी जिलों को निर्देश जारी करना तथा विषयों, अवधि और गतिविधियों के प्रकार की जानकारी देना
- जिलों के साथ एसबीसीसी सामग्री और प्रारूप के नमूनों को साझा करना। बैनर एवं प्रारूप जिला स्तर पर प्रिंट किये जाने चाहिए (यदि संभव हो तो)
- जिला स्तरीय मिशन स्टाफ को उन्मुख करने के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय अनुस्थापन कार्यशाला का आयोजन

जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- ब्लॉकों को आधिकारिक संचार जारी करना
- एक दिवसीय जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन करना:
    - जिले के सभी ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों (बीपीएम/बीसी और पीएफटी) का उन्मुखीकरण करने की आवश्यकता है। डीएमएमयू में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन डीपीएम/डीएम-एफएनएचडब्ल्यू इंचार्ज के नेतृत्व में किया जाना चाहिए, जहां सामुदायिक अभियान के आयोजन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाओं और गतिविधियों पर चर्चा की जानी चाहिए और ब्लॉक-वार उन्मुखीकरण योजना तैयार की जानी चाहिए (**अनुलग्नक- 4**)।
    - महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पीआरआई और अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों के जिला स्तर के अधिकारियों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे भाग लें और आवश्यक सहायता प्रदान करें।
    - एसबीसीसी सामग्री (बैनर और पोस्टर आदि) और प्ररूपों के मुद्रण और वितरण की आवश्यकताओं का आकलन करें।

ब्लॉक स्तरीय गतिविधियां

- सीएलएफ और वीओ को आधिकारिक संचार जारी करना
- एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन
    - सामुदायिक अभियान की तैयारी के लिए सभी ब्लॉकों में कार्यशाला का आयोजन करें, जहां सभी क्लस्टर स्तर के कर्मचारियों और संवर्ग को बीपीएम- एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी द्वारा उन्मुखीकृत होना चाहिए। बीपीएम-एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी इन उन्मुखीकरण कार्यशालाओं के आयोजन की तिथि तय करें। ब्लॉक समन्वयकों को पूरे ब्लॉक के क्लस्टर-वार माइक्रोप्लान (**अनुलग्नक- 5**) बनाना सुनिश्चित करना चाहिए।
    - क्लस्टर मुखिया इस बात की देखरेख करने के लिए जवाबदेह होगा कि सभी अपेक्षित गतिविधियों को तय स्थानों/स्तरों पर आयोजित किया जा रहा है इसके लिए वे संबंधित सीआरपी/वीओ-SAC को समन्वय और सहायता प्रदान करेंगे। वे गतिविधियों के संचालन का प्रबंधन करने के लिए निर्धारित स्थानों पर अभियान के दिन उपस्थित होंगे।
    - महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पीआरआई संबंधित अन्य विभागों और एजेंसियों के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे इन कार्यशालाओं में भाग लें और व्यापक रूप से सहयोग प्रदान करें।

अनुलग्नक - ए

एफएनएचडब्लू सामुदायिक अभियानों के दौरान अनुशंसित विषय और आयोजित होने वाली गतिविधियों की सूची

प्रमुख एफएनएचडब्लू विषय	
1. आजीविका के साथ संबंध	10. पहले 1000 दिन और कुपोषण चक्र
2. मातृ पोषण	11. प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात देखभाल
3. घर पर नवजात शिशु की देखभाल	12. शिशु व छोटे बच्चों के लिए आहार
4. आहार विविधता	13. एनीमिया
5. परिवार नियोजन	14. पोषण बगीचा
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/ टेक होम राशन -टीएचआर	15. बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और पोषण
7. मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन	16. घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन
8. स्वच्छता से संबंधित व्यवहार	17. किशोर स्वास्थ्य और पोषण
9. गैर - संचारी रोग	

1. **परिवार चौपाल** - एक खुली जगह पर लक्षित लाभार्थियों/दर्शकों को शामिल करते हुए एफएनएचडब्लू से संबंधित विषयों पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया जा सकता है। बैठक के लिए एक उपयुक्त समय का चयन करें जब समुदाय के अधिकांश सदस्य (जैसे की समुदाय के पुरुष सदस्य, बुजुर्ग महिलाएं और परिवार को प्रभावित करने वाले अन्य सदस्य) उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को शाम/रात के समय (रात्री चौपाल) के दौरान भी आयोजित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो सदस्य आमतौर पर दिन के समय (जैसे की पुरुष और घर के बुजुर्ग सदस्य) घर से बाहर होते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं। परिवार चौपाल का उपयोग नुक्कड़ नाटक अभिनीत करने या प्रश्न प्रतियोगिता या किसी अन्य उपयुक्त गतिविधि के लिए भी किया जा सकता है।

2. **गृह-आधारित पीयर काउंसलिंग बैठक**- पीयर काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच आमने-सामने बातचीत या व्यक्ति तथा एक समूह के सदस्यों के बीच संवाद शामिल होता है, जिसमें संवाद स्थापित करने वाले लोग एक ही समुदाय से आते हैं। गृह -आधारित पीयर काउंसलिंग के आयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए, लक्षित लाभार्थी वाले एक एसएचजी घर की पहचान की जा सकती है, जहां नियमित एसएचजी बैठक हो सकती है और बैठक के बाद, उस घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों को एफ़एनएचडब्लू से संबंधित उचित प्रथाओं और व्यवहारों पर परामर्श दिया जा सकता है।

3. **नुक्कड़ नाटक**- नुक्कड़ नाटक नाटकीय प्रदर्शन और प्रस्तुति का एक रूप है जिसमें भुगतान करके देखने वाले दर्शकों का होना जरूरी नहीं और जिसे किसी भी खुले स्थान या सामुदायिक स्थान पर मंचित किया जा सकता है। ये स्थान कहीं भी हो सकते हैं, जैसे गाँव का चौराहा, मंदिर का बरामदा, मनोरंजन के स्थान, स्कूल का मैदान, पंचायत भवन और सड़क के नुक्कड़ आदि । इन्हें विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर आयोजित किया जाता हैं जहां बड़ी संख्या में लोग आ सकें । जहां कोई अन्य स्रोत टेलीविजन, रेडियो आदि नहीं होते हैं वहाँ यह लोगों को जानकारी प्रदान करने का एक स्रोत है। नुक्कड़ नाटक का उपयोग बिना माइक्रोफोन या लाउडस्पीकर के भीड़ को एक संदेश देने के लिए किया जाता है। मुख्य संदेशों को प्रसारित करने के लिए एसएचजी सदस्यों द्वारा 3-5 मिनट के एफएनएचडब्लू थीम-आधारित नाटक को स्क्रिप्ट और अभिनीत किया जा सकता है।

4. **वीडियो शो**- एक दृश्य चित्रण में दर्शकों की स्मृति में बहुत देर तक बने रहे की शक्ति होती है। यदि पीको-प्रोजेक्टर्स जैसे उपकरण उपलब्ध हैं, तो दर्शकों और लाभार्थियों के लिए पहचाने गए विषयों पर केवल वीडियो प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकता है या अन्य किसी गतिविधि के साथ इसका संयोजन किया जा सकता है। यहां तक कि खाना पकाने की

सामग्री और उपकरणों की व्यवस्था करने में कोई समस्या है तो भी वीडियो शो की व्यवस्था की जा सकती है। वीडियो शो में दिखने के लिए वीडियो का चयन, एफएनएचडब्ल्यू के विभिन्न प्रमुख विषयों पर पहले से उपलब्ध बहुत सी वीडियो सामाग्री तथा विभिन्न स्रोतों जैसे- यूटयूब पर पहले से उपलब्ध वीडियो सामग्री में से किया जा सकता है।

5. **प्रश्न प्रतियोगिता/नारा लेखन/निबंध लेखन प्रतियोगिता** - प्रश्न प्रतियोगिता को लक्षित लाभार्थियों/दर्शकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और ज्ञान के स्तर का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया जा सकता है। शामिल दर्शकों के प्रकार और संबंधित एफएनएचडब्ल्यू विषय के आधार पर नारा या निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा सकता है। विजेताओं के लिए छोटे पुरस्कार (पहले, दूसरे और तीसरे) को वीओ स्तर के फंड से व्यवस्थित किया जा सकता है।

6. **खाद्य प्रदर्शनी /पाक विधि का प्रदर्शन**- खाद्य प्रदर्शनी और पाक विधि का प्रदर्शन भोजन से संबंधित व्यवहारों को बदलने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक कार्यक्रम हैं। इन्हें लाभार्थियों/दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए आयोजित किया जा सकता है क्योंकि इससे उन्हें न केवल पौष्टिक भोजन तैयार करना सीखने में मदद मिलती है, बल्कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के उपभोग और आमतौर पर उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य के महत्व भी उन्हें बताए जाते है।
    - **खाद्य प्रदर्शनी के लिए**- एसएचजी परिवारों से सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है या वीओ आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए धन राशि दे सकता है।
    - **पाक विधि प्रदर्शन के लिए**- एक एसएचजी घर की पहचान की जा सकती है, जहां प्रदर्शन किया जा सकता है। सामग्री, खाना पकाने के बर्तन और अन्य उपकरणों को एसएचजी परिवारों से व्यवस्थित किया जा सकता है या वीओ आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए धन राशि दे सकता है।

7. **रैलियां**- सामुदायिक रैलियां समुदाय को एकजुट करने और किसी विशेष मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का सार्थक तरीका हैं। एक सुव्यवस्थित रैली या मार्च एक आंदोलन के संदेश को स्पष्ट और सटीक रूप से उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको लक्षित किया गया है। इसके साथ ही ये सन्देश व्यापक समुदाय तक भी पहुँचते हैं।

अनुसरण करने के लिए कदम

- निर्धारित करें कि रैली आयोजन दल में कौन लोग शामिल हैं।

  निर्धारित करें कि लक्षित दर्शक/लाभार्थी कौन हैं, जिन तक पहुंचने की आवश्यकता है।
- निर्धारित करें कि सबसे अच्छा समय कब है। दिन में या शाम को? सप्ताह का दिन या सप्ताहांत? एक महत्वपूर्ण जनसभा से पहले?
- निर्धारित करें कि सबसे अच्छी जगह कहाँ है या रैली के गुजरने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है। उदाहरण के लिए- यदि पूरक आहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो रैली का मार्ग ऐसा हो सकता है जहां वे परिवार रहते हों जिनमें पूरक आहार आयु वर्ग (6-24 महीने) के बच्चे रहते हैं।

कृपया मलेरिया रैली, वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता रैली पर विस्तृत एसओपी देखें जैसा कि अतिरिक्त संदर्भ सामग्री अनुभागों में दिया गया है।

8. **वृद्धि निगरानी अभियान**- अति कुपोषित/ कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए समुदाय में वृद्धि निगरानी अभियान चलाए जा सकते हैं। यह महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से किया जाना चाहिए। अति कुपोषित/ कुपोषित बच्चों की पहचान होने पर, ऐसे परिवारों की सहायता के लिए एसएचजी समूह द्वारा ठोस प्रयास किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए ऐसे परिवारों को एफएनएचडब्ल्यू योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों से जोड़ना, पोषण बगीचा की स्थापना और पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) सुविधा का लाभ उठाने में उनका सहयोग करना आदि ।

9. **बेबी शो** - परिवार द्वारा अपनाए गए स्वास्थ्य और सकारात्मक एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार के उदाहरण के रूप में उन्हें प्रदर्शित करने के लिए बेबी शो का आयोजन किया जा सकता है। बेबी शो में भाग लेने वाले लोगों के साथ उचित एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित किया जा सकता है। इस गतिविधि के आयोजन के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। विजेता के चयन के लिए स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों/प्रभावशाली लोगों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। जहां तक संभव हो विजेताओं को पुरस्कृत किया जा सकता है।

अनुलग्नक - 1

वीओ स्तर के सामुदायिक आयोजन /अभियान की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

वीओ का नाम:_____ सीआरपी का नाम और मोबाइल नं._____

क्रम संख्या	वीओ बैठक की तारीख	लाइन-लिस्ट सूची को तैयार करने की तारीख	एफएनएचडब्ल्यू अभियान					
			एफएनएचडब्ल्यू सामुदायिक आयोजन /अभियान की तारीख/ अवधि	गृह भ्रमण किया गया		एफएनएचडब्ल्यू आयोजन/ अभियान में की गईं गतिविधियों के प्रकार	उपस्थित लक्षित लाभार्थियों की संख्या	उपस्थित सामुदायिक सदस्यों की संख्या
				लक्ष्य	संचालित			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

* अलग-अलग प्रकार की गतिविधि और प्रतिभागी की जानकारी के लिए अलग अलग पंक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

सीआरपी/SAC के हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक - 2

ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक आयोजन /अभियान की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

जिले का नाम _____ ब्लॉक का नाम _____

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	एफएनएचडब्ल्यू सामुदायकि आयोजन/ अभयिान		एफएनएचडब्ल्यू आयोजन/अभियान में की गईं गतिविधियों के प्रकार	उपस्थित लक्षित लाभार्थियों की संख्या	उपस्थित सामुदायिक सदस्यों की संख्या
		लक्षति वीओ की संख्या	संचालति वीओ की संख्या			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*अलग-अलग प्रकार की गतिविधि और प्रतिभागी की जानकारी के लिए अलग अलग पंक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

बीपीएम के हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक - 3

जिला स्तर पर सामुदायिक आयोजन /अभियान की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

जिले का नाम : _____

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	एफएनएचडब्ल्यू सामुदायिक आयोजन/अभियान		एफएनएचडब्ल्यू आयोजन /अभियान में की गईं गतिविधियों के प्रकार	उपस्थित लक्षित लाभार्थियों की संख्या	उपस्थित सामुदायिक सदस्यों की संख्या
		लक्षित वीओ की संख्या	संचालित वीओ की संख्या			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*अलग-अलग प्रकार की गतिविधि और प्रतिभागी की जानकारी के लिए अलग अलग पंक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

डीपीएम/डीएम-एफएनएचडब्ल्यू के हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक - 4

ब्लॉक-वार उन्मुखीकरण के लिए प्रारूप

जिले का नाम : _____

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	उन्मुखीकरण का स्थान	उन्मुखीकरण की तारीख	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या जिन्होने भाग लिया
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

नोट : एफएनएचडब्ल्यू समुदाय आयोजन /अभियान की अवधि के लिए गतिविधियों के प्रकार और संभावित कार्यक्रम को सूचीबद्ध करने वाला एक सुझावात्मक गतिविधि कैलेंडर प्रदान किया जाना चाहिए।

डीएम/डीएम-एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी के हस्ताक्षर

_____

अनुलग्नक - 5

क्लस्टर-वार उन्मुखीकरण योजना का प्रारूप

जिले का नाम _____ ब्लॉक का नाम _____

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	उन्मुखीकरण का स्थान	उन्मुखीकरण की तारीख	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या जिन्होने भाग लिया
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
01					

नोट : एफएनएचडब्ल्यू समुदाय आयोजन /अभियान की अवधि के लिए गतिविधियों के प्रकार और संभावित कार्यक्रम को सूचीबद्ध करने वाला एक सुझावात्मक गतिविधि कैलेंडर प्रदान किया जाना चाहिए।

बीपीएम के हस्ताक्षर

_____

परिवार चौपाल आयोजित करने के चरण

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों (दो साल तक) की देखभाल को काफी हद तक, घर की महिला सदस्यों (माता/सास और खुद लक्षित महिलाओं) की जिम्मेदारी माना जाता है। परिवार को एक इकाई के रूप में देखते हुए, परिवार के पुरुष सदस्य की भूमिका भी इस संबंध में समान महत्व रखती है और प्रायः वे ही परिवार के निर्णय निर्माता होते हैं। व्यवहार परिवर्तन के लिए दिये जाने वाले अधिकांश प्रमुख संदेश, महिलाओं को प्राथमिक लक्षित समूह के रूप में देखते हैं , जबकि उनके कार्य, आम तौर पर घर के अन्य सदस्यों, जिनका परिवार पर प्रभुत्व होता है, के द्वारा प्रभावित होते हैं ।

परिवार चौपाल या परिवार की बैठक पूरे परिवार, विशेष रूप से यह पति और ससुर, के साथ जुड़ने के लिए एक उपयुक्त मंच है, तथा लिंग आधारित मानदंडों/ भेदभाव को संबोधित करती है जिनके कारण घर के भीतर महिलाओं को विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण पहलुओं पर समझौता करना पड़ता है।

चौपाल गांवों में सामुदायिक जीवन का मंच है, विशेष रूप से पुरुष निवासियों के लिए। यह वह जगह है, जहां लोग "बैठते हैं और अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, अपने सुखों का जश्न मनाते हैं, किसी व्यक्ति, परिवार या किसी विशेष समूह के दर्द को साझा करते हैं, अपने विवादों को सुलझाते हैं। यह "धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का एक पवित्र स्थान" है जो हर किसी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।[1]

उद्देश्य

- एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार अपनाने के लिए परिवारों/समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़ना विशेष रूप से परिवार के प्रभावशाली/निर्णयकर्ताओं (उदाहरण के लिए पुरुष सदस्य और बुजुर्ग) के साथ।
- उन्हें उनके घरों में मौजूद लक्ष्य समूह की सक्रिय देखभाल से जोड़ना

प्रतिभागी

- गांव के सभी लक्षित समूह (उदाहरण के लिए- गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोरियां आदि) (एसएचजी और गैर-एसएचजी दोनों)
- लक्षित समूहों के घर के सभी पुरुष सदस्य (उदाहरण के लिए- पति, ससुर/पिता और भाई आदि)
- लक्षित समूहों के परिवारों की अन्य महिला सदस्य

परिवार चौपाल के आयोजन के लिए अपनाए जाने वाले कदम

- परिवार चौपाल का आयोजन ग्राम स्तर पर महीने में कम से कम एक बार मुख्यरूप से वीएचएसएनडी के दिन से पहले 1.5 -2 घंटे की अवधि के लिए किया जाना चाहिए।
- **वीओ स्तर पर परिवार चौपाल के लिए प्रारंभिक गतिविधियां**
  - **तारीख और स्थान तय करना:** अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्षित समूहों के परिवार के सदस्यों के परामर्श से तिथि और स्थान तय किया जाना चाहिए। कोई भी उपयुक्त स्थान जैसे वीओ बैठक स्थल, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र या कोई अन्य स्थान जहां लोग आसानी से पंहुंच सकें, उसका चयन किया जा सकता है।

कौन आयोजित करेगा?

वीओ स्तर के एफएनएचडब्ल्यू रिसोर्स पर्सन (सीआरपी / वीओ - एसएसी) सदस्य आदि इस गतिविधि के समन्वय और आयोजन के लिए जिम्मेदार होंगे।

  - **अन्य हितधारकों से सहयोग माँगें:** परिवार चौपाल में पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, आशा, वीएचएसएनसी सदस्यों और अन्य प्रभावशाली लोगों को शामिल करें, उनसे सहयोग का अनुरोध करें और आपसी चर्चा के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपें। मुख्य संदेशों के प्रसार के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा को विशेष आमंत्रण दिया जाना चाहिए ।

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Chaupal_(public_space)#:~:text=Although%20chaupals%20are%20fundamentally%20a,place%20of%20secular%20nature%22%20that%20%22

- **वीओ/एसएचजी सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों को बाँटें:** वीओ बैठक के दौरान वीओ सदस्यों के साथ परिवार चौपाल के आयोजन के लिए आवश्यक सहयोग पर चर्चा करें। गांव के नक्शे का उपयोग करते हुए, लक्षित समूहों और उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को पास में रहने वाले एसएचजी सदस्य को जुटाने की जिम्मेदारी दें।

■ **परिवार चौपाल का आयोजन**

- **समुदाय और हितधारकों को जुटाना-** सभी लक्षित समूहों और उनके परिवार के सदस्यों को तय तिथि और स्थान के अनुसार परिवार चौपाल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा, वीएचएसएनसी सदस्य और अन्य प्रभावशाली लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।
- लक्षित समूहों के प्रकार के आधार पर परिवार चौपाल के दौरान चर्चा की जाने वाली **थीम तय करें**। उदाहरण के लिए
  i. गर्भवती महिला
  ii. छोटे बच्चों (0-24 महीने) को स्तनपान कराने वाली माताएं
  iii. किशोरियां
  iv. नव विवाहित
  v. समुदाय से कोई अन्य उभरता हुआ मुद्दा (जैसे घरेलू स्तर पर आहार विविधता, हाथ धोना, शौचालय का उपयोग, कचरे का प्रबंधन, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और प्रतिरक्षा निर्माण)

एसएचजी बैठकों के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गयी है उन्हें परिवार चौपाल में भी बड़े समूह के साथ दोहराया जा सकता है।

- **सवाल करें-** लक्षित समूहों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछें **(अनुलग्नक-1)**। चर्चा शुरू करने के लिए 2-3 प्रश्न चुनें और हर बार जब परिवार चौपाल (हर महीने) आयोजित किया जाता है तो नए विषयों को इसमें जोड़ते रहें।
- सुनिश्चित करें कि एक लक्षित समूह से संबंधित चर्चा को पूरा करने के लिए दो से अधिक परिवार चौपाल सत्रों का उपयोग नहीं किया जाए। इस तरह, सभी छह उल्लिखित लक्षित समूहों को एक वर्ष में कवर किया जाएगा।
- प्रतिभागियों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर, समूह को उचित सलाह/सूचना के साथ परामर्श दें। प्रशिक्षण सामग्री में एफएनएचडब्ल्यू सत्र फ्लिपबुक के साथ प्रदान की गई फैसिलिटेटर गाइड देखें जिसमें संबंधित विषयों की गहन जानकारी प्रदान की गई है। मानक एफएनएचडब्ल्यू टूलकिट में प्रदान की गई अन्य एसबीसीसी सामग्री (जैसे- पोस्टर और परामर्श कार्ड आदि) का भी चर्चा के लिए उपयोग किया जा सकता है, चर्चा के दौरान उठाए गए अतिरिक्त प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाना चाहिए।

परिवार चौपाल के दौरान चर्चा की जाने वाली एफएनएचडब्ल्यू थीम को समझने के लिए बॉक्स 1 को देखा जा सकता है।

बॉक्स 1: परिवार चौपाल के दौरान चर्चा में शामिल किये जा सकने वाले एफएनएचडब्ल्यू विषय

लक्षित समूह	विषय
गर्भवती महिलाएं	मातृ पोषण +एएनसी और जन्म की तैयारी+नवजात शिशु की देखभाल+एनीमिया + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
स्तनपान कराने वाली माताएं (0-6 महीने)	मातृ पोषण + स्तनपान + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
स्तनपान कराने वाली माताएं (6-24 महीने)	मातृ पोषण + पूरक आहार+ पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
किशोर लड़कियां	पारिवारिक आहार विविधता + किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण + एनीमिया + मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
नव विवाहित	परिवार नियोजन + परिवार आहार विविधता + एनीमिया + मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार
अन्य सभी सदस्य	वृद्धावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण + परिवार के लिए आहार विविधता + पीडीएस/टीएचआर + पोषण बगीचा + स्वच्छता संबंधी व्यवहार + गैर संचारी रोग

- निम्नलिखित सुझाए गए एफएनएचडब्ल्यू क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार एक या दो विषयों पर कौशल/ज्ञान प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, बातचीत को रोचक बनाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक, गीत आदि की भी योजना बनाई जा सकती है।

i. हाथ धोना	ii. एमसीपी कार्ड
iii. पूरक आहार व्यंजन	iv. बच्चे को कटोरी/चम्मच से खिलाना
v. आईएफए/ कैल्शियम टैबलेट/एल्बेंडाजोल की गोली	vi. वृद्धि चार्ट
vii. पोषण बगीचा से सब्जियों/फलों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व	viii. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता
ix. नवजात को गर्म रखना	

- निम्नलिखित को मान्यता दें:
  - सक्रिय प्रतिभागी
  - सही उत्तर देने वाले प्रतिभागी
  - प्रतिभागी / एक से अधिक प्रतिभागी जिन्होंने रिकॉर्ड लेखन किया और अंतिम परिणाम प्रस्तुत किया
  - परिवार के सदस्य जिन्होंने अपने घरों में मौजूद लक्षित समूह की देखभाल में सक्रिय रूप से भाग लिया

समापन समारोह

वीओ स्तर के सभी एफएनएचडब्ल्यू रिसोर्स पर्सन (सीआरपी/वीओ SAC) को सुनिश्चित करना चाहिए -

- जो कुछ सीखा है और जिन पर चर्चा हुई है उसे दोहराया जाए
- सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना और समाप्त करने से पहले अगले परिवार चौपाल की तारीख पर चर्चा/निर्णय लेना
- अगले महीने की गतिविधि की योजना बनाना (चर्चा और प्रदर्शन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना) विशेष रूप से लक्षित समूहों के परिवार के सदस्यों के साथ।

रिपोर्टिंग

परिवार चौपाल के दौरान एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर जो चर्चा की गई थी लक्षित लाभार्थियों के परिवारों द्वारा उसका पालन किया जाना चाहिए। घटना की सारांश रिपोर्ट तैयार करने और सीएलएफ को प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रारूप के अनुसार रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।

बजट

परिवार चौपाल के आयोजन के लिए वीओ स्तर की निधि से न्यूनतम 250/- रुपये की राशि अलग रखी जा सकती है।

या

वित्तीय आवश्यकता को वीएचएसएनसी के समक्ष रखा जा सकता है या परिवार चौपाल के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता के लिए पंचायत के साथ चर्चा की जा सकती है। पैसा निम्नलिखित सुझाई गई आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकता है:

- पोस्टर/बैनर की छपाई
- खाद्य प्रदर्शन या अन्नप्राशन और सफाई प्रदर्शन के लिए वस्तुओं की खरीद करना । उदाहरण के लिए. साबुन, फिनाइल, झाड़ू आदि
- सम्मान/पुरस्कार के लिए उपहार खरीदने के लिए
- फोटोग्राफी
- आवश्यकतानुसार किसी अन्य काम के लिए

अनुलग्नक - 1

प्रमुख एफएनएचडब्ल्यू विषयों पर प्रश्न बैंक

मातृ पोषण

- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान ध्यान देना क्यों आवश्यक है?
- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अतिरिक्त क्या पोषण देखभाल की आवश्यकता है?
- आहार विविधता से आप क्या समझते हैं?
- आईएफए और कैल्शियम का सेवन क्यों जरूरी है?
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कौन सी सेवाएं और अधिकार उपलब्ध हैं?

एएनसी/पीएनसी

- गर्भवती महिला को कब पंजीकरण करवाना चाहिए?
- गर्भावस्था के दौरान देखभाल के लिए किन स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए?
- एएनसी के दौरान कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं?
- संस्थागत प्रसव से आप क्या समझते हैं और आपको क्यों लगता है कि यह महत्वपूर्ण है?
- सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए क्या तैयारी आवश्यक है?
- माँ और नवजात शिशु को किस प्रकार की प्रसवोत्तर देखभाल की आवश्यकता होती है

नवजात शिशु की देखभाल

- नवजात शिशु को किस प्रकार की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है?
- जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे की पहचान कैसे करें?
- जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे की देखभाल कैसे करें?

शिशु और छोटे बच्चे का आहार व्यवहार

- स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए?
- कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है?
- केवल स्तनपान से आप क्या समझते हैं?
- माँ और बच्चे के लिए स्तनपान के क्या लाभ हैं?
- पूरक आहार से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत कब की जानी चाहिए?
- बच्चे के आहार में कौन से खाद्य समूह शामिल किए जाने चाहिए
- पूरक भोजन का सही गाढ़ापन , आवृत्ति और मात्रा क्या है?
- छोटे बच्चों के लिए कौन सी सेवाएं और अधिकार उपलब्ध हैं?

एनीमिया

- रक्ताल्पता और इसके लक्षणों से आप क्या समझते हैं ?
- रक्ताल्पता के क्या कारण हैं?
- इससे सबसे अधिक प्रभावित कौन हैं और क्यों?
- रक्ताल्पता को कैसे रोका जा सकता है?
- आयरन के समृद्ध स्रोत क्या हैं?

पीडीएस / टीएचआर

- आप में से कितने लोग पीडीएस/टीएचआर से जुड़े हैं?
- पीडीएस/टीएचआर का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं?
- इसके क्या प्रावधान हैं?
- इन सेवा प्रावधानों का उपयोग कैसे करें?

पोषण बगीचा

- आप में से कितने लोगों के घर में पोषण बगीचा हैं?
- पोषण बगीचा कैसे स्थापित करें?
- पोषण बगीचा स्थापित करने के लिए छोटी जगहों का उपयोग कैसे करें?
- यह आहार विविधता में कैसे योगदान देता है?

हाथ धोना

- हाथ धोना क्यों महत्वपूर्ण है?
- हमें हाथ कैसे धोने चाहिए ?
- कौन से महत्वपूर्ण काम/समय हैं, जब हाथ धोना चाहिए?
- भोजन और जल स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करें?

शौचालय का उपयोग

- शौचालय का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
- शौचालय को कैसे साफ रखें?
- किन लोगों को शौचालय का उपयोग करना चाहिए?
- क्या आप शौचालय के निर्माण में सह्योग करने वाली किसी योजना या कार्यक्रम से अवगत हैं या उसका लाभ ले रहे हैं ?

आहार विविधता

- संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं ?
- आहार विविधता सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- विभिन्न खाद्य समूह और उनके पोषण संबंधी लाभ क्या हैं?
- अपने दैनिक भोजन में आहार विविधता कैसे सुनिश्चित करें?

किशोर स्वास्थ्य और पोषण

- किशोरावस्था क्या है?
- किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण क्यों महत्वपूर्ण है?
- किशोरावस्था के दौरान कुपोषण और एनीमिया की देखभाल कैसे करें?
- आपके क्षेत्र में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से प्राप्त करें?

मासिक धर्म स्वच्छता

- मासिक धर्म क्या है?
- मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है?
- मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटान के सही तरीके क्या हैं?
- मासिक धर्म के दौरान अपना ख्याल कैसे रखें?
- मासिक धर्म स्वच्छता पर जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें?

परिवार नियोजन

- परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है?
- परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने पर किसे विचार करना चाहिए?
- परिवार नियोजन के तरीके क्या हैं?
- परिवार नियोजन पर सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें?

वृद्धावस्था में स्वास्थ्य और पोषण

- वृद्ध किसे माना जाता है?
- वृद्धावस्था में विशेष स्वास्थ्य और पोषण देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है?
- वृद्धावस्था में अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सामान्य स्वास्थ्य और आहार संबंधी सुझाव क्या हैं?
- बेहतर जीवन जीने के लिए जीवनशैली में क्या बदलाव करने चाहिए?
- बुजुर्गों के लिए कौन सी योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं

गैर संचारी रोग

- सामान्य गैर संचारी रोग क्या हैं?
- गैर संचारी रोग से प्रभावित होने के लिए सबसे अधिक असुरक्षित कौन हैं?
- हमें गैर-संचारी रोगों को रोकने के लिए पोषण पर ध्यान क्यों देना चाहिए?
- मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के कारण क्या हैं?
- आहार से संबन्धित क्या करें और क्या न करें?

स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और प्रतिरक्षा निर्माण

- प्रतिरक्षा क्या है?
- सामान्य संक्रामक रोग क्या हैं?
- संक्रामक रोग के लिए सबसे संवेदनशील लोग कौन हैं?
- बीमारी की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल कहाँ से प्राप्त करें?
- बेहतर प्रतिरक्षा के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान क्यों दें?

अनुलग्नक - 2

परिवार चौपाल पर मासिक रिपोर्ट करने के लिए प्रारूप

सीएलएफ का नाम: _____वीओ का नाम: _____

गांव का नाम: _____ कुल प्रतिभागियों का विवरण: _____

पिता: _____ ससुर: _____ पति: _____भाई: _____

अन्य (पुरुष): _____ (अन्य महिलाएं):_____

कुल गर्भवती महिलाएं: _____ कुल स्तनपान कराने वाली माताएं: _____

अन्य विभागों के प्रतिनिधि:_____

क्रम संख्या	जिस विषय पर चर्चा हुई	जो गतिविधियां की गईं	कुल प्रतिभागी		खर्च	बिल का विवरण	टिप्पणी
			पुरुष	महिला			

हस्ताक्षर (सी आर पी /वी ओ -सैक)

_____

एफएनएचडब्ल्यू में अच्छे प्रदर्शन को पुरुस्कृत/ सम्मानित करने के लिए एक तंत्र कैसे स्थापित करें?

सकारात्मक एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों को अपनाना समग्र एफएनएचडब्ल्यू परिदृश्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम एफएनएचडब्ल्यू के बारे में एसएचजी सदस्यों के व्यवहार में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्होंने सकारात्मक व्यवहार को सुगम बनाया/अपनाया और इस प्रकार, समुदाय की बेहतर एफएनएचडब्ल्यू स्थिति में योगदान दिया।

जिन एसएचजी सदस्यों ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर सकारात्मक एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार का अभ्यास किया और निर्धारित माप दंडों पर खरे उतरे, उन्हें वीओ द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से सम्मानित किया जा सकता है। एसएचजी और उनके परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक व्यवहार की निगरानी करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवस्था भी तैयार की गई है, जो एसएचजी और वीओ स्तरों पर लगातार फॉलो अप, सहकर्मी समीक्षा और एसएचजी व उनके संस्थानों के योग्य सदस्यों के सम्मान के माध्यम से काम करती है।

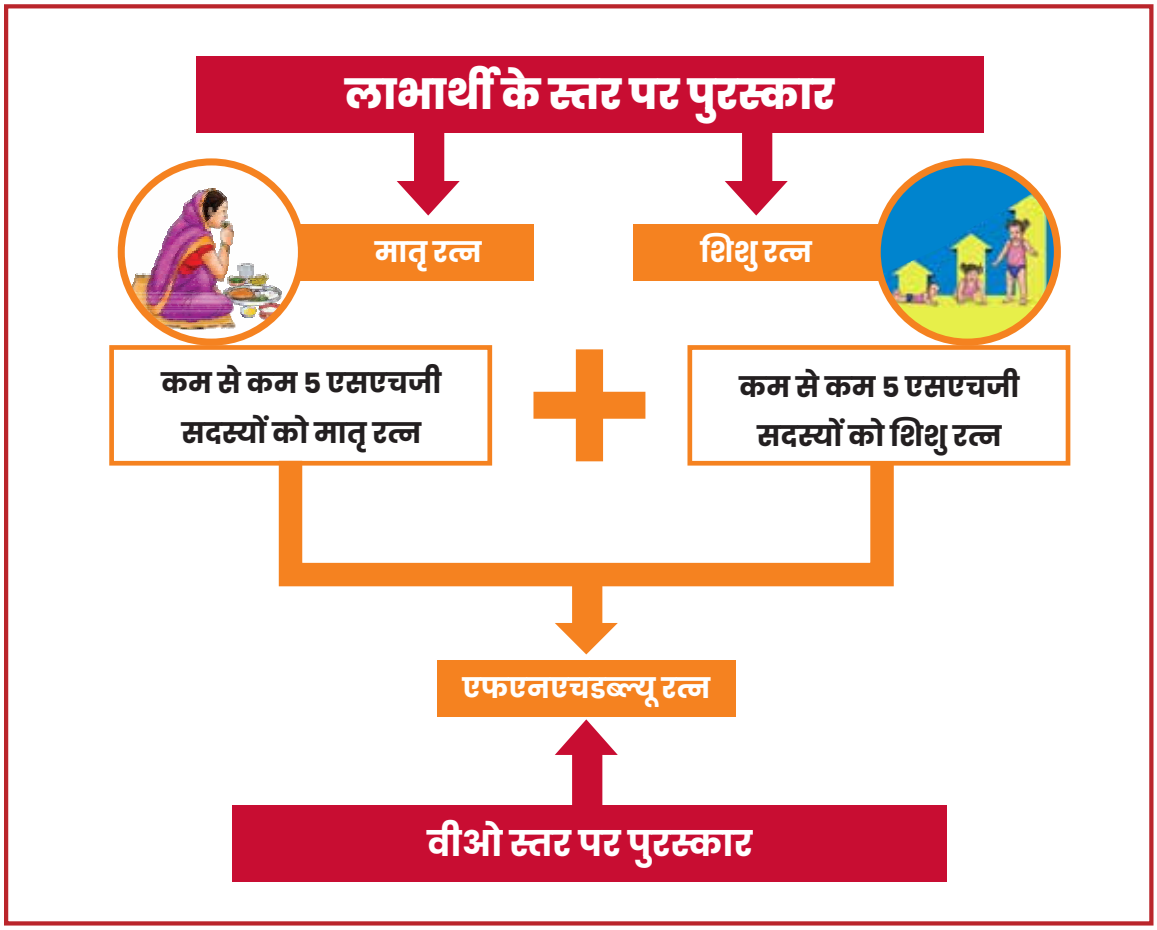

सामुदायिक स्तर पर पुरुस्कृत/सम्मानित करने का योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण

विभिन्न स्तरों पर पुरुस्कृत/सम्मानित करने के तंत्र के घटक

1. लाभार्थी स्तर पर

1.1 मातृ रत्न: यह रत्न गर्भवती महिलाओं (एसएचजी परिवारों में रहने वाली) को गर्भावस्था की अवधि में 7 प्रमुख एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों से संबंधित सही अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ये अभ्यास हैं -

- गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण
- आईएफए की गोली का सेवन करना
- मातृ आहार विविधता
- टीएचआर के साथ जुड़ाव
- संस्थागत प्रसव
- उपयोग में लाये जा सकने वाले शौचालय की उपलब्धता
- हाथ धोने की सुविधा की उपलब्धता

1.2 शिशु रत्न: यह सम्मान स्तनपान कराने वाली माताओं (एसएचजी परिवारों में रहने वाली) को उनके बच्चों के लिए अपनाए गए 7 प्रमुख एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों से संबंधित सही अभ्यासों का जन्म से एक वर्ष की आयु तक की अवधि में प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ये अभ्यास हैं

- शीघ्र स्तनपान
- 6 महीने तक केवल स्तनपान
- 6 महीने के बाद पूरक आहार की शुरुआत
- शिशु आहार विविधता
- एक वर्ष की आयु तक आयु-उपयुक्त टीकाकरण
- उपयोग में लाये जा सकने वाले शौचालय की उपलब्धता
- हाथ धोने की सुविधा की उपलब्धता

लाभार्थी स्तर के पुरस्कार के लिए निगरानी की प्रक्रिया

एसएचजी सदस्य के एफएनएचडब्ल्यू व्यवहार को पुरस्कार कार्ड- मातृ रत्न कार्ड और शिशु रत्न कार्ड' (**अनुलग्नक- 1 और 2**) के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, जिसका स्वामित्व प्रत्येक एसएचजी के पास होगा। हर महीने एक निर्धारित साप्ताहिक बैठक (पहली या चौथी बैठक) में, एसएचजी मुखिया, पात्र सदस्यों से पूछताछ करेगा और उपरोक्त एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों के बारे में सदस्यों की स्थिति की निगरानी करेगा। यदि संभव हो तो उनसे उनकी स्मृति के आधार पर सूचना प्राप्त की जा सकती है। एसएचजी मुखिया को मौजूदा रिकॉर्ड (एमसीपी कार्ड), एनएम/आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध जानकारी या अन्य सदस्यों के साथ चर्चा के माध्यम से जानकारी का सत्यापन करना चाहिए। जो सदस्य सही व्यवहार का अभ्यास नहीं करते पाए जाते हैं, उन्हें सकारात्मक व्यवहारों के अनुकूल होने के लिए प्रोत्साहित/प्रेरित किया जाएगा। प्रत्येक माह सदस्यों की एफएनएचडब्ल्यू स्थिति पुरस्कार कार्डों में अपडेट की जाएगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

जिन एसएचजी सदस्यों ने सभी प्रमुख एफएनएचडब्ल्यू व्यवहारों को आदत के रूप में अपना लिया है, उन्हें वर्ष के अंत में वीओ स्तर पर आयोजित एक कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों, (एसआरएलएम के जिले /ब्लॉक टीम/स्वास्थ्य विभाग (एएनएम/आशा)/आईसीडीएस विभाग (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक)/पीआरआई/वार्ड सदस्य/सीआरपी/समुदाय के नेता) द्वारा समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा। वीओ स्तर का कार्यक्रम या तो एक वीओ बैठक का एक विस्तारित रूप हो सकता है जहां सभी पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों को बुलाया जाएगा या इसे किसी ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम के साथ जोड़कर भी किया जा सकता है जिसकी योजना वीओ स्तर पर बनाई गई है।

आवृति: वार्षिक

- पुरस्कार के रूप में देने के लिए एक उपयुक्त वस्तु का चयन किया जा सकता है। यह कोई भी उपयोगी वस्तु हो सकती है जो सकारात्मक व्यवहारों के एक स्मृतिचिन्ह के रूप में एक निश्चित समय तक पुरस्कृत सदस्यों के पास रहती है।
- सदस्यों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कारों की खरीद के लिए (उदाहरण- साबुन/सैनिटाइज़र, ओआरएस पैकेट, कटोरी/चम्मच, कांच, फोटो फ्रेम, माला या अन्य उपयोगी वस्तुएं आदि) वीओ फंड का उपयोग किया जा सकता है।

2. वीओ स्तर पर

एफएनएचडब्ल्यू रत्न: यह एक वीओ स्तर का पुरस्कार (एफएनएचडब्ल्यू रत्न) है जो प्रत्येक वर्ष (निर्दिष्ट समय अवधि के अंत में) दिया जाएगा । वे ग्राम संगठन इस पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के पात्र होंगे जहां कम से कम 5 एसएचजी सदस्यों ने मातृ रत्न प्राप्त किया है और कम से कम 5 ने शिशु रत्न प्राप्त किया है। एसएचजी लाभार्थियों की एक सूची वीओ स्तर पर एकत्रित की जाएगी और पुरस्कार के लिए सीएलएफ/ब्लॉक के साथ साझा की जाएगी और अधिकतम मातृ रत्न और शिशु रत्न वाले वीओ को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

वीओ स्तर पुरस्कार के लिए निगरानी की प्रक्रिया

प्रत्येक वीओ को वीओ बैठक (निर्दिष्ट एक वर्ष की समय अवधि के पूरा होने से एक महीने पहले आयोजित होने वाली) के दौरान एफएनएचडब्ल्यू रत्न के लिए एक वीओ पात्रता सूची प्रदान की जाएगी (अनुलग्नक-3), SAC सदस्यों और एसएचजी मुखिया के साथ वीओ मुखिया पुरस्कार कार्ड (मातृ रत्न कार्ड और शिशु रत्न कार्ड) के अनुसार पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। और वीओ पात्रता सूची में जानकारी भरेंगे। एसएचजी लाभार्थियों की एक सूची वीओ स्तर पर एकत्रित की जाएगी और पुरस्कार के लिए सीएलएफ/ब्लॉक के साथ साझा की जाएगी।

सीएलएफ में, एफएनएचडब्ल्यू रत्न (**अनुलग्नक- 4**) के लिए सभी पात्र वीओ की सूची तैयार की जाएगी और अधिकतम मातृ रत्न और शिशु रत्न वाले वीओ को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वीओ को वर्ष के अंत में सीएलएफ/ब्लॉक/जिला स्तर पर आयोजित किसी भी बड़े कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों (एसआरएलएम के जिले /ब्लॉक टीम/स्वास्थ्य विभाग/आईसीडीएस विभाग/पीआरआई/पार्षद/समुदाय के नेता) द्वारा समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में सम्मानित किया जा सकता है। सीएलएफ SAC सदस्य एसएचजी सदस्यों को दिए गए पुरस्कारों को यादृच्छिक रूप से सत्यापित भी कर सकता है।

आवृत्ति: वार्षिक

- पुरस्कार के रूप में देने के लिए एक उपयुक्त वस्तु का चयन किया जा सकता है। यह कोई भी उपयोगी वस्तु हो सकती है जो सकारात्मक व्यवहारों के स्मृति चिन्ह के रूप में निश्चित समय के लिए पुरस्कृत वीओ के पास रहती है।
- वीओ की सुविधा के लिए पुरस्कारों (जैसे - पदक/स्मृति चिन्ह/प्रमाण पत्र) की खरीद के लिए वीओ फण्ड का उपयोग किया जा सकता है।

टिप्पणियाँ: राज्य दोनों स्तरों (लाभार्थी के साथ-साथ वीओ स्तर) पर पुरस्कार वितरण का विकल्प चुन सकते हैं या शुरू में केवल एक स्तर को अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं और समय के साथ दूसरे स्तर के पुरस्कार जोड़ सकते हैं।

राज्य अपने राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति में पहचाने गए पुरस्कार तंत्र में अन्य लक्षित समूहों को शामिल करने का निर्णय ले सकते हैं। अन्य एफएनएचडब्ल्यू थीम/घटक जैसे शौचालय का उपयोग, हाथ धोना, योजनाओं/अधिकारों के साथ जोड़ना (पीडीएस/ एमडीएम/ पीएमजेएवाई/ पीएमएसबीवाई पीएमएमवीवाय) आदि पर भी विचार किया जा सकता है।

अनुलग्नक - 1

मातृ रत्न कार्ड

वीओ का नाम : _____ सीएलएफ का नाम: _____ ब्लॉक का नाम: _____

एसएचजी का नाम	गर्भवती महिला का नाम	आयु	एसएचजी के सदस्य हैं या नही	यदि नहीं तो परिवार में कौन एसएचजी सदस्य है	गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण	आईएफए का सेवन किया	मातृ आहार विविधता का अभ्यास	टीएचआर से जुड़ाव	संस्थागत प्रसव	उपयोग में लाये जा सकने वाले शौचालय की उपलब्धता	हाथ धोने की सुविधा की उपलब्धता
			हाँ / नहीं		पहले तीन माह के दौरान	संख्या में 360	संख्या 10 में से 5 खाद्य समूहों की खपत	हाँ / नहीं	हाँ / नहीं	हाँ / नहीं	हाँ / नहीं

नोट: गर्भावस्था के दौरान 4 एएनसी से गुजरने के बारे में संकेतक (जैसा कि सिफारिश की गई है) भी शामिल किया जा सकता है। एसआरएलएम जल्दी पंजीकरण और पहले एएनसी के साथ शुरू हो सकता है और बाद में 4 एएनसी को शामिल करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसे राज्य के संदर्भ के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है

हस्ताक्षर (एसएचजी मुखिया)

_____

अनुलग्नक - 2

शिशु रत्न कार्ड

वीओ का नाम: _____ सीएलएफ का नाम: _____ ब्लॉक का नाम: _____

एसएचजी का नाम	स्तनपान कराने वाली माता का नाम	बच्चे की आयु	एसएचजी के सदस्य हैं या नहीं	यदि नहीं तो परिवार में कौन एसएचजी सदस्य है	शीघ्र स्तनपान	केवल स्तनपान	पूरक आहार शुरू करने की सही उम्र	शिशु आहार विविधता को अपनाया गया	एक वर्ष की आयु तक आयु-उपयुक्त टीकाकरण	उपयोग में लाये जा सकने वाले शौचालय की उपलब्धता	हाथ धोने की सुविधा की उपलब्धता
			हाँ/ नहीं		जन्म के एक घंटे बाद	पहले 6 माह तक	6 माह के बाद पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए	7 में से 4 भोजन समूह का सेवन किया गया	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं

हस्ताक्षर (एसएचजी मुखिया)

_____

अनुलग्नक - 3

एफएनएचडब्ल्यू रत्न के लिए वीओ की योग्यता सूची

वीओ का नाम: _____ सीएलएफ का नाम: _____ ब्लॉक का नाम: _____

वीओ का नाम	एसएचजी का नाम	मातृ रत्न पुरस्कार पाने वालों के नाम	शिशु रत्न पुरस्कार पाने वालों के नाम	क्या वीओ मानदंड के अनुसार एफएनएचडब्ल्यू रत्न के लिए पात्र है (हाँ/ नही)

हस्ताक्षर (वीओ मुखिया/SAC सदस्य)

_____

अनुलग्नक - 4

पात्र वीओ के लिए एफएनएचडब्ल्यू रत्न कार्ड

सीएलएफ का नाम: _____ ब्लॉक का नाम: _____

वीओ का नाम	एसएचजी की संख्या	मातृ रत्न पुरस्कार पाने वालों की संख्या	शिशु रत्न पुरस्कार पाने वालों की संख्या	पुरस्कार पाने वालों की कुल संख्या	श्रेणी

हस्ताक्षर (सीएलएफ मुखिया /SAC सदस्य) _____

अतिरिक्त सन्दर्भ सामग्री

वीओ स्तर पर एफएनएचडब्लू कार्य योजना विकसित करने के लिए सामुदायिक संस्थाओं के साथ ट्रिगरिंग प्रक्रिया – झारखंड का अनुभव

कुल समय – 3 से 4 घंटे

आवश्यकता

- समन्वयक को सामग्री और प्रक्रिया से अच्छी तरह से प्रशिक्षित/परिचित होना चाहिए, और चर्चा को आगे बढ़ाने का कौशल होना चाहिए।
- समग्र अवलोकन और मार्गदर्शन के लिए ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को उपस्थित होना चाहिए।

योजना बनाना, प्रभावशाली क्रियाकलापों और सार्थक प्रभावों की आधारशिला है। समस्याओं की पहचान करना, अधूरी जरूरतों की पहचान करना और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वेक्षण करना महत्वपूर्ण है। एफएनएचडब्ल्यू के लिए ग्राम स्तर पर योजना बनाने के उद्देश्य हैं:

- सीमित संसाधनों से कई समस्याओं का समाधान करना
- संसाधनों और प्रयासों के दोहराव को खत्म करना
- कार्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका विकसित करना
- लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना

योजना प्रक्रिया की आवश्यकता (क्यों?)

- एफएनएचडब्लू तक पहुंच, उपलब्धता और सुगम्यता पर निर्णय लेने हेतु दिशा दिखाने के लिए
- उचित व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए
- एफएनएचडब्लू योजना बनाने के लिए मिलती जुलती प्रक्रियाओं की पेशकश करने के लिए
- समन्वय के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए
- स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में बाधाओं और बाध्यताओं की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए

खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वाश (एफएनएचडब्लू) वास्तव में सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन गरीब लोगों के लिए इन मुद्दों पर सही समझ और जागरूकता विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं जान लेता, तब तक वह अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से नहीं सोच सकता। एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित मुद्दों पर समझ बढ़ाने और लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए कि उनका स्वास्थ्य और पोषण आजीविका के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, लोगों के मन में एक ट्रिगर या आग होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को ट्रिगरिंग प्रक्रिया कहा जाता है।

सामुदायिक संस्थानों के साथ ट्रिगरिंग प्रक्रिया (टीपीसीआई) सेवा वितरण में अंतराल का आकलन करने और अंतराल के आधार पर कार्य योजना तैयार करने के लिए पार्टिसिपेट्री रूरल अप्रैसल (पीआरए) तकनीक के साथ किसी भी नए गांव में प्रवेश का पहला कदम है।

प्रक्रिया

ट्रिगरिंग प्रक्रिया का महत्व ग्रामीण लोगों की माँग और व्यवहार में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रिगरिंग प्रक्रिया गाँव के लोगों को विभिन्न एफएनएचडब्लू सेवाओं और पात्रताओं पर उन्मुख करती है जो विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा प्रदान की जाती हैं। भागीदारी मूल्यांकन के माध्यम से, समुदाय को एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित सेवाओं के प्रावधानों बनाम सेवा वितरण की वास्तविक स्थिति जो उन्हें अपने गांव में मिल रही है, के बीच अंतर पता चल जाएगा। इसलिए, यह लोगों को सरकारी सेवाओं की वास्तविक स्थिति और हक के बारे में समझने और जागरूक करने के लिए है कि उन्हें क्या मिलना चाहिए और उन्हें क्या मिल रहा है।

प्रक्रिया को गति प्रदान करने के बाद वेव डायग्राम तैयार करना दूसरा चरण है और स्कोरिंग सिस्टम द्वारा वर्तमान स्थिति का आकलन करने और प्रत्येक सेवा वितरण में अंतराल की पहचान करने के लिए यह एक पीआरए (सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन- पार्टिसिपेट्री रूरल अप्रैज़ल) टूल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में जहाँ कहीं भी अंतराल है, उसे पाटने की प्रतिबद्धता ने प्रत्येक गांव में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं का निर्माण किया है, वीओ सदस्य ग्राम स्वास्थ्य योजना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य और पोषण योजना विकसित होती है। व्यापक योजना विकसित करने के लिए ग्राम स्तर के सेवा प्रदाताओं के साथ समुदाय के प्रमुख सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। योजना में, समुदाय के सदस्यों सहित प्रत्येक हितधारक की जवाबदेही को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। एक बार योजना विकसित हो जाने के बाद, बड़े समूह में और वीओ की मासिक बैठक में, योजना की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

प्रमुख बातें जिनका पालन किया जाता है (अनुलग्नक- 1)

1. चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जाती है।
2. स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के मामले में कमियों की पहचान की जाती है।
3. कमियों को ध्यान में रखते हुए, चिन्हित मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है।
4. एफएनएचडब्ल्यू के लिए एक व्यापक कार्य योजना (पीओए) विकसित की गई है।
5. योजना के विवेकपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान 4 सी का पालन किया जाता है। ये 4सी हैं – कन्वर्जेंस(समन्वय) , कैपिसिटी बिल्डिंग (क्षमता निर्माण), कम्युनिटी मोबिलाइजेशन(सामुदायिक एकत्रीकरण) और कम्युनिकेशन(संचार)।

गरीबी के कारणों की पूरी प्रक्रिया, गरीबी और पोषण की कमी के बीच सह-संबंधों और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच पर चर्चा की जाती जाती है जो उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य पहलुओं के आधार पर होती है।

वेव डायग्राम: वेव डायग्राम एक ऐसी विधि है, जिसमें समुदाय के लिए योजना बनाई जाती है, समुदाय में लागू किया जाता है और समुदाय की निगरानी की जाती है।

इसके प्रमुख चरण हैं

1. खाद्य, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के मुद्दों के संबंध में समस्या की पहचान।
2. चुनौतियों और मुद्दों की पड़ताल करना।
3. समय सीमा के भीतर मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करना।
4. कार्यान्वयन और प्रगति की प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक निगरानी करना।

वेव डायग्राम के लाभ

- लक्षित समूहों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के मुद्दों और प्राथमिकताओं की पहचान
- जिम्मेदारियों का हस्तांतरण
- सामुदायिक संस्थानों को प्रेरित करना और उन्हें संगठित करना
- स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग
- वेव डायग्राम के माध्यम से नियोजन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाना

प्रक्रिया के लाभ

- इसमें पीआरआई, एफएलडब्ल्यू (आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता), समुदाय के सदस्य (एसएचजी/वीओ सदस्यों सहित) शामिल होते हैं।
- यह समुदाय के नेतृत्व वाली और समुदाय से संचालित होने वाली प्रक्रिया है।
- यह विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं और पात्रताओं के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाती है।
- इसके माध्यम से समुदाय यह समझ पाता है कि सेवाओं के जो प्रावधान किये गए हैं और वास्तव में जो सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं उनके बीच अंतर कितना है

कृपया "सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं के अनुकूल समुदाय बनाने के लिए सामुदायिक संस्थानों (टीपीसीआई) के साथ ट्रिगरिंग प्रक्रिया शुरू करना" पर विस्तृत अवधारणा नोट देखें **(अनुलग्नक-2)**।

अनुलग्नक - 1

ग्राम स्वास्थ्य योजना के विकास के लिए प्रारूप

ब्लॉक का नाम: _____

गांव का नाम: _____ पंचायत का नाम: _____

वीओ का नाम: _____ सीएलएफ का नाम: _____

क्रम संख्या	एफएनएचडब्ल्यू समस्याएँ	क्या किया जाएगा	कैसे किया जाएगा	कौन करेगा	समय सीमा

अनुलग्नक - 2

महिलाओं के अनुकूल समुदाय बनाने के लिए ट्रिगरिंग प्रक्रिया

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी

सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं के अनुकूल समुदाय बनाने के लिए सामुदायिक संस्थान (टीपीसीआई) के साथ ट्रिगरिंग प्रक्रिया की पहल करना।

महिलाओं के अनुकूल सामुदायिक दृष्टिकोण का उद्देश्य एक ऐसे समुदाय का निर्माण करना है, जहां महिलाएं सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एफएनएचडब्ल्यू और सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने अधिकारों का दावा कर सकें और उन्हें पूरा कर सकें। इस प्रक्रिया में वंचित समूहों (बच्चों, महिलाओं और अन्य सीमांत पर रहने वाले समूहों) के लिए उनके मुद्दों, चिंताओं और आकांक्षाओं पर रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित करने पर बुनियादी रूप से जोर दिया गया है। जेएसएलपीएस ने लम्बे समय से, क्षेत्रीय गतिवधियों में महिला अनुकूल सामुदायिक दृष्टिकोण के समावेशन के प्रसार के लिए एक समझ को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, इसने एफएनएचडब्ल्यू और सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत और संगठित करने का प्रयास किया है। खाद्य, स्वास्थ्य, पोषण और वाश वास्तव में प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक हैं, लेकिन गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए खाद्य, स्वास्थ्य, पोषण और वॉश के मुद्दों पर सही समझ और जागरूकता विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि, जब तक कोई व्यक्ति खुद के बारे में कुछ महसूस नहीं करता है, तब तक वह गंभीरता से, जो है उसे बेहतर करने के लिए, उसे बदलने के बारे में नहीं सोच सकता है। स्वास्थ्य पोषण और वाश से संबंधित मुद्दों पर समझ बढ़ाने के लिए और लोगों को यह एहसास कराने के लिए कि उनका स्वास्थ्य और पोषण अन्य सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के साथ सबसे ऊपर है, इस प्रकार, नागरिकों के मन में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, एक ट्रिगर, या जोश का होना आवश्यक है।

इस व्यापक और समावेशी प्रक्रिया को टीपीसीआई कहा जाता है। सामुदायिक संस्थानों (टीपीसीआई) के साथ ट्रिगरिंग प्रक्रिया किसी भी नए गांव में प्रवेश का पहला कदम है। पीआरए टूल का उपयोग सेवा वितरण अंतराल का आकलन करने और कार्य योजना तैयार करने के लिए किया जाता है। ट्रिगरिंग प्रक्रिया ग्रामीण जनता के एफएनएचडब्ल्यू के संबंध में मांग बढ़ाने और व्यवहार में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और पात्रताओं की ओर भी ट्रिगरिंग प्रक्रिया उन्मुख करती है। सहभागी मूल्यांकन के माध्यम से, समुदाय यह समझ पाता है कि एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित विभिन्न विभागों की जो सेवाएँ उन्हें अपने गांव में मिल रही हैं उनका प्रावधान क्या है और उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, दोनों के बीच के अंतर को लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से समझ पाते हैं।

सात बिल्डिंग ब्लॉक्स

महिलाओं के अनुकूल समुदाय बनाने के लिए सात बिल्डिंग ब्लॉक्स मोडयूल का उपयोग किया जा रहा है। जहां पहले से ही एनआरएलएम के तत्वावधान में सामुदायिक संस्था का गठन किया गया है वहां ग्रामीण स्तर पर ये संस्थान, समुदाय के सदस्यों के साथ ट्रिगरिंग प्रक्रिया अथवा टीपीसीआई प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। संबंधित विभागों के फ्रंटलाइन सेवा प्रदाता जैसे एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीआरआई सदस्यों के साथ इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। इन सेवा प्रदाताओं को एक महिलाओं के अनुकूल समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। ट्रिगरिंग प्रक्रिया ग्राम स्तर पर पहली गतिविधि है जो निम्नलिखित सात बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आधारित है।

समूहीकरण

ग्राम स्तर पर पहली गतिविधि है सामूहिकता, जहां पीआरआई सदस्यों, स्कूल शिक्षकों और अन्य समुदाय के लीडर्स सहित सभी वयस्क सदस्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वस्तुतः प्रत्येक गांव में, 90% से अधिक परिवार स्वयं सहायता समूह में हैं और वीओ का हिस्सा हैं, इसलिए सामूहिकता की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। सामूहिकता की प्रक्रिया, वीओ की बैठक से शुरू होती है जहां प्रशिक्षित सेतु दीदी, वीओ के सभी सदस्यों को संक्षिप्त तरीके से प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से सूचित करती है। सामूहिकता की प्रक्रिया सभी समुदाय के सदस्यों को एक विशेष स्थान पर जुटाने के विचार के साथ की जाती है। सामुदायिक स्तर पर प्रमुख हितधारकों की भूमिका भी इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सेतु दीदी, वीओ और पीआरआई सदस्यों को सामुदायिक बैठक में एफएलडब्ल्यू के साथ उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव देती है। सामूहिकता के सामान्य सिद्धांत हैं:

1. वीओ की बैठक में टीपीसीआई के बारे में संक्षेप में चर्चा
2. वीओ द्वारा सभी स्वयं सहायता समूहों को सूचना
3. पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ बैठक
4. आयोजन के दिन और स्थान पर निर्णय
5. एफएलडब्ल्यू, स्थानीय स्कूल शिक्षकों और अन्य प्रमुख हितधारकों को निमंत्रण

संवेदीकरण

एफएनएचडब्लू के मुद्दे सामान्य रूप से समुदाय की प्राथमिकता नहीं है लेकिन स्वास्थ्य आपातकाल (मेडिकल इमरजेंसी) के दौरान और संकट की अवधि के दौरान यही मुद्दे एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इसलिए एफएनएचडब्लू के महत्व और सामाजिक सुरक्षा के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाना आवश्यक और महत्वपूर्ण भी। इन मुद्दों को समुदाय की प्राथमिकता में लाना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों है। ट्रिगरिंग प्रक्रिया उन्हें एहसास कराती है, समझाती है और समय बीतने के साथ वे इसे समझते भी हैं।

संवेदीकरण की प्रक्रिया कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों से शुरू होती है, कुछ सांकेतिक प्रश्न इस प्रकार हैं;

1. स्वयं सहायता समूहों और स्वैच्छिक संगठनों के गठन का उद्देश्य क्या है?
2. गरीबी के प्रमुख कारण क्या हैं?
3. जीवन के लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं?
4. आपके आस-पास के कितने लोग वर्तमान में या अतीत में बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे उनकी अल्प बचत में कमी आई है?
5. आप इलाज (बड़ी बीमारियों और छोटी बीमारियों) के लिए कहां जाते हैं?
6. बीमारी के दौरान इलाज पर आप कितना पैसा खर्च करते हैं?
7. गरीबी, उत्पादकता और बीमारी के बीच क्या संबंध है?
8. महिलाएं बार-बार बीमार क्यों पड़ती हैं?
9. स्वस्थ माताओं और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं में क्या अंतर है?
10. क्या आपने आंगनवाड़ी केंद्र देखा है? क्या आपने आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं का लाभ उठाया है और कृपया आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रदान की जा रही आवश्यक सेवाओं के बारे में बताएं?
11. क्या आपके गांव में कोई सरकारी स्कूल है? क्या आप एमडीएम और उसके मेन्यू के बारे में जानते हैं?
12. कितने लोगों के पास पीडीएस कार्ड है और वे उसका उपयोग करते हैं ?
13. आपके गांव में कितने परिवारों में एक कार्यात्मक शौचालय है?

प्रशिक्षित सेतु दीदी, पीआरआई सदस्यों और वीओ के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के बाद चर्चा की सुविधा प्रदान करेंगी और उपरोक्त प्रश्न सेतु दीदी द्वारा एक-एक करके पूछे जाएंगे, उन्हें प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय देना होगा। उनके दृष्टिकोण को सकारात्मक और इस दिशा में मोड़ने के लिए और संवेदनशील बनाने के लिए स्थानीय केस स्टडीज और कहानियों का भी उपयोग किया जा सकता है।

समग्र विश्लेषण

विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की उपलब्धता और लक्षित समुदाय तक उनकी पहुंच/या लक्षित समुदाय का इन योजनाओं तक पंहुचने के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण एक कठिन भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाओं और पात्रताओं पर उन्मुखीकरण के साथ शुरू होती है। फिर समग्र विश्लेषण के बाद सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से इसे प्रारंभ किया जाता है। इस सहभागी मूल्यांकन के माध्यम से, अभ्यास में भाग लेने वाले समुदाय के सदस्य, उनके गाँव में मिल रही विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदान की जा रही एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित सेवाओं के प्रावधानों और सेवा वितरण की वास्तविक स्थिति के बीच के अंतर को जान सकेंगे। इससे लोग सरकारी सेवाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में समझ पाते हैं कि उन्हें क्या मिलना चाहिए और उन्हें वास्तविक रूप में क्या मिल रहा है।

एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच के आधार पर स्कोरकार्ड तैयार किया जाता है। यह उन टूल्स की मदद से किया जाता है जो स्कोरिंग सिस्टम द्वारा वर्तमान स्थिति को दिखाते हैं और प्रत्येक सेवा वितरण के अंतराल की पहचान करते हैं। इस अभ्यास को वीओ के सदस्यों में से एक मुख्य रूप से वीओ के अध्यक्ष द्वारा सुगम बनाया जाता है।

गरीबी को कम करने वाले कारणों की पूरी प्रक्रिया, गरीबी और पोषण की कमी और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के बीच सह-संबंधों पर चर्चा की जाती है और पहुंच, उपलब्धता,पंहुचने की योग्यता और सुगम्यता (एक्सेस, एवैलबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एप्रोचब्लिटी-4 ए) के आधार पर स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच और राज्यों

के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में सुधार के लिए निर्णय लेने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया इसमें शामिल है।

वेव: यदि आप इसे माप सकते हैं तो आप इसे सुधार सकते हैं, इस प्रकार वेव डायग्राम के माध्यम से एफएनएचडब्ल्यू मुद्दों के स्थानीय समाधान के लिए स्थानीय समझ, संज्ञान और ज्ञान का उपयोग किया जाता है।

वेव डायग्राम विधि ऐसी विधि है जो समुदाय के द्वारा बनाई गई है, जिसे समुदाय के द्वारा लागू किया जाता है और समुदाय की निगरानी की जाती है।

प्रमुख कदम

1. सेवाओं और योजनाओं पर चर्चा।
2. समुदाय से एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करना जो चर्चा को सुविधाजनक बना सके।
3. प्रमुख क्षेत्रों की पहचान चर्चा और विचार-विमर्श और साधनों के उपयोग के माध्यम से की जाती है।
4. प्रत्येक मुद्दे पर 10 (अधिकतम) अंक के पैमाने पर विस्तृत चर्चा के बाद अंक दिए जाते हैं।
5. स्वास्थ्य/पोषण और वाश सेवाओं तक पहुंच के मामले में कमियों की पहचान की जाती है।
6. चिन्हित कमियों और प्राथमिकताओं को नोट किया जाता है।

प्राथमिकता

सामूहिक विश्लेषण प्रक्रिया में एफएनएचडब्ल्यू और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे चर्चा में सामने आएंगे। लेकिन समुदाय के लिए अलग-अलग मुद्दों के लिए प्राथमिकता अलग होगी। समुदाय के सदस्य कुछ प्रमुख मुद्दों को उठा सकते हैं/ ले सकते हैं, जिनका वे तत्काल/या जितनी जल्दी हो सके समाधान चाहते हैं। विस्तृत चर्चा और समुदाय की भारी सहमति के बाद मुद्दों को लिया जाना चाहिए या प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

1. सभी मुद्दों को उनके स्कोर के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए (अधिकतम 10 के पैमाने पर)
2. पूरी तरह से चर्चा और सामान्य छोटी से छोटी बात पर सहमति के बाद 5 से 6 प्रमुख मुद्दों की पहचान कर गतिविधि की जानी चाहिए
3. मुद्दों और उनके संबंधित विभागों की विस्तृत सूची बनाई जानी चाहिए

कार्य की योजना

योजना बनाना, अधिक प्रभावी क्रियाकलापों और सार्थक प्रभावों की आधारशिला है। समस्याओं की पहचान करना, अधूरी जरूरतों की पहचान करना और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वेक्षण करना एक कार्य योजना के चरण हैं। एफएनएचडब्ल्यू (खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और पानी, स्वच्छता और हाथ धोने) के लिए गांवों में योजना बनाने का उद्देश्य पहचाने गए संकेतकों की स्थिति में सुधार के लिए सभी हितधारकों की जवाबदेही तय करना है। एक कार्य योजना में ये बातें शामिल होती हैं -

1. असंख्य समस्याओं और चुनौतियों के साथ सीमित संसाधनों का मिलान करना।
2. संसाधनों और प्रयासों के दोहराव को खत्म करना।
3. स्वास्थ्य, पोषण और वाश में एक परिभाषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्यवाही विकसित करना।
4. लोगों की महसूस की गई जरूरतों को पूरा करना।
5. जवाबदेही मैट्रिक्स तैयार करना

योजना के लिए सांकेतिक नमूना

क्रम संख्या	समस्याएँ	समस्या की वजह	कैसे किया जाएगा	कौन (जिम्मेदार व्यक्ति)	कब (समय सीमा)

कार्यान्वयन

योजना बनाने के बाद, इसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाता है और जहां ग्राम सभा के सभी सदस्य, मुद्दों को स्वीकार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। चूंकि योजनाएं चार्ट पेपरों पर तैयार की जाती हैं, इन्हें वीओ कार्यालयों की दीवारों पर चिपकाया जाता है। वीओ की प्रत्येक बैठक में वीओ के अध्यक्ष और सचिव समय-समय पर हुई प्रगति की समीक्षा करते हैं। वीओ प्रत्येक मुद्दे पर बारीक योजना भी बनाते हैं और वीओ के सदस्यों के बीच जवाबदेही तय करते हैं।

वीओ सदस्य अपनी मासिक बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम से मिलने का निर्णय लेते हैं। कभी-कभी वे अपनी मासिक बैठक में एएनएम को बुलाते हैं और आंगनबाडी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए उनसे बात करते हैं। गांव के लोगों में इस समन्वय को देखकर एएनएम आंगनबाडी केंद्रों में पूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं।

पीआरआई सदस्य भी प्रगति की समीक्षा करते हैं और संबंधित फ्रंट लाइन सेवा प्रदाताओं और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ अंतराल को पाटने के लिए बात करते हैं।

इसी तरह से सेतु दीदी, वीओ सदस्यों का मासिक समूह वार्ता के माध्यम से ओरिएंटेशन करती हैं और एफएचएनडब्लू और सामाजिक सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करती हैं।

निगरानी

वीओ सदस्य उपयुक्त कार्रवाई करते हैं और अपनी मासिक बैठक में योजना के साथ ही प्रगति की समीक्षा करते हैं। पीआरआई सदस्यों के साथ, वीओ सक्रिय रूप से वीएचएसएनडी में भाग लेते हैं और स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस द्वारा ड्यूटी बियरर्स (एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं की निगरानी करते हैं।

स्वाभिमान के एकीकृत सूक्ष्म नियोजन अभ्यास का उपयोग करते हुए एफएनएचडब्लू कार्य योजना तंत्र - बिहार का अनुभव

यह एक पूर्वापेक्षा है कि एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना के कदम उठाए जाने से पहले सूक्ष्म योजना विकसित करने की कवायद पूरी हो जाए। सूक्ष्म योजना अभ्यास के लिए विकास मार्गदर्शिका अनुलग्नक में दी गई है। विभिन्न स्तरों पर शुरू की जाने वाली एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें सभी स्तरों के लिए समीक्षा प्रारूप भी हैं।

वीओ स्तर पर

- मूलभूत आवश्यकता यह है कि वीओ के पास तीन दिवसीय प्रक्रिया द्वारा विकसित एक व्यापक सूक्ष्म योजना (अनुलग्नक-1 में आईएमपी तैयार करने के लिए फैसिलिटेटर गाइड देखें) होनी चाहिए, इसमें वीओ सदस्यों की भागीदारी परिवारों की सूची, राज्य एफएनएचडब्ल्यू परिचालन रणनीति के अनुसार लक्षित लाभार्थियों की पहचान (उदाहरण के लिए- दो साल से कम उम्र के बच्चों की मां और गर्भवती महिलाएं, जोखिम वाली महिलाएं और किशोर लड़कियां, नवविवाहित आदि) के साथ एक सामाजिक मानचित्र तैयार करना शामिल होगा।
- पहचाने गए मुद्दों/समस्याओं को एफएनएचडब्ल्यू और कुछ सामाजिक कारणों के आसपास सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
- यह प्रक्रिया प्रत्येक मुद्दे/समस्या के विशिष्ट संख्या को सूचीबद्ध करने को भी सुनिश्चित करेगी जैसे, कितनी महिलाओं को लाभार्थी सूची से हटाया गया, कितने घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, कितनी गर्भवती महिलाओं को एएनसी, टीटी, आईएफए नहीं मिला आदि ।
- लक्षित समूह, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़कियों के पोषण के लिए गृह भ्रमण को प्राथमिकता दें। सबसे पहले ध्यान देने योग्य सबसे प्रचलित सामाजिक कारणों में कम उम्र में शादी और कम उम्र में मातृत्व, शराब की लत हिंसा और दुर्व्यवहार आदि होने चाहिए।
- जो सेवाएं मिल रही हैं उनमें कमी कहाँ है इस बात का विश्लेषण करने के लिए समुदाय में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और सबसे कमजोर महिलाओं द्वारा उन तक पहुंच का आकलन होना चाहिए।
- मुद्दों और समस्या की पहचान के बाद, सदस्य तुरंत ध्यान देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले मुद्दों की एक सूची तैयार करते हैं। यह 5 से 10 शीर्ष मुद्दों की सीमा में हो सकता है
- मुद्दों को प्राथमिकता देने के बाद, वीओ सदस्य एक कार्य योजना तैयार करते हैं (अनुलग्नक-2-11 में प्रारूप देखें)।
- कार्य योजना को तत्काल और दीर्घकालिक कार्यों के दो भागों में विभाजित किया गया है।
- प्रक्रिया के बाद, यह तय किया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, चाहे इसमें सेवा प्रदाताओं के साथ संवाद, संबंधित सरकारी विभागों को प्रस्ताव प्रस्तुत करना या किसी सामाजिक मुद्दे पर समुदाय के साथ संवाद शामिल हो।
- एक समय सीमा तय की जाती है और जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि समग्र प्रक्रिया में कौन क्या करेगा और पूरी प्रक्रिया में कौन सहयोग करेगा और सीएलएफ द्वारा किस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की ज़रुरत है आदि।
- यह कार्य योजना और वीओ सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई के एक चक्र को पूरा करता है
- तीन महीने के बाद एक समीक्षा बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि चिन्हित मुद्दों/समस्याओं का समाधान हो गया है या वे अभी भी लंबित हैं। समस्याओं के इर्द-गिर्द एक और दौर की चर्चा होती है और इन्हें नए मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और इसी तरह समय और जिम्मेदारी के साथ कार्य योजना विकसित की जाती है।
- एसआरएलएम क्षेत्र स्तर के कर्मचारी और विकास में भागीदार संस्था, वीओ सदस्यों का सहयोग करेंगे।

वीओ के सभी पदाधिकारियों, बुक कीपर और सीआरपी/सैक (उपलब्धता के अनुसार) की उपस्थिति अनिवार्य है। वीओ सदस्यों के अलावा अभ्यास में ए.एन.एम./आशा/ए.डब्लू.डब्लू. की भागीदारी अनिवार्य है। बुक कीपर या सीआरपी बैठक

और बैठक में उनकी उपस्थिति के लिए ए.एन.एम./आशा/ए.डब्लू.डब्लू. को सूचित करेगा। महिलाओं/माताओं की समूह बैठक में भाग लेना और गृह भ्रमण करना भी उनकी भूमिका में शामिल है। एफएनएचडब्ल्यू और सामाजिक मुद्दों से संबंधित मुद्दों को सामने लाने के लिए सहभागी साधन और सुविधा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फेसिलिटेटर/सैक/सीआरपी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हर कोई अपनी सहमति देगा / पहचाने गए मुद्दे को मान्य करेगा और इसे स्थिर कर देगा। सामाजिक मानचित्र, पहचाने गए मुद्दों, जिम्मेदारी के साथ बनाई गई कार्य योजना और समय सीमा के साथ संबंधित वीओ के पास एक फाइल रखी जानी चाहिए।

सीएलएफ स्तर पर

- वीओ स्तर पर योजना की छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिए जाने के बाद, सूक्ष्म योजनाओं का एकीकरण सीएलएफ स्तर पर किया जाता है।
- सीएलएफ एफएनएचडब्ल्यू, सेवा वितरण, सिफारिश और समुदाय और सरकारी विभागों के साथ बड़े पैमाने पर संवाद से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कार्य योजना के अगले दौर का फैसला करता है।
- जिम्मेदारी आपस में बांटी जाती है और कार्रवाई के लिए एक समयसीमा निर्धारित की जाती है।
- यदि मुद्दों को ब्लॉक और जिला प्रशासन द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है, तो तदनुसार कार्रवाई का एक सेट तैयार किया जाता है।
- यहां एसआरएलएम के ब्लॉक के साथ-साथ जिला टीम की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रशासन से नियुक्ति प्राप्त करते हैं और विभिन्न विभागों के साथ समाधान को प्रसारित करते हैं।
- समाधान प्रस्तुत करने के बाद संबंधित प्राधिकारी के पास फॉलो अप योजना भी प्रस्तुत की जाती है।
- तीन महीने के बाद सभी वीओ के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक समीक्षा बैठक (उचित निर्धारित तिथि और समय के साथ) आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि पहचाने गए मुद्दों/समस्याओं का समाधान किया गया है या वे अभी भी लंबित हैं। समस्याओं के इर्द-गिर्द एक और दौर की चर्चा होती है और इन्हें नए मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और इसी तरह समय और जिम्मेदारी के साथ कार्य योजना विकसित की जाती है।

एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हर कोई अपनी सहमति देगा/पहचाने गए मुद्दे को मान्यता प्रदान करेगा और इसे स्थिर कर देगा। पहचान किए गए मुद्दों, जिम्मेदारी के साथ बनाई गई कार्य योजना और समय सीमा के साथ संबंधित सीएलएफ के पास एक फाइल रखी जानी चाहिए।

ब्लॉक स्तर पर

- ब्लॉक स्तर की टीम की भूमिका सीएलएफ लीडर्स को उचित रूप से मार्गदर्शन करने और उचित मंचों में पहचाने गए मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने में सहायता प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है।
- ब्लॉक टीम, सीएलएफ को मुद्दों के उचित समाधान और कार्रवाई के लिए निर्धारित लक्ष्य समूह तैयार करने में मदद करती है।
- ब्लॉक टीम, मुद्दों को अगले स्तर तक पहुंचाने में भी मदद करेगी यदि इन मुद्दों पर ब्लॉक स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं और पात्रताओं से संबंधित व्यवस्था स्तर को मजबूत करने वाले मुद्दे अगले स्तर पर जाते हैं।
- तीन महीने के बाद सभी सीएलएफ प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, एक समीक्षा बैठक (उचित निर्धारित तिथि और समय के साथ) आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि पहचाने गए मुद्दों / समस्याओं का समाधान किया गया है या अभी भी लंबित है। समस्याओं के इर्द-गिर्द एक और दौर की चर्चा होती है और इन्हें नए मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और इसी तरह समय और जिम्मेदारी के साथ कार्य योजना विकसित की जाती है।

एक बार जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हर कोई अपनी सहमति देगा / पहचाने गए मुद्दे को मान्यता प्रदान करेगा और इसे स्थिर कर देगा। चिन्हित मुद्दों, जिम्मेदारी के साथ बनाई गई कार्य योजना और समय सीमा के साथ संबंधित ब्लॉक के पास एक फाइल रखी जानी चाहिए ।

जिला स्तर पर

- जिला टीम संबंधित विभागों के साथ जिला स्तर पर संबंधित मुद्दों को उठाती है।
- यदि किसी मुद्दे पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो इसे कार्रवाई के लिए जिला टीम द्वारा उचित मंच पर लाया जाएगा।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं और अधिकारों से संबंधित व्यवस्था स्तर के सुदृढ़ीकरण से संबंधित मुख्य मुद्दे हैं जिन पर जिला स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- तीन महीने के बाद सभी बीपीएम की भागीदारी के साथ एक समीक्षा बैठक (उचित निर्धारित तिथि और समय के साथ) आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि पहचाने गए मुद्दों/समस्याओं का समाधान किया गया है या वे अभी भी लंबित हैं। समस्याओं के इर्द-गिर्द एक और दौर की चर्चा होती है और इन्हें नए मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और इसी तरह समय और जिम्मेदारी के साथ कार्य योजना विकसित की जाती है।

एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हर कोई अपनी सहमति देगा/पहचाने गए मुद्दे को मान्यता प्रदान करेगा और इसे स्थिर कर देगा। चिन्हित मुद्दों, जिम्मेदारी के साथ बनाई गई कार्य योजना और समय सीमा के साथ संबंधित जिले के पास एक फाइल रखी जानी चाहिए ।

राज्य स्तर पर

- नीति स्तर में परिवर्तन से संबंधित मुद्दे कार्रवाई के लिए राज्य टीम के पास जाते हैं।
- टीम कार्रवाई के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय सरकारी विभागों के साथ मुद्दों को उठाती है।
- तीन महीने के बाद सभी डीपीएम की भागीदारी के साथ एक समीक्षा बैठक (उचित निर्धारित तिथि और समय के साथ) आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि पहचाने गए मुद्दों/समस्याओं का समाधान किया गया है या वे अभी भी लंबित हैं। समस्याओं के इर्द-गिर्द एक और दौर की चर्चा होती है और इन्हें नए मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और इसी तरह समय और जिम्मेदारी के साथ कार्य योजना विकसित की जाती है।

एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हर कोई अपनी सहमति देगा/पहचाने गए मुद्दे को मान्यता प्रदान करेगा और इसे स्थिर कर देगा। पहचान किए गए मुद्दों, जिम्मेदारी के साथ बनाई गई कार्य योजना और समय सीमा के साथ एक फाइल में रखा जाना चाहिए।

यह एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना का पूरा एक चक्र है जिसमें आईएमपी प्रक्रिया निहित है, जिसे एफएनएचडब्ल्यू कार्य योजना की स्तर विशिष्ट समीक्षा के बाद हर तिमाही में दोहराया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि समुदाय के अंतिम छोर तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने या प्राप्त करने के लिए किसी समुदाय से उत्पन्न होने वाली समस्या/मुद्दे को शासन या प्रशासन के विभिन्न स्तरों/सोपानों पर कैसे संबोधित किया जाता है।

अनुलग्नक

1. छह चरणों के साथ माइक्रो-प्लान तैयार करने के लिए फैसिलिटेटर मार्गदर्शिका **(अनुलग्नक-1)**
2. सभी स्तरों पर एकीकृत सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया की योजना और समीक्षा के लिए प्रारूप **(अनुलग्नक- 2-11)**

अनुलग्नक - 1

सूक्ष्म योजना(माइक्रो प्लान) तैयार करने के लिए फैसिलिटेटर मार्गदर्शिका

पृष्ठभूमि

सूक्ष्म नियोजन एक व्यापक नियोजन दृष्टिकोण है जहाँ समुदाय गाँव की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं विकास योजनाएँ तैयार करता है। समुदाय के सभी वर्गों का समावेश और भागीदारी सूक्ष्म नियोजन का केंद्र है, इस प्रकार यह विकेंद्रीकृत शासन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। ग्राम विकास के टिकाऊ और सहभागी होने के लिए, यह जरूरी है कि समुदाय अपनी ग्राम विकास योजनाओं का मालिक हो और समुदाय ही यह सुनिश्चित करे कि विकास उसकी जरूरतों के अनुरूप हो। विकास की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक अन्य पहलू है, तैयार योजना को समय-समय पर फिर से देखना और उसे अद्यतन करने की ज़रुरत क्योंकि बनाई गई कोई भी योजना प्रकृति में गतिशील है।

हम ग्राम संगठन स्तर पर कुपोषण के कारण को संबोधित करने से जुड़ी एकीकृत सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए "4 के दृष्टिकोण" के एक बहुत ही सरल सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में अभ्यास पूरा करने में 3-4 दिन लगेंगे। अवधारणा इस प्रकार है:

1. पहला k इस बात के लिए है कि - समस्या क्या है?
2. दूसरा k इस बात के लिए है कि - इन समस्याओं के पीछे क्या कारण हैं?
3. तीसरा k इस बात के लिए है कि - इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?
4. चौथा k इस बात के लिए है कि - इन समस्याओं के समाधान के लिए संसाधन कहां हैं?

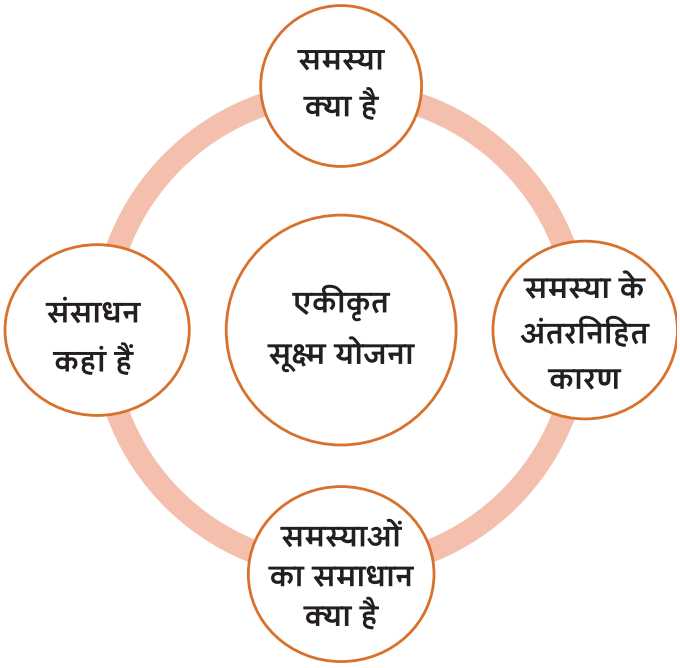

आरेख 1: एकीकृत सूक्ष्म योजना मेट्रिक्स

एकीकृत सूक्ष्म योजना समीक्षा- समुदाय के मानक उत्थान के लिए फैसिलिटेटर चेकलिस्ट /मार्गदर्शिका

चरण-1: गतिविधि क्षेत्र/गांव की पृष्ठभूमि को समझना

उत्तरदायी[11]: एफजीडी अभ्यास का आयोजन किया जाना है जिसमें गांव/पंचायत के वीओ की महिला सदस्य और किशोरियाँ शामिल हों:

समयावधि: 2-3 घंटे

ज़रूरी सामग्री: ए 4 आकार का कागज, कार्ड शीट, कलर पेन, चार्ट पेपर, नोट बुक, पेन आदि

उद्देश्य: क्षेत्र, जनसांख्यिकी और गांव की बुनियादी जानकारी को समझना/इकट्ठा करना

वीओ और किशोरी समूह के लिए सूत्रधार द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न:

फेसिलिटेटर उत्तरदायी से निम्नलिखित के बारे में पूछेगा उत्तरदाताओं को बधाई देने के बाद, फेसिलिटेटर पूछेगा

1. वीओ में शामिल कुल घरों की संख्या कितनी है:
2. महिलाओं, पुरुषों, लड़कों और लड़कियों की कुल जनसंख्या कितनी है
3. इस जनसंख्या में से महिलाओं और किशोरियों की संख्या कितनी है?

[11] फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस पंचायत में एफजीडी का आयोजन किया जाना है, वहां कम से कम 20-30, वीओ सदस्यों और किशोरियों का प्रतिनिधित्व हो।

4. महिलाओं व किशोरियों की संख्या प्राप्त होने के बाद प्रत्येक को परियोजना के विभिन्न समूहों जैसे आयु, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता, पूरक आहार आदि में वर्गीकृत किया जाता है।
5. वीओ द्वारा उन घर की पहचान करना जहां संभावित लाभार्थी मौजूद हैं (इस तरह से कि वीओ जोखिम वाली महिलाओं और किशोरियों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दें)
6. आगे के संदर्भ के लिए कागज की शीट पर विवरण दर्ज करें

परिणाम

- क्षेत्र प्रोफ़ाइल तैयार होना
- एक सामाजिक मानचित्र तैयार होना
- जोखिम वाली महिलाओं और किशोरियों का का पता चलना
- क्षेत्र की जनसांख्यिकी के बारे में पता चलना

चरण - 2

उत्तरदायी[12]: एफजीडी अभ्यास का आयोजन किया जाना है जिसमें गांव/पंचायत के वीओ की महिला सदस्य और किशोरियाँ शामिल हों:

समयावधि: 2-3 घंटे

ज़रूरी सामग्री : ए 4 आकार का कागज, कार्ड शीट, रंगीन पेन, चार्ट पेपर, नोट बुक, पेन आदि।

उद्देश्य: समुदाय की समस्याओं/मुद्दों की पहचान करना

वीओ और किशोरी के समूह के लिए फेसिलिटेटर द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न:

उपरोक्त अनुभाग की सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद और यदि फेसिलिटेटर को लगता है कि वह संतुष्ट है, तो समस्याओं की पहचान के इस खंड पर जाएं

1. समूह से जोखिम वाली महिलाओं और किशोरियाँ से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की पहचान करने के लिए कहें
2. चर्चा से उभरने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध करने के लिए फेसिलिटेटर से कहें
3. समस्याएं व्यक्तिगत/वैयक्तिक, सामाजिक कारणों से जुडी हुई, बीमारी, आहार संबंधी आदत से जुड़ी हुई, जानकारी की कमी/अज्ञानता से संबंधित, सरकारी योजनाओं के सेवा वितरण और इसकी पात्रता आदि से संबंधित हो सकती हैं।
4. फेसिलिटेटर द्वारा सूचीबद्ध समस्या को नोट करने के बाद सबसे पहले सबसे प्रासंगिक समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसी तरह एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए
5. फेसिलिटेटर को जांच करने के लिए और पुन: पुष्टि के लिए जवाबदेह लोगों को प्राथमिकता वाले मुद्दे/समस्या की सूची पढ़कर सुनाना चाहिए
6. प्राथमिकता सूची प्राप्त करने के बाद समस्याओं को विभिन्न श्रेणियों में अंतिम रूप दिया जाता है जैसे:
    a. व्यक्तिगत/ या पारिवारिक समस्या
    b. सामाजिक कारण
    c. मिथक/ वर्जनाएं
    d. ज्ञान की कमी / अज्ञानता
    e. सरकारी सेवाएं और उनका वितरण

[12] फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस पंचायत में एफजीडी का आयोजन किया जाना है, वहां कम से कम 20-30, वीओ सदस्यों और किशोरियों का प्रतिनिधित्व हो।

परिणाम

- समस्याओं/मुद्दों की स्पष्ट सूची तैयार होना
- सामाजिक, आर्थिक, अज्ञानता, सांस्कृतिक आदतें आदि हो सकती हैं
- सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक पहुंच का अभाव
- समस्याओं की प्राथमिकता सूची (शीर्ष पांच समस्याएं)

चरण -3

उत्तरदायी[13]**:** एफजीडी अभ्यास का आयोजन किया जाना है जिसमें गांव/पंचायत के वीओ की महिला सदस्य और किशोरियां शामिल हों:

समयावधि: 2-3 घंटे

ज़रूरी सामग्री: ए 4 आकार का कागज, कार्ड शीट, रंगीन पेन, चार्ट पेपर, नोट बुक, पेन आदि।

उद्देश्य: समुदाय की समस्याओं/मुद्दों के संभावित कारणों की पहचान करना

वीओ और किशोरियों के समूह के लिए फेसिलिटेटर द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न: समस्याओं के वर्गीकरण के बाद फेसिलिटेटर प्रत्येक प्राथमिकता वाली समस्याओं के अंतर्निहित कारण के बारे में प्रश्न पूछेगा।

1. प्राथमिकता सूची में से एक-एक करके कारणों की सूची बनाना
2. वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होने पर फेसिलिटेटर जांच करने के लिए कहेगा
3. एक समस्या से जुड़े कई कारण हो सकते हैं (उन सभी की सूची बनाना)
4. उदाहरण- जोखिम वाली महिलाओं के लिए, जो पोषित एमयूएसी रीडिंग के तहत 23 सेमी से कम है, उसके कारण हो सकते हैं
   a. खाद्य विविधता के बारे में ज्ञान की कमी
   b. उपलब्धता का अभाव - आर्थिक स्थिति
   c. रोग का बार-बार होना
   d. सामाजिक कारण- लिंग
   e. उचित स्वच्छता और सफाई सुविधा का अभाव
5. फेसिलिटेटर को कारकों को प्रमुखता से सूचीबद्ध करना और इसकी बार-बार जांच करके कारणों को मान्य करना, क्योंकि यह पूरे टोले की सामान्य समस्या होगी।
6. फेसिलिटेटर द्वारा सभी विवरणों को नोट करना

परिणाम

कारण हो सकते हैं

- ज्ञान की कमी
- उपलब्धता
- बीमारी
- सामाजिक भेदभाव

[13] फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस पंचायत में एफजीडी का आयोजन किया जाना है, वहां कम से कम 20-30, वीओ सदस्यों और और किशोरियों का प्रतिनिधित्व हो।

चरण - 4

उत्तरदायी[14]: एफजीडी अभ्यास का आयोजन गांव/पंचायत के वीओ की महिला सदस्यों और किशोरियों को शामिल करते हुए किया जाना है:

समयावधि: 2-3 घंटे

ज़रूरी सामग्री: ए 4 आकार का कागज, कार्ड शीट, रंगीन पेन, चार्ट पेपर, नोट बुक, पेन आदि।

उद्देश्य: समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना

वीओ और और किशोरियाँ के समूह के लिए फेसिलिटेटर द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न:

एक परिवार के स्वास्थ्य और पोषण और कुपोषण के कारणों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में जानने के बाद फेसिलिटेटर अब टीम के साथ इसके संभावित समाधानों के बारे में चर्चा करेंगे:

1. फेसिलिटेटर ए से ई तक सूचीबद्ध मुद्दों में से प्रत्येक सूचीबद्ध समस्या के व्यावहारिक समाधान के बारे में एक-एक करके नोट करता है
2. उत्तर केवल प्रत्युतर देने वालों से आना चाहिए
3. फेसिलिटेटर को ऐसे कुछ उदाहरण देकर चर्चा को प्रमाणित करने की आवश्यकता है जो विषय से संबंधित हों
4. उदाहरण- स्वच्छता और सफाई व्यवस्था की कमी एसबीएम (ग्रामीण) योजना से जुड़ी हो सकती है, बीमारी के बार-बार होने के लिए एएनएम/पीएचसी, पीडीएस और एडब्ल्यूसी आदि के पास जाना चाहिए।
5. फेसिलिटेटर को सभी विवरणों को नोट करना चाहिए

परिणाम

- व्यावहारिक समाधान पाने के लिए आगे की जांच
- विभिन्न योजनाओं और पात्रताओं से जुड़ाव

चरण -5

उत्तरदायी[15]: एफजीडी अभ्यास का आयोजन गांव/पंचायत के वीओ की महिला सदस्यों और किशोरियों को शामिल करते हुए किया जाना है:

समयावधि: 2-3 घंटे

ज़रूरी सामग्री: ए 4 आकार का कागज, कार्ड शीट, रंगीन पेन, चार्ट पेपर, नोट बुक, पेन आदि।

उद्देश्य: समस्या के लिए कौन/कौन जिम्मेदार है, इसकी पहचान करना

वीओ और और किशोरियों के समूह के लिए फेसिलिटेटर द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न:

उत्तरदायिओं से समस्या के व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के बाद फेसिलिटेटर इस बारे में चर्चा करेंगे कि उपर्युक्त समस्याओं के लिए कौन और क्या जिम्मेदार है

1. संभवतः सरकार सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से वितरित करने में विफल रही है
2. परिवार स्तर पर कुछ बातों का हल किया जाना
3. उल्लिखित कुछ मुद्दों के बारे में अधिक ज्ञान और जागरूकता की आवश्यकता है
4. मां और बच्चे के पोषण से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता की कमी

---

[14] फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस पंचायत में एफजीडी का आयोजन किया जाना है, वहां कम से कम 20-30, वीओ सदस्यों और और किशोरियों का प्रतिनिधित्व हो।

[15] फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस पंचायत में एफजीडी का आयोजन किया जाना है, वहां कम से कम 20-30, वीओ सदस्यों और किशोरियों का प्रतिनिधित्व हो।

5. लिंग संबंधी मुद्दे
6. फेसिलिटेटर को सभी विवरणों को नोट करना चाहिए

परिणाम

समस्या के प्रमुख कारणों की विस्तृत सूची प्राप्त की जाएगी, जिसमें शामिल हो सकता है

- सरकार का वितरण तंत्र
- परिवार स्तर पर व्यक्तिगत समस्याएं
- अज्ञानता/सांस्कृतिक प्रथाएं

चरण - 6

उत्तरदायी[16]: एफजीडी अभ्यास का आयोजन गांव/पंचायत के वीओ की महिला सदस्यों और किशोरियों को शामिल करते हुए किया जाना है:

समयावधि: 2-3 घंटे

ज़रूरी सामग्री: ए 4 आकार का कागज, कार्ड शीट, रंगीन पेन, चार्ट पेपर, नोट बुक, पेन आदि।

उद्देश्य: संसाधनों/व्यक्ति/समयसीमा और समस्या के समाधान की पहचान करने के लिए फेसिलिटेटर द्वारा वीओ और किशोरियों के समूह से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न:

सूचना एकत्र करने के बाद, फेसिलिटेटर उत्तरदायिओं को शामिल करते हुए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए टीम बनाता है। कार्य योजना साध्य और व्यावहारिक होनी चाहिए और समय-समय पर इसकी समयबद्ध समीक्षा होनी चाहिए, इसे तीन माह में एक बार किया जा सकता है।

1. वर्गीकृत किए गए प्रत्येक मुद्दे को समय सीमा के साथ एक विशिष्ट योजना से जोड़ा जाएगा।
2. जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि कौन क्या करेगा।
3. सामूहिक कार्रवाई जैसे रैली या अभियान के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए।
4. अगर सरकारी अधिकारी से मिल रहे हैं तो अधिकारियों से मिलने के लिए आवेदन पत्र कौन लिखेगा?
5. फेसिलिटेटर को पूरे अभ्यास के परिणाम को उत्तरदायिओं के साथ दोहराना चाहिए ताकि प्रत्येक को योजना और उसके कार्य बिंदुओं के बारे में पता हो।
6. एक बार अभ्यास को अंतिम रूप देने के बाद पूरी कार्य योजना को एक फ्लेक्स पर तैयार किया जाना है और वीओ कार्यालय में प्रदर्शित किया जाना है (यदि यह मौजूद है या गांव/पंचायत में आम जगह पर है)।
7. फ्लेक्स पर भी हस्ताक्षर होंगे जिससे यह पुष्टि होगी कि योजना उनके द्वारा बनाई गई है और वे इस योजना और इसकी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।

परिणाम

- जोखिम वाली या अल्पपोषित महिलाओं और किशोरियों को संबोधित करने से जुड़े समुदाय/गांव की एक विस्तृत एकीकृत सूक्ष्म योजना।
- कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्ग का निर्माण
- समस्या को पैदा करने/समाधान करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं इसका पता लगना

[16] फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस पंचायत में एफजीडी का आयोजन किया जाना है, वहां कम से कम 20-30, वीओ सदस्यों और किशोरियों का प्रतिनिधित्व हो।

अनुलग्नक - 2

वीओ स्तर[1] पर योजना के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ योजना की तिथि/माह: _____

क्रम संख्या	वीओ के मुद्दे/समस्याएं समस्या क्या है?	इसे कौन करेगा? (जिम्मेदार)	यह कैसे किया जाएगा? (कार्य योजना)	यह कब तक किया जाएगा? (समय सीमा)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

वीओ स्तर के गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर

_____

1. अध्यक्ष _____ 2. सचिव _____ 3. कोषाध्यक्ष _____ 4. पदाधिकारी _____ 5. बुक कीपर _____

[1] VO स्तर पर योजना एवं समीक्षा बैठक नियमित मासिक बैठक के अलावा प्रत्येक तीन माह में होगी।

अनुलग्नक - 3

सीएलएफ स्तर[2] पर योजना के लिए प्रारूप

सीएलएफ का नाम: _____ **योजना की तिथि/माह:** _____

क्रम संख्या	वीओ के समेकित मुद्दे/समस्याएं समस्या क्या है?	इसे कौन करेगा? (जिम्मेदार(	यह कैसे किया जाएगा? (कार्य योजना(	यह कब तक किया जाएगा? (समय सीमा(
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

सीएलएफ स्तर के गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर

1. अध्यक्ष _____ **2. सचिव** _____ **3. कोषाध्यक्ष** _____ **4. पदाधिकारी** _____ **5. मास्टर बुक कीपर** _____

[2] सीएलएफ स्तर पर योजना एवं समीक्षा बैठक नियमित मासिक बैठक के अलावा प्रत्येक तीन माह में होगी। योजना और समीक्षा बैठक अलग-अलग वीओ से निकले समेकित मुद्दों पर आधारित होगी। यह प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर होती है। वीओ के समेकित मुद्दे सरकार की विभिन्न योजनाओं और अधिकारों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए होंगे।

अनुलग्नक - 4

ब्लॉक स्तर[3] पर योजना के लिए प्रारूप

ब्लॉक का नाम: _____ **योजना की तिथि/माह:** _____

क्रम संख्या	सीएलएफ के समेकित मुद्दे/समस्याएं समस्या क्या है?	इसे कौन करेगा? (जिम्मेदार(	यह कैसे किया जाएगा? (कार्य योजना(	यह कब तक किया जाएगा? (समय सीमा(
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

बीपीएम के हस्ताक्षर **वित्त प्रबंधक**

_____ _____

[3] सीएलएफ के समेकित मुद्दों को एसआरएलएम के प्रखंड स्तर के कार्यालय में उठाया जाएगा। कार्रवाई के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

अनुलग्नक - 5

जिला स्तर[4] पर योजना का प्रारूप

जिले का नाम: _____ योजना की तिथि/माह: _____

क्रम संख्या	ब्लॉक के समेकित मुद्दे/समस्याएं समस्या क्या है?	इसे कौन करेगा? (जिम्मेदार)	यह कैसे किया जाएगा? (कार्य योजना)	यह कब तक किया जाएगा? (समय सीमा)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

डीपीएम के हस्ताक्षर _____ विषयगत प्रबंधक _____ वित्त प्रबंधक _____

[4] ब्लॉक के समेकित मुद्दों को एसआरएलएम के जिला स्तर के कार्यालय में उठाया जाएगा। कार्रवाई के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

अनुलग्नक - 6

राज्य स्तर[5] पर योजना के लिए प्रारूप

राज्य का नाम: _____ **समीक्षा की तिथि/ माह :** _____

क्रम संख्या	जिले के समेकित मुद्दे/समस्याएं समस्या क्या है?	इसे कौन करेगा? (ज़िम्मेदार)	यह कैसे किया जाएगा? (कार्य योजना)	यह कब तक किया जाएगा? (समय सीमा)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

एसपीएम के हस्ताक्षर _____

विषयगत प्रबंधक _____

[5] एसआरएलएम के राज्य स्तरीय कार्यालय में सभी जिलों के समेकित मुद्दों को उठाया जाएगा। प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

अनुलग्नक - 7

वीओ स्तर[6] पर समीक्षा के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ समीक्षा की तिथि/माह: _____

क्रम संख्या	वीओ के मुद्दे/समस्याएं समस्या क्या है?	मुद्दों/समस्याओं की स्थिति	संशोधित – समयसीमा और कार्य योजना	नए मुद्दे/समस्या जोड़ी जानी है
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

हस्ताक्षर (वीओ स्तर के गणमान्य व्यक्ति)

1. अध्यक्ष _____ 2. सचिव _____ 3. कोषाध्यक्ष _____ 4. पदाधिकारी _____ 5. बुक कीपर _____

[6] वीओ लीडर्स द्वारा मुद्दों की पहचान और कार्य योजना के विकास के बाद ही समीक्षा की जाएगी। समीक्षा की आवधिकता त्रैमासिक आधार पर की जाएगी। योजना और समीक्षा प्रक्रिया प्रकृति में गतिशील है और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान नई समस्या / मुद्दे जोड़े जाएंगे।

अनुलग्नक - 8

सीएलएफ स्तर[7] पर समीक्षा के लिए प्रारूप

सीएलएफ का नाम: _____ समीक्षा की तिथि/माह: _____

क्रम संख्या	वीओ के समेकित मुद्दे/समस्याएँ समस्या क्या है ?	समस्या/ मुद्दों की स्थिति	संशोधित - कार्य योजना और समयसीमा	जोड़े जाने वाले नए मुद्दे / समस्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

हस्ताक्षर (सीएलएफ स्तर के गणमान्य व्यक्ति)

1. अध्यक्ष _____ 2. सचिव _____ 3. कोषाध्यक्ष _____ 4. पदाधिकारी _____ 5. मास्टर बुक कीपर _____

[7] सीएलएफ द्वारा मुद्दों की पहचान और कार्य योजना के विकास के बाद ही समीक्षा की जाएगी। समीक्षा दौरा तिमाही आधार पर किया जाएगा। योजना और समीक्षा प्रक्रिया क्रियाशील है और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान नई समस्या / मुद्दे जोड़े जाएंगे।

अनुलग्नक – 9

ब्लॉक स्तर[8] पर समीक्षा के लिए प्रारूप

ब्लॉक का नाम: _____ **समीक्षा की तिथि/माह :** _____

क्रम संख्या	सीएलएफ के समेकित मुद्दे/समस्याएँ समस्या क्या है ?	समस्या/ मुद्दों की स्थिति	संशोधित - कार्य योजना और समयसीमा	जोड़े जाने वाले नए मुद्दे / समस्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

बीपीएम के हस्ताक्षर **वित्त प्रबंधक:**

[8] सीएलएफ और संबंधित ब्लॉक द्वारा मुद्दों की पहचान और कार्य योजना के विकास के बाद ही समीक्षा की जाएगी। समीक्षा दौरा तिमाही आधार पर किया जाएगा। योजना और समीक्षा प्रक्रिया क्रियाशील है और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान नई समस्या / मुद्दे जोड़े जाएंगे।

अनुलग्नक – 10

जिला स्तर[9] पर समीक्षा के लिए प्रारूप

जिले का नाम : _____ **समीक्षा की तिथि/माह:** _____

क्रम संख्या	ब्लॉक के समेकित मुद्दे/समस्याएँ समस्या क्या है ?	समस्या/ मुद्दों की स्थिति	संशोधित - कार्य योजना और समयसीमा	जोड़े जाने वाले नए मुद्दे / समस्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

डीपीएम के हस्ताक्षर **विषयगत प्रबंधक** **वित्त प्रबंधक**

_____ _____ _____

[9] संबंधित ब्लॉक व ज़िला द्वारा मुद्दों की पहचान और कार्य योजना के विकास के बाद ही समीक्षा की जाएगी। समीक्षा दौरा तिमाही आधार पर किया जाएगा। योजना और समीक्षा प्रक्रिया क्रियाशील है और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान नई समस्या / मुद्दे जोड़े जाएंगे।

अनुलग्नक – 11

राज्य स्तर[10] पर समीक्षा के लिए प्रारूप

राज्य का नाम: _____ समीक्षा की तिथि/माह: _____

क्रम संख्या	जिले के समेकित मुद्दे/समस्याएँ क्या समस्या है ?	समस्या/ मुद्दों की स्थिति	संशोधित - कार्य योजना और समयसीमा	जोड़े जाने वाले नए मुद्दे / समस्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

एसपीएम के हस्ताक्षर

_____

विषय-संबंधी प्रबंधक

_____

[10] जिला एवं राज्य द्वारा मुद्दों की पहचान और कार्य योजना के विकास के बाद ही समीक्षा की जाएगी। समीक्षा दौरा तिमाही आधार पर किया जाएगा। योजना और समीक्षा प्रक्रिया क्रियाशील है और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान नई समस्या / मुद्दे जोड़े जाएंगे।

पारिवारिक आहार विविधता (एफडीडी) पर सामुदायिक अभियान का आयोजन – बिहार का अनुभव

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अपने वीओ और एसएचजी के नेटवर्क के माध्यम से समुदाय में खाद्य,पोषण,स्वास्थ्य और वाश (एफएनएचडब्लू) से संबंधित व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, गर्भवती महिलाओं और 0-6 महीने और 6-24 महीने के शिशु को स्तनपान कराने वाली माताओं जैसे लाभार्थियों को खानपान में पारिवारिक आहार विविधता पर दो दिवसीय सामुदायिक अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव है। यह सामुदायिक अभियान राज्य भर के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में आयोजित किया जाना है। सीआरपी/SAC के अपने संवर्ग के माध्यम से इस तरह के अभियान को सफलतापूर्वक आयोजित करने की जिम्मेदारी वीओ की होगी। अभियान में चिन्हित लक्ष्य समूह के सभी लाभार्थी एवं उनके परिवार के सदस्य भाग लेंगे।

उद्देश्य

- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और उनके परिवारों के बीच मातृ एवं शिशु आहार विविधता पर जागरूकता में सुधार करना
- जागरूकता पैदा करने के प्रयासों के माध्यम से एसएचजी सदस्यों और उनके परिवारों के बीच आयरन और विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत को सुविधाजनक बनाना
- घरेलू पोषण बगीचों में आयरन और विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों के रोपण को सुविधाजनक बनाना

ध्यान देने योग्य बात

किसी अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, निम्नलिखित चरणों को सुनिश्चित करना आवश्यक है:

- चिन्हित विषय के अनुसार, सीआरपी/SAC को संबंधित एफएनएचडब्ल्यू सत्र पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- संबंधित एफएनएचडब्ल्यू सत्र को ब्लॉक के सभी एसएचजी में शुरू किया गया है

राज्य स्तरीय गतिविधियां

- एफएनएचडब्लू अभियान के लिए निर्देश जारी करना
- सामुदायिक अभियान के लिए संचार सामग्री (बैनर, पोस्टर और खाद्य समूह चार्ट) का मुद्रण (अनुलग्नक- 1)
- जिलों के साथ निर्देशों, बैनर प्रोटोटाइप और प्रारूप को साझा करना। बैनर एवं प्रारूप जिला स्तर पर मुद्रित किये जाने हैं।
- जिला स्तर पर संचार सामग्री के लिए वीओ-वार वितरण योजना का विकास
- एक दिवसीय जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन
    - जिला स्तरीय मिशन स्टाफ को एफडीडी समुदाय अभियान के संगठन के बारे में उन्मुखीकृत होना चाहिए और उन्हें योजना प्रारूप (**अनुलग्नक-2**) का उपयोग करके जिलेवार माइक्रोप्लान विकसित करना भी आवश्यक है।

जिला स्तरीय गतिविधियां

- जिले के सभी बीपीएम/बीसी को डीएमएमयू में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला के माध्यम से एफडीडी अभियान पर उन्मुखीकृत होने की आवश्यकता है। उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता डीपीएम द्वारा की जाएगी और डीएम-एसआईएसडी / जेंडर / एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी द्वारा बुलाई जाएगी जहां सामुदायिक अभियान के आयोजन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाओं और गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और ब्लॉक-वार उन्मुखीकरण योजना तैयार की जाएगी (**अनुलग्नक - 3**)।
- महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभाग से भी इस उन्मुखीकरण कार्यशाला में भाग लेने और आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाना चाहिए ।
- जिला स्तर पर संचार सामग्री एवं प्रारूपों की वीओ-वार आवश्यकता की गणना की जानी चाहिए।

प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला

- सामुदायिक अभियान के आयोजन और तैयारी के लिए सभी प्रखंडों में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी क्लस्टर स्तर के कर्मचारी और संवर्ग का बीपीएम-एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी द्वारा उन्मुखीकरण किया जाएगा। बीपीएम-एफएनएचडब्ल्यू प्रभारी इन उन्मुखीकरण कार्यशालाओं के आयोजन की तिथि तय करेंगे। बीसी पूरे ब्लॉक के क्लस्टर-वार माइक्रोप्लान (अनुलग्नक- 4) का विकास सुनिश्चित करेंगे।
- पीएफटी यह देखने के लिए जवाबदेह होगा कि सभी अपेक्षित गतिविधियां तय स्थानों/स्तरों पर संचालित की जा रही हैं जिसके लिए वे संबंधित सीआरपी/SAC को समन्वय और सहयोग प्रदान करेंगे। वे अभियान के दिन गतिविधियों के संचालन को व्यापक रूप से प्रबंधित करने के लिए तय स्थानों पर मौजूद रहेंगे।
- महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभाग को भी इस उन्मुखीकरण कार्यशाला में भाग लेने और आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।
- अभियान पूरे प्रखंड में 3 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए.

वीओ-स्तरीय गतिविधियां

अभियान से पहले

- **लाभार्थियों को लाइन –लिस्ट करना** - सभी लाभार्थियों (गर्भवती महिलाएं, 0-6 महीने के शिशु को स्तनपान कराने वाली माताएं और 6-24 महीने के बच्चे) को एसएचजी की साप्ताहिक बैठकों के दौरान सीआरपी/SAC द्वारा सूचीबद्ध किया जाना चाहिए (अनुलग्नक-5)। वीओ बैठक के दौरान सूची साझा की जाएगी और सूची में वीओ प्रतिनिधियों/ सीआरपी/SAC के अनुमोदन से सामुदायिक अभियान की तारीख पर चर्चा की जाएगी।
- **तारीख तय करना** - सामुदायिक अभियान के आयोजन पर वीओ की बैठकों के दौरान चर्चा की जाएगी और समय और स्थान के साथ दो-दो तारीखें निम्नलिखित के अनुसार तय की जाएंगी:
  - 0-6 महीने के शिशुओं (एसएचजी सदस्यों और उनके परिवारों) की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के एक समूह के लिए
  - 6-24 महीने के बच्चों (एसएचजी सदस्यों और उनके परिवारों) की स्तनपान कराने वाली माताओं के दूसरे समूह के लिए
- **गृह भ्रमण** –लाइन –लिस्ट के अनुसार सीआरपी/सैक द्वारा गृह भ्रमण किया जाएगा। सीआरपी/ सैक सामुदायिक अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित घर के दौरों की रिपोर्ट (**अनुलग्नक- 6**) साझा करेगा, जिसकी वीओ प्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा की जायेगी और उनका अनुमोदन किया जाएगा।

गृह भ्रमण के समय दिए जाने वाले प्रमुख संदेश

गर्भवती और 0-6 महीने के शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएँ	6-24 महीने के बच्चों की माताएं
• गृह भ्रमण करते समय, लाभार्थियों को उनके पति, सास और किशोर लड़की के साथ खाद्य समूह चार्ट दिखाकर विभिन्न खाद्य समूहों के सेवन के लाभों के बारे में सलाह दें। • एक दिन (24 घंटे) पहले उनके द्वारा खाए गए खाद्य समूहों के बारे में उनसे पूछताछ करें और उन्हें सूचित करें कि घरों में आम तौर पर कौन से अन्य खाद्य समूह उपलब्ध हैं जिन्हें वे विविधता बढ़ाने के लिए अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं।	• गृह भ्रमण करते समय, लाभार्थियों को उनके पति, सास और किशोर लड़की के साथ खाद्य समूह चार्ट दिखाकर विभिन्न खाद्य समूहों के सेवन के लाभों के बारे में सलाह दें। • उनसे एक दिन (24 घंटे) पहले बच्चे (6-24 महीने की उम्र) द्वारा खाए गए खाद्य समूहों के बारे में पूछताछ करें और उन्हें सूचित करें कि घरों में आम तौर पर कौन से अन्य खाद्य समूह उपलब्ध हैं जिन्हें वे विविधता बढ़ाने के लिए अपने दैनिक आहार में

• 10 में से कम से कम 5 खाद्य समूहों के सेवन के महत्व पर गर्भवती महिलाओं / स्तनपान कराने वाली माताओं को सलाह दें • लाभार्थियों को पोषण बगीचे के महत्व के बारे में समझाएं और उन्हें अपने घरों में पोषण बगीचा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें। • अभियान की तिथि, स्थान और समय के बारे में लाभार्थियों को सूचित करें और उन्हें आमंत्रित करें। • यदि लाभार्थी के घर में पोषण बगीचा है, तो उन्हें अभियान के दिन खाद्य प्रदर्शन के लिए वहां उपलब्ध सब्जियां/फल लाने के लिए कहें	• शामिल कर सकते हैं। • स्तनपान (6-24 महीने के बच्चों को) कराने वाली माताओं को 7 में से कम से कम 4 खाद्य समूहों के सेवन के महत्व पर परामर्श दें। • लाभार्थियों को पोषण बगीचे के महत्व के बारे में समझाएं और उन्हें अपने घरों में पोषण बगीचा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें। • अभियान की तिथि, स्थान और समय के बारे में लाभार्थियों को सूचित करें और उन्हें आमंत्रित करें। • यदि लाभार्थी के घर में पोषण बगीचा है, तो उन्हें अभियान के दिन खाद्य प्रदर्शन के लिए वहां उपलब्ध सब्जियां/फल लाने के लिए कहें

- सीआरपी/सैक सामुदायिक अभियानों की तिथि, समय और स्थान का विवरण लाइन-लिस्ट लाभार्थियों के साथ साझा करेगा।

अभियान के दिन

- गतिविधि के दौरान सीआरपी/सैक की उपस्थिति अनिवार्य है।
- यदि PICO प्रोजेक्टर उपलब्ध है, तो लाभार्थियों/समुदाय के लिए वीडियो शो आयोजित किए जा सकते हैं।
- खाद्य प्रदर्शन का आयोजन करें और नीचे दिए गए प्रमुख संदेशों का प्रसार करें:

खाद्य प्रदर्शन के दौरान दिए जाने वाले प्रमुख संदेश

गर्भवती और 0-6 महीने के शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएँ	6-24 महीने के बच्चों की माताएं
• लाभार्थी द्वारा लाए गए सभी खाद्य समूहों को इकट्ठा करें और उन्हें 10 खाद्य समूहों के वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करें। • सभी लाभार्थियों को प्रतिदिन दस में से पांच खाद्य समूहों का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। • एक-एक करके सभी लाभार्थियों से पिछले दिन उनके द्वारा खाए गए भोजन समूह के बारे में पूछें और उन्हें उनके पोषण संबंधी लाभों के बारे में बताएं। • खाद्य प्रदर्शन के दौरान लाभार्थियों द्वारा उनके घर और पोषण बगीचा से लाए गए विभिन्न खाद्य समूहों/फलों/सब्जियों के पोषण लाभों के बारे में बताएं। • लाभार्थियों को जो प्रतिदिन 10 में से 5 खाद्य समूहों का उपभोग करते हैं और उनके पोषण बगीचे से पौष्टिक उत्पाद (फल/सब्जी) लेते हैं, उन्हें सम्मानित/पुरस्कृत करें।	• लाभार्थी द्वारा लाए गए सभी खाद्य समूहों को इकट्ठा करें और उन्हें 7 खाद्य समूहों के वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करें। • सभी लाभार्थियों को प्रतिदिन 7 में से 4 खाद्य समूहों का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। • एक-एक करके सभी लाभार्थियों से उनके बच्चों (6-24 महीने) द्वारा पिछले दिन खाए गए भोजन समूह के बारे में पूछें और उन्हें उनके पोषण संबंधी लाभों के बारे में बताएं। • खाद्य प्रदर्शन के दौरान लाभार्थियों द्वारा उनके घर और पोषण बगीचे से लाए गए विभिन्न खाद्य समूहों/फलों/सब्जियों के पोषण लाभों के बारे में उन्हें बताएं। • उन लाभार्थियों को जो प्रतिदिन 7 में से 4 खाद्य समूहों का उपभोग करते हैं और उनके पोषण बगीचों से पौष्टिक उत्पाद (फल/सब्जी) लेते हैं, उन्हें पुरस्कृत/सम्मानित करें।

अभियान के बाद फॉलो अप

- अभियान समाप्त होने के बाद, लक्षित लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं, 0-6 महीने के शिशु को स्तनपान कराने वाली माताओं और 6-24 महीने के बच्चों की माताओं) और उनके परिवार के सदस्यों को सीआरपी /SAC द्वारा इसी मासिक बैठक के दौरान विभिन्न प्रकार के आहार के सेवन के लिए फॉलो अप किया जाएगा।

रिपोर्टिंग

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। यह रिपोर्ट ब्लॉक और जिला स्तर (अनुलग्नक- 7 और 8) पर तैयार की जाएगी और आगे राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी।

अनुलग्नक – 1

आईईसी सामग्री की आवश्यकता की गणना के लिए प्रारूप
(बैनर, लीफलेट और खाद्य समूह चार्ट)

जिले का नाम : _____

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम:	वीओ की कुल संख्या	सीआरपी की कुल संख्या	कुल आवश्यक बैनर	कुल आवश्यक लीफलेट	कुल आवश्यक खाद्य समूह चार्ट
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

हस्ताक्षर (बीसी)

_____

हस्ताक्षर (डीएम-एफएनएचडब्ल्यू)

_____

अनुलग्नक – 2

जिला स्तरीय योजना के लिए प्रारूप

जिले का नाम : _____

ब्लॉक का नाम: _____

पंचायतों की कुल संख्या : _____

	क्लस्टर 1		क्लस्टर 2		क्लस्टर 3	
	स्वीकृत पद	भरे पद	स्वीकृत पद	भरे पद	स्वीकृत पद	भरे पद
पीएफटी की संख्या						
SAC सदस्यों की संख्या						
सीआरपी की संख्या						
कोई अन्य						

	क्लस्टर 1		क्लस्टर 2		क्लस्टर 3	
वीओ की कुल संख्या						
एसएचजी की कुल संख्या						

अनुलग्नक – 3

ब्लॉक के अनुसार उन्मुखीकरण की योजना का प्रारूप

जिले का नाम: _____

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	उन्मुखीकरण की तिथि	उन्मुखीकरण का स्थान	प्रतिभागियों की कुल संख्या (सीआरपी/SAC)	अपेक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की कुल संख्या
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

_____

हस्ताक्षर (बीसी)

यदि किसी जिले में उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया

उन्मुखीकरण की तिथि	उन्मुखीकरण का स्थान	प्रतिभागियों की कुल संख्या (सीआरपी/ SAC)	अपेक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की कुल संख्या

हस्ताक्षर (डीएम-एफएनएचडब्ल्यू)

_____

अनुलग्नक – 4

क्लस्टर के अनुसार उन्मुखीकरण की योजना का प्रारूप

जिला का नाम: _____ ब्लॉक का नाम: _____

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	उन्मुखीकरण की तिथि	उन्मुखीकरण का स्थान	प्रतिभागियों की कुल संख्या (सीआरपी/SAC)	अपेक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की कुल संख्या
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

हस्ताक्षर (पीएफटी)

_____

अनुलग्नक – 5

लाभार्थी लाइन-लिस्ट के लिए प्रारूप

जिला का नाम : _____ ब्लॉक का नाम : _____

सीएलएफ का नाम : _____ पंचायत का नाम : _____

गाँव का नाम : _____ वीओ का नाम : _____

सीआरपी / SAC का नाम और मोबाइल न. : _____ एसएचजी की कुल संख्या: _____

क्रम संख्या	एसएचजी का नाम :	गर्भवती महिला			स्तनपान कराने वाली महिला					पोषण बगीचे की उपलब्धता (हाँ/ नहीं)
		गर्भवती महिला का नाम	क्या आप एसएचजी के सदस्य हैं (हाँ/नहीं)	यदि नहीं, तो आपके परिवार से कौन एसएचजी का सदस्य है?	स्तनपान कराने वाली महिला का नाम	क्या आप एसएचजी के सदस्य हैं (हाँ/ नहीं)	यदि नहीं, तो आपके परिवार से कौन एसएचजी का सदस्य है?	बच्चों की संख्या	बच्चे की जन्म तिथि	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										

हस्ताक्षर (SAC) हस्ताक्षर (सीआरपी)

_____ _____

अनुलग्नक – 6

गृह भ्रमण की रिपोर्ट का प्रारूप

क्रम संख्या	वीओ का नाम	एसएचजी की कुल संख्या	पंक्तिबद्ध सूची		किये गए गृह भ्रमण		अभियान							
							शिशु आहार में विविधता				मातृ आहार में विविधता			
			नियोजित	आयोजित	नियोजित	आयोजित	नियोजित	आयोजित	लक्षित लाभार्थी	उपलब्ध लाभार्थी	नियोजित	आयोजित	लक्षित लाभार्थी	उपलब्ध लाभार्थी
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
15														

हस्ताक्षर (पीएफटी)

हस्ताक्षर (बीसी)

अनुलग्नक – 7

ब्लॉक स्तर पर अभियान की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

जिला का नाम : _____

ब्लॉक का नाम: _____

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	एफएनएचडब्ल्यू समुदाय अभियान		आयोजित एफएनएचडब्ल्यू अभियान गतिविधियों के प्रकार	उपस्थित लक्षित लाभार्थियों की संख्या	मौजूदा समुदाय के सदस्यों की संख्या
		नियोजित वीओ की संख्या	संचालित वीओ की संख्या			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

हस्ताक्षर (बीपीएम)

_____

अनुलग्नक – 8

जिला स्तर पर अभियान की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

जिला का नाम : _____

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	एफएनएचडब्ल्यू समुदाय अभियान		आयोजित एफएनएचडब्ल्यू अभियान गतिविधियों के प्रकार	उपस्थित लक्षित लाभार्थियों की संख्या	मौजूदा समुदाय के सदस्यों की संख्या
		नियोजित वीओ की संख्या	संचालित वीओ की संख्या			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

डीपीएम/डीएम-एफएनएचडब्ल्यू के हस्ताक्षर

_____

मलेरिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन- छत्तीसगढ़ का अनुभव

मलेरिया आम संक्रामक रोगों में से एक है, जो जानलेवा है। यह मच्छर से पैदा होने वाला रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। इस तरह के मच्छर बंद पानी और अशुद्ध नम क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए स्वच्छता (घरेलू और पर्यावरण) की आदत अपनाना सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। राज्य मिशन मलेरिया निवारक उपायों और स्वच्छता (घरेलू और पर्यावरण) के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए उन क्षेत्रों में, जहां विशेष रूप से मलेरिया पैदा होने की संभावना सबसे अधिक होती है, वीओ स्तर पर अभियान आयोजित कर सकते हैं। वीओ-स्तरीय मलेरिया रैलियों की योजना बनाते समय नीचे दिए गए बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

तैयारी

1. वीओ की बैठक के दौरान मलेरिया रैली के लिए आयोजित की जाने वाली तिथि, स्थान और गतिविधियों का निर्धारण करें।
2. वीओ की बैठक के दौरान ऐसे परिवारों की पहचान करें और उन्हें सम्मान/पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध करें
   - जो अपने घरों और आस-पास को साफ रखते हैं (जहां न कोई कचरा होता है न पानी जमा होता है)
   - जो पिछले एक साल में मलेरिया से पीड़ित नहीं हैं
   - मच्छरदानी का उपयोग करते हैं
3. उन स्थान (या स्थानों और परिवारों) की पहचान करें जहां जल जमाव होता है, घरेलू कचरे के ढेर फेंके जाते हैं और जहां परिवार के सदस्य मलेरिया से पीड़ित होते हैं, रैली निकालने के लिए ऐसे ही रास्ते का चयन करें।
4. समुदाय के लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी से इन स्थानों को साफ करने के लिए सफाई अभियान आयोजित करने की योजना बनाएं।
5. पहचान की गई गतिविधियों के आयोजन के लिए आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पीआरआई सदस्यों और अन्य समुदाय के लीडर्स के साथ समन्वय करें।

गतिविधियां

रैली शुरू करने से पहले

1. सभी एसएचजी सदस्यों को प्रासंगिक नारे लिखने और रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाली तख्तियां तैयार करने के लिए कहें।
2. सभी एसएचजी सदस्यों और समुदाय के लोगों से उस स्थान (या स्थानों) की पहचान करने के लिए कहें जहां पानी जमा होता है और घरेलू कचरे के ढेर फेंके जाते हैं। ऐसे स्थानों की सफाई में सभी को स्वेच्छा से योगदान देना चाहिए।

रैली के दौरान

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मलेरिया निवारक उपायों जैसे घरेलू और पर्यावरणीय स्वच्छता और मच्छरदानी आदि के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पहचाने गए मार्ग (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है) पर चलकर रैली का संचालन करना चाहिए।
2. ग्राम स्तर पर प्रश्न/उत्तर सत्र का आयोजन करें। इस सत्र में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं:
   - मलेरिया कैसे होता है?
   - व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे बनाए रखें?
   - खराब स्वच्छता के कारण कौन-सा रोग हो सकता है?

3. ऐसे परिवारों को सम्मानित/पुरुस्कृत करें
    - जो अपने घरों और आस-पास को साफ रखते हैं (कूड़ा-करकट और गंदा पानी जमा नहीं होने देते)
    - जो पिछले एक साल में मलेरिया से पीड़ित नहीं हुए हैं
    - जो मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं

प्रतिभागी

गांव के सभी परिवार

आयोजक

सभी एसएचजी और वीओ सदस्य

विशेष सहयोग

एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम, आशा, पीआरआई सदस्यों, वीएचएसएनसी सदस्यों आदि द्वारा।

सुझाई गई आवृत्ति

अर्धवार्षिक या अन्य अभियानों या समन्वय गतिविधियों के साथ में

बजट

वीओ अपने स्वयं के फंड का उपयोग कर सकता है (लगभग 1500/- ऐसे अभियान पर अनुमानित रूप से खर्च किये जा सकते हैं)।

या

अभियान के आयोजन के लिए वीएचएसएनसी सदस्यों से वित्तीय सहायता भी मांगी जा सकती है। बजट का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

- रैली के लिए पोस्टर, बैनर, तख्ती बनाना/मुद्रण करवाना
- सफाई के लिए सामान खरीदने के लिए (साबुन, फिनाइल, झाड़ू आदि)
- प्रश्न/उत्तर पुस्तिका मुद्रित करने के लिए
- सम्मान / पुरस्कार के लिए उपहार खरीदने के लिए
- फोटोग्राफी
- कोई अन्य आवश्यकता के रूप में

रिपोर्टिंग

रैली समाप्त होने के बाद, आयोजित की गई गतिविधियों और संबंधित व्यय के बारे में सूचित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें और इसे सीएलएफ को जमा करें।

स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन- छत्तीसगढ़ का अनुभव

स्वच्छता संपूर्ण एफएनएचडब्लू रणनीति के मुख्य घटकों में से एक है। स्वच्छता आम तौर पर व्यक्तिगत रखरखाव (जिनमें हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है) और पर्यावरणीय स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, मानव मल के उचित निपटान और कचरा निपटान से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को संदर्भित करता है। राज्य मिशन स्वच्छता (व्यक्तिगत और पर्यावरण), हाथ धोने और शौचालय के उपयोग आदि के महत्व पर जोर देने के लिए स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए वीओ स्तर के अभियान आयोजित कर सकते हैं। वीओ-स्तरीय स्वच्छता अभियान की योजना बनाते समय नीचे दिए गए बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

तैयारी

1. वीओ की बैठक के दौरान स्वच्छता अभियान के लिए आयोजित की जाने वाली तिथि, स्थान और गतिविधियों का निर्धारण करें।
2. वीओ की बैठक के दौरान, ऐसे परिवारों की पहचान/ सम्मान/ पुरस्कार के लिए सूची बनाएं
   - जो नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करते हैं,
   - जो खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद नियमित रूप से हाथ धोते हैं,
   - जो अपने घरों और आसपास के क्षेत्र को साफ रखते हैं (कूड़ा-कचरा जमा नहीं होने देते)
   - जो पिछले एक साल में दस्त, उल्टी, पीलिया या ऐसी ही किसी अन्य संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं हुए हैं।
3. उन स्थानों (या स्थानों और परिवारों) की पहचान करें जहां पानी का जमाव होता है, घरेलू कचरे के ढेर फेंके जाते हैं, मानव अपशिष्ट का अनुचित तरीके से निपटारा किया जाता है, जहां परिवार के सदस्य दस्त, उल्टी, पीलिया या किसी अन्य संक्रमण से पीड़ित होते हैं। इन्ही स्थानी से रैली निकालने की योजना बनाई जानी चाहिए।
4. समुदाय के लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी से इन स्थानों को साफ करने के लिए सफाई अभियान आयोजित करने की योजना बनाएं।
5. पहचान की गई गतिविधियों के आयोजन के लिए आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पीआरआई सदस्यों और अन्य समुदाय के नेताओं के साथ समन्वय करें

गतिविधियां

रैली करने से पहले

1. सभी एसएचजी सदस्यों को प्रासंगिक नारे लिखने और रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाली तख्तियां तैयार करने के लिए कहें।
2. सभी एसएचजी सदस्यों और समुदाय के लोगों से उस स्थान (या स्थानों) की पहचान करने के लिए कहें जहां पानी जमा होता है और घरेलू कचरे के ढेर फेंके जाते हैं। ऐसे स्थानों की सफाई में सभी को स्वेच्छा से योगदान देना चाहिए।

रैली के दौरान

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वच्छता गतिविधियों जैसे हाथ धोने, शौचालय का उपयोग, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पहचाने गए मार्ग (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है) पर चलकर रैली का संचालन करना चाहिए।
2. ग्राम स्तर पर प्रशोत्तर सत्र का आयोजन करें। इसमें निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं:
   - कब हाथ धोना है?

- हाथ कैसे धोएं?
- हाथ धोने के लिए किस चीज का उपयोग करना चाहिए?
- बच्चों के मलमूत्र का सही ढंग से निस्तारण कैसे करें?
- व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे बनाए रखें?
- खराब स्वच्छता के कारण कौन-सा रोग हो सकता है?

3. हाथ धोने और बच्चों के मलमूत्र का सही ढंग से निस्तारण करने के तरीकों को प्रदर्शित करने के लिए समुदाय के लिए एक प्रदर्शन सत्र का आयोजन करें।
4. ऐसे परिवारों को पुरस्कृत/सम्मानित करें
   - जो नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करते हैं
   - जो नियमित रूप से खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोते हैं
   - जो अपने घरों और आस-पास को साफ रखते हैं (कूड़ा और पानी जमा नहीं होने देते)
   - जो पिछले एक साल में दस्त, उल्टी, पीलिया या किसी अन्य संक्रमण से पीड़ित नहीं हैं

प्रतिभागी

गांव के सभी परिवार

आयोजक

सभी एसएचजी और वीओ सदस्य

विशेष सहयोग

एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम, आशा, पीआरआई सदस्यों, वीएचएसएनसी सदस्यों आदि द्वारा।

सुझाई गई आवृत्ति

अर्धवार्षिक या अन्य अभियानों या समन्वय गतिविधियों के साथ में

बजट

वीओ अपने स्वयं के फंड का उपयोग कर सकता है (ऐसे अभियान पर अनुमानित रूप से 1500 रुपए खर्च होने का अनुमान है)।

या

इस अभियान के आयोजन के लिए वीएचएसएनसी सदस्यों से वित्तीय सहायता भी मांगी जा सकती है।

बजट का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

- रैली के लिए पोस्टर, बैनर, प्लेकार्ड बनाना/ प्रिंट करना
- सफाई के लिए सामान खरीदने के लिए (साबुन, फिनाइल, झाड़ू आदि)
- प्रश्न/उत्तर पुस्तिका प्रिंट करने के लिए
- सम्मान/ पुरस्कार के लिए उपहार खरीदने के लिए
- फोटोग्राफी के लिए
- ज़रुरत के अनुसार किसी अन्य काम के लिए

रिपोर्टिंग

रैली समाप्त होने के बाद, आयोजित की गई गतिविधियों और संबंधित व्यय के बारे में सूचित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें और इसे सीएलएफ के पास जमा करें।

वृक्षारोपण अभियान का आयोजन – छत्तीसगढ़ का अनुभव

वृक्ष हमारी प्रकृति का एक मूल्यवान हिस्सा हैं, जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, लकड़ी, औषधि देते हैं, मिटटी के कटाव को रोकते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, मिटटी की नमी बनाए रखते हैं, खाद देते हैं, ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखते हैं और हमारी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। यह दस्तावेज़ सुव्यवस्थित तरीके से ग्राम स्तर पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने की एक सरल प्रक्रिया का वर्णन करता है।

ग्राम संगठन (वीओ) स्तर पर वृक्षारोपण अभियान की तैयारी

1. वीओ बैठक के दौरान वृक्षारोपण अभियान के दिन आयोजित की जाने वाली तिथि, स्थान और गतिविधियों का निर्धारण करें।
2. एसएचजी परिवारों और समुदाय/सामान्य स्थानों में वृक्षारोपण की एसएचजी वार आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें। वृक्षारोपण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करने के लिए **अनुलग्नक-1** का प्रयोग करें।
3. वीओ बैठक के दौरान, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए लगाए जाने वाले पौधों के प्रकार पर निर्णय लेने के लिए मौसम-वार वृक्षारोपण सूची **(अनुलग्नक- 2)** देखें:
    - ऐसे वृक्ष लगाएं जिनकी संख्या गाँव में कम है
    - उन पेड़ों का चयन करें जो पोषण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हों।
    - सावधानीपूर्वक ऐसे एसएचजी परिवारों और सामुदायिक/सार्वजनिक स्थानों का चयन करें जो वृक्षारोपण के बाद इन पौधों की पूरी जिम्मेदारी ले सकें
    - एसएचजी परिवार जिनके पास पहले से ही पोषण बगीचा है, अपने पोषण बगीचों के पीछे की ओर पपीता, आंवला या मोरिंगा जैसे पेड़ लगाएं।
4. वृक्षारोपण के लिए पेड़ों की व्यवस्था करें
    - अपने आसपास या जंगल/खेत/ में आम, जामुन, सीताफल, बेरी आदि के ऐसे बीजों/पोधों की तलाश करें जो अपने आप ऊग आए हैं और वृक्षारोपण अभियान के दिन उनका उपयोग करें।
    - पंचायत/वन समिति आदि से निःशुल्क वृक्ष प्राप्त करें।
    - ग्राम संगठन/समूह भी पेड़ प्रदान कर सकते हैं।
    - वे पेड़/पौधे खरीदें, जिनकी अभी भी आवश्यकता है।
5. **पेड़ पौधे लगाने की विधि**
    - लगाए जाने वाले पेड़ पौधों का चयन करें और इस बात का ध्यान रखें कि पौधे में कोई बीमारी न फैले।
    - जिस स्थान पर पौधे लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर्याप्त धूप हो। जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां बारिश के दौरान जलजमाव हो।
    - चयनित स्थान पर रोपण के लिए कम से कम एक दिन पहले जमीन/नर्सरी या गमले में रोपण के लिए जितना गहरा हो सके उतना गहरा गड्ढा खोदें। या पौधे की ऊंचाई के अनुसार डेढ़ गुणा डेढ़ फुट का गड्ढा खोदें।
    - रोपण के लिए तैयार गड्ढ़े में एक दिन पहले पानी डाल दें, ताकि बुवाई के समय वह गीला रहे।
    - रोपण से पहले स्थानीय रूप से उपलब्ध गोबर या खाद तैयार करें और स्टोर करें।
    - यदि संभव हो तो शाम को पौधे लगाएं।

- पौधे लगाने के लिए तैयार मिट्टी में उपलब्ध गोबर या खाद मिलाएं।
- चयनित पौधे को रोपते समय जड़ को सीधा रखें और उसे खाद के साथ मिश्रित मिट्टी से ढक दें।
- रोपण के बाद उसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से गाड़ दें ताकि सिंचाई के बाद पौधा टेढ़ा न हो जाए
- पौधे के चारों ओर मिट्टी की मेड़ बना लें ताकि सिंचाई करते समय पानी बाहर न निकले।
- रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करें और स्थानीय रूप से उपलब्ध बांस से इसके चारों ओर एक घेरा बना लें।

6. पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नर्सों, मितानिन, स्वच्छता दूत, वीएचएसएनसी, वन निगरानी समिति (जैसा लागू हो) के साथ चर्चा करें और अभियान में समन्वय, व्यवस्था और भाग लेने के लिए उनसे सहयोग मांगें।
7. अभियान के दौरान लगाए गए पौधों की निगरानी और देखभाल के लिए स्वयं सहायता समूह/परिवार/संस्था को पूरी जिम्मेदारी सौंपें।
8. पौधरोपण अभियान की कार्ययोजना की रिपोर्ट वीओ और सीएलएफ को भेजें।

निम्नलिखित परिवार/संस्था को पुरस्कृत करें

- वे परिवार जहां वृक्षारोपण के लिए घर की सारी खाली जगह का उपयोग किया जाता है।
- वे आम/सामुदायिक स्थान जहां विभिन्न प्रकार के पोषक पौधों/वृक्षों के रोपण के लिए संपूर्ण स्थान का उपयोग किया जाता है।
- एसएचजी जिनके सभी सदस्यों के घरों में फलों के पेड़ हैं।
- ऐसे समूह/परिवार/संस्थाएं जिन्होंने वृक्षारोपण या पर्यावरण संरक्षण में बेहतर योगदान दिया है।

बजट

- पेड़ खरीदने के लिए 1000 से 1500 रुपये तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- 200 रुपये तक की राशि का उपयोग पुरस्कार/इनाम सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकता है।
- कोई अन्य राशि जो आवश्यक हो और वीओ द्वारा तय की गई हो।

रिपोर्टिंग

वृक्षारोपण अभियान के बाद, अगली सीएलएफ बैठक में व्यय विवरण के साथ रिपोर्ट (**अनुलग्नक- 3**) जमा करें।

डीएवाई- एनआरएलएम के फार्म लाइवलीहुड वर्टिकल ने पोषण बगीचों के प्रचार पर विस्तृत मार्गदर्शन के साथ एक सलाह जारी की है। कृपया पेज नं. 35-56 देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : http://mksp.gov.in/images/Compendium_of_Farm_LH_Advisories_Ver_2.4_Mar_2020.pdf

अनुलग्नक – 1

एसएचजी परिवारों और सामान्य/सामुदायिक स्थलों में वृक्षारोपण की सूची बनाने का प्रारूप

क्रम संख्या	एसएचजी का नाम	एसएचजी परिवारों के नाम जिन्हें वृक्षारोपण की आवश्यकता है	एसएचजी परिवारों के लिए कुल आवश्यक पौधे	ग्रामीण स्तर के सामान्य/ सामुदायिक स्थल का नाम	ग्रामीण स्तर के सामान्य/सामुदायिक स्थल के लिए कुल आवश्यक पौधे	एसएचजी परिवारों और ग्रामीण स्तर के सामान्य/ सामुदायिक स्थल के लिए कुल आवश्यक पौधे

अनुलग्नक – 2

मौसम के अनुसार वृक्षारोपण सूची

पौधे/पेड़ का नाम	मौसम	भोजन	ईंधन	दवा	चारा	फर्नीचर	खाद	कुल अंक	गांव के अंदर परिवार/संस्थाओं में पौधों/पेड़ों की स्थिति/ उपलब्धता (कम/अधिक/बिल्कुल नही)
आम	गर्मी	1	1		1	1	1	4	
कटहल	गर्मी	1					1	1	
मूंगा	सभी मौसम	1		1			1	2	
जामुन	बरसात	1		1			1	2	
कद्दू	सर्दी	1					1	1	
रामफल	गर्मी	1					1	2	
जाम	गर्मी	1		1			1	3	
पपीता	गर्मी	1					1	2	
नीम	गर्मी	1	1	1		1	1	5	
करंज	सर्दी	1		1		1	1	4	
सराय	गर्मी	1	1			1	1	4	
पीपल	गर्मी			1	1	1	1	4	
बबूल	गर्मी		1		1	1	1	4	
महुआ	गर्मी	1	1	1		1	1	5	
गंगा इमली (इमली)	गर्मी	1	1		1	1	1	5	
कोलियारो	बरसात	1	1				1	3	
इमली	गर्मी	1	1		1	1	1	5	
बेल	गर्मी	1	1	1			1	4	
बेर	गर्मी	1	1		1	1	1	5	
आंवला	सर्दी	1	1	1			1	4	
तेंदू	गर्मी	1	1				1	4	

अनुलग्नक – 3

रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

वीओ का नाम: _____ गांव का नाम :: _____

ग्राम पंचायत का नाम: _____

गतिविधि का नाम: _____

कुल प्रतिभागी: _____

कुल लगाए गए पेड़			पंचायत से प्राप्त पेड़	वीओ/एसएचजी से प्राप्त पेड़	खरीदे गए पेड़
एसएचजी परिवार में	सामान्य/ सामुदायिक स्थलों में	कुल			

अनुलग्नक

1. उपस्थिति शीट
2. फोटो

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)

_____

खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता (FNHW) टूलकिट को राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (NMMU) द्वारा तकनीकी सहायता एजेंसी, TA-NRLM, प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल (PCI) के सहयोग से विकसित किया गया है तथा रोशनी-सेंटर ऑफ वूमेन कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD), राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (SIRDs), नेशनल रिसोर्स पर्सन्स (NRPs), बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (SRLMs), जीविका तकनीकी सहायता कार्यक्रम-प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल (JTSP-PCI) और ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों की यूनिसेफ टीमों से सुझाव प्राप्त किये गए हैं।

सामग्री को अंतिम रूप देने हेतु, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन डाइट्स (NCEARD), अलाइव एंड थ्राइव (A&T), JTSP-PCI और UNICEF की मानक सामग्री को संदर्भित किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन (डी ऐ वाई-एनआरएलएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

7वीं मंज़िल, एनडीसीसी बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट: www.aajeevika.gov.in

सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

आजीविका AAJEEVIKA